REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 1989/ज्येष्ठ 12, 1911
No. 287] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 1989/JYAISTHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खण्ड)

नई दिल्ली, 2 जून, 1989

सा.का.नि. 590(ई) :—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) तारीख 31 जनवरी, 1989 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, तारीख 31 जनवरी, 1989 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 3 मार्च 1989 को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 211 के साथ पठित धारा 12, 27, 64, धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110, 137, 164 और 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 है।

(2) उपनियम (3) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होंगे।

(3) नियम 16 के उप नियम (3), नियम 96 के उपनियम (4), नियम 103 के उपनियम (4), नियम 105 के उपनियम (3), नियम 113, नियम 115 के उपनियम (2), (3), (4) या (5), नियम 118, 122, 124, 125, 126 और 127 के उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है,

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है,

(ग) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है,

(घ) "व्यवसाय प्रमाणपत्र" से नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है,

(ङ) "अपरिवहन यान" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो परिवहन यान नहीं है।

अध्याय 2

मोटरयान चालकों को अनुज्ञापन

साधारण

3. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति :—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो चालन में सक्षमता परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मोटरयान चलाना सीखने या चालन में अनुभव प्राप्त करने के दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटरयान चलाता है, तब तक लागू नहीं होगी, जब तक—

(क) चालक यान चलाने के लिए प्ररूप 3 में उसको जारी की गई किसी प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक है,

(ख) यान में, चालक के अतिरिक्त, अनुदेशक के रूप में ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो यान चलाने के लिए किसी प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति को धारण किए हुए और इस स्थिति में बैठा हुआ है कि यान को कुशलता से तुरन्त नियंत्रित कर सके या रोक सके,

(ग) यान के सामने की ओर तथा पीछे की ओर ऐसी रीति से पेंट किया हुआ या सामने की ओर तथा पीछे की ओर चिपकाई हुई किसी प्लेट या कार्ड पर सफेद पृष्ठभूमि पर लाल से 'L' अक्षर निम्नलिखित रूप में लिखा हुआ है।

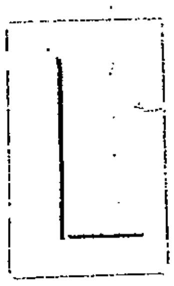

टिप्पण :—

यान पर या प्लेट अथवा कार्ड पर पेंट किया हुआ कम से कम 18 सेंटीमीटर का होगा और 'L' अक्षर कम से कम 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 2 सेंटीमीटर मोटा तथा तल में 9 सेंटीमीटर चौड़ा होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति किसी मोटर साइकिल को (जिसमें साइड-कार लगी हो या नहीं) चलाने में अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय या अनुभव प्राप्त करते समय खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन और रीति के सिवाय मोटर साइकिल पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

4. पते और आयु के सही होने का साक्ष्य :

(1) इस अध्याय के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन अपने पते और आयु के साक्ष्यस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक मूल रूप में या उसकी सुसंगत उद्धरण जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय निकाय के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी की समतुल्य पंक्ति का हो, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो, पेश करेगा, अर्थात् :—

1. राशन कार्ड।
2. निर्वाचक नामावली।
3. जीवन बीमा पालिसी।
4. पास पोर्ट।
5. विद्युत या टेलीफोन बिल।
6. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची।
7. गृह कर की रसीद, या
8. स्कूल प्रमाणपत्र।
9. जन्म प्रमाणपत्र।

परन्तु उस दशा में जहां आवेदक ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई पेश करने में समर्थ नहीं है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक के माता-पिता से संबंधित कोई ऐसा दस्तावेज या आयु और पते के साक्ष्यस्वरूप कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार कर सकेगा।

5. चिकित्सा प्रमाणपत्र :—इन नियमों के प्रारम्भ से ही शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति में किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटरयान जोड़ने, या चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण या चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ-साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया गया प्ररूप 1 में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा।

6. चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करने से छूट :—किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने, चाहे प्रारम्भिक रूप में जारी करने के लिए या उसके नवीकरण के लिए, या चालन अनुज्ञप्ति में किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यान जोड़ने की बाबत कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश किया है, चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, सिवाय, उस दशा के, जिसमें आवेदन चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किया गया है।

7. चिकित्सा प्रमाणपत्र पर फोटो का लगाया जाना :—आवेदक का फोटो प्ररूप 1 में दर्शित समुचित स्थान पर लगाया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उक्त फोटो पर ऐसी रीति से अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अपनी मोहर लगाएगा जिससे हस्ताक्षर और मोहर भागतः फोटो पर हो और भागतः चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्ररूप पर हो :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने, को किए गए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन से अधिक दिन पूर्व दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

8. परिवहन यान चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :—किसी आवेदक के संबंध में या (ट्रैक्टर-ट्रेलर से भिन्न) किसी परिवहन यान को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आठवीं स्तर उत्तीर्ण होगा :—

परन्तु इस नियम में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होगी :

(i) परिवहन यान चलाने के लिए किसी चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण ...

(ii) ऐसी चालन अनुज्ञप्ति में दूसरे वर्ग के परिवहन यान का जोड़ा जाना,

जो इस नियम के प्रारम्भ के पूर्व से ही जारी है।

9. खतरनाक माल ढोने वाला माल गाड़ी चलाने के लिए शैक्षिक अर्हता:--मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल ढोने वाले परिवहन यान चलाने वाले व्यक्ति के पास, किसी परिवहन यान के चलाने की चालन अनुज्ञप्ति के धारण करने के अतिरिक्त दसवां स्तर उत्तीर्ण की शैक्षिक अर्हता भी होगी।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति

10. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन:--शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्ररूप 2 में किया जाएगा, और उसके साथ निम्नलिखित होंगे:--

(क) नियम 6 में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, प्ररूप 1 में एक चिकित्सा प्रमाणपत्र,

(ख) आवेदक के हाल के फोटो की 5 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर आकार की तीन प्रतियां;

(ग) नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस,

(घ) मध्यम माल यान, मध्यम यात्री मोटर यान, भारी माल यान या भारी यात्री मोटर यान के लिए आवेदन की दशा में, आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति।

11. प्रारम्भिक परीक्षण:--(1) उप नियम (2) में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को, ऐसे स्थान तथा समय पर, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी नियत करे, परीक्षण के लिए स्वयं उपस्थित होगा, तथा ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान करेगा कि आवेदक के पास निम्नलिखित विषयों की बाबत पर्याप्त ज्ञान और समझ है, अर्थात्:--

(क) धारा 118 के अधीन बनाए गए यातायात चिह्न, यातायात संकेत और सड़क के नियम,

(ख) चालक के कर्तव्य जब उसका यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या पर व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान होता है,

(ग) ऐसी रेल क्रासिंग को, जिस पर कोई व्यक्ति कर्तव्य पर नहीं है, पार करते समय बरती जाने वाली पूर्वावधानियां और

(घ) वे दस्तावेज जो मोटर यान चलाते समय उसे अपने साथ ले जाने चाहिए।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित प्रवर्ग के आवेदकों को लागू नहीं होगी, अर्थात्:--

(क) किसी प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति का धारक,

(ख) ऐसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है किन्तु पांच वर्ष नहीं बीते हैं,

(ग) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् जारी की गई या नवीकृत की गई किसी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक।

12. अवयस्क द्वारा आवेदन की दशा में माता-पिता या संरक्षक की सहमति:--बिना गियर वाली मोटर साइकिल को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए किसी अवयस्क की दशा में, आवेदन पर माता-पिता या संरक्षक के [illegible] द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

13. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का प्ररूप:--अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्ररूप 3 में होगी।

चालन अनुज्ञप्ति

14. चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन:--चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, प्ररूप 4 में किया जाएगा, और उसके साथ निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:--

(क) उस प्रकार के यान को जिससे आवेदन संबंधित है, चलाने की कोई प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति;

(ख) चालन सक्षमता परीक्षण के लिए और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस,

(ग) आवेदक के 5 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां,

(घ) नियम 6 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्ररूप 1 में चिकित्सा प्रमाणपत्र,

(ङ) उस स्कूल या स्थापन से जहां आवेदक ने अनुदेश यदि कोई हों, प्राप्त किए हैं, जारी किया गया प्ररूप 5 में चालन प्रमाणपत्र।

15. चालन परीक्षण:--(1) कोई भी व्यक्ति चालन सक्षमता परीक्षण के लिए तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक उसने कम से कम छह सप्ताह की अवधि के लिए कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है।

(2) धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण, अनुज्ञापन प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए उस प्रकार के यान में किया जाएगा, जिससे आवेदन संबंधित किया जाएगा।

(3) आवेदक परीक्षण करने वाले व्यक्ति का यह समाधान करेगा कि वह निम्नलिखित के लिए सक्षम है, अर्थात्:--

(क) पीछे के दृश्यदर्शी दर्पण को व्यवस्थित करना और सीट की पेटी का लगाना।

(ख) इंजन चालू करने के पूर्व अपेक्षित सावधानी बरतना,

(ग) यान को एकदम सीधे तथा आगे सुरक्षित रूप से और नियंत्रित रूप से उस समय भी ले जा सकना है जब वह टाप गियर के न लगा लेने तक सभी गियर लगा रहा है,

(घ) टाप गियर को निचले गियर में शीघ्रता से बदलना जब यातायात की परिस्थिति में इस प्रकार बदल लेना जरूरी हो,

(ङ) यान को उतार उतार की ओर चलाते हुए निचला गियर शीघ्रता से बदलना,

(च) यान को पीछे की ओर लुढ़कने दिए बिना ढलान पर ऊपर की ओर हाथ ब्रेक या थ्रोटिल का और पांव ब्रेक का उचित प्रयोग करते हुए ठहरा कर फिर से चालू करना, दाईं और बाईं तरफ ठीक तरह से मोड़ना और संकेत देने के पूर्व पीछे के दृश्यदर्शी दर्पण का उचित प्रयोग करना,

(छ) समुचित संकेत देते हुए अन्य यानों से आगे निकलने के लिए बराबर आकार या अन्य यानों को आगे निकलने देने के लिए उन्हें बराबर आगे देकर या अन्य यानों के समानान्तर चल कर या आगे बढ़कर अन्य यानों के पथ पर उचित रूप से चलते हुए उचित सतर्कता से समुचित सड़क पर चलना,

(ज) [illegible] और [illegible] रोक देना,

(झ) [illegible] बरतना,

(न) आपात स्थिति में और अन्यथा यान को रोकना और ऐसी दशा में यान को सड़क की यथोक्ति दिशा की ओर सुरक्षापूर्वक, यथोक्ति संकेत देते हुए खड़ा करना,

(ट) पीछे के गियर वाले यान की दशा में, यान को पीछे की ओर चलाना, परिसीमित स्थान में यान को दाई या बाई ओर नियंत्रित रूप में और युक्तियुक्त शुद्धता सहित पीछे चलाना,

(ठ) आगे तथा पीछे के गियरों की सहायता से यान का मुंह विपरीत दिशा में करना,

(ड) यातायात संकेतों, यातायात प्रकाशों, यातायात नियंत्रकों, पुलिस के आदमियों द्वारा दिए गए संकेतों पर ठीक-ठाक और तुरन्त कार्रवाई करना और सड़क का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए संकेतों पर समुचित कार्रवाई करना,

(ढ) ऐसे पैदल पार पथों पर जो यातायात प्रकाशों या यातायात पुलिस द्वारा विनियमित नहीं हैं, सड़क पार करने वाले व्यक्तियों को अधियान देते हुए, ठीक कार्य करना,

(ण) सामान्य चालन में ठीक से बाई ओर रहना,

(त) परिवर्ती सड़क और यातायात दशाओं के लिए उपयुक्त गति विनियमित करना,

(थ) जैसा और जब आवश्यक हो, विश्वासपूर्ण ढंग से स्टीयरिंग संभाल कर तथा आसानी से गियर बदलकर, ब्रेक लगाकर यान पर अपने सामान्य नियंत्रण का प्रदर्शन करना,

(द) संकेत देने, स्थिति परिवर्तन करने, दूर हटने, ओवरटेक करने के लिए दिशा परिवर्तन करने, दाई और घूमने या रुकने के पूर्व पीछे के दृश्यदर्शी शीशे का उचित उपयोग करना,

(ध) सीधे चलाते हुए, दाई ओर मुड़ते हुए, बाई ओर मुड़ते हुए और सड़क के संगम पर उचित साइड का उपयोग करना,

(न) एक्सीलेटर, क्लच, गियर, ब्रेक (हाथ और पैर का) स्टियरिंग और हॉर्न का उचित उपयोग करना,

(प) पैदल चलने वालों, अन्य यानों के चालकों और साईकिल चलाने वालों की क्रिया का पूर्वानुमान करना,

(फ) चौराहों पर और सड़क संगमों पर निम्नलिखित की बाबत पूर्वविधानी बरतना,

(i) पहुंच मार्ग पर गति का समायोजन,

(ii) पीछे के दृश्यदर्शी शीशे का उचित उपयोग,

(iii) दाई और बाई ओर मुड़ने के पूर्व और पश्चात यान को सही स्थिति में रखना,

(iv) दाएं हाथ के कोनों में मुड़ने से बचना,

(v) दाएं देखना, सड़क पार करने या दिखाई पड़ने पूर्व पुनः दाएं और बाएं देखना,

(ब) अपना ध्यान विचलित किए बिना चालन में ध्यान केन्द्रित करना और मस्तिष्क की उपस्थिति को दर्शित करना,

(भ) सड़क का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों जैसे पैदल चलने वाले, अन्य मोटर गाड़ियों के चालक या साइकिल चलाने वाले की सुरक्षा और सुविधा के लिए शिष्टता दर्शित करना

16. चालन अनुज्ञप्ति का प्ररूप : (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति प्ररूप 6 में होगी।

(2) [illegible] अनुज्ञापन प्राधिकारी [illegible] चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए [illegible] नहीं ऐसी कोई [illegible] की चालन अनुज्ञप्ति प्ररूप 7 में होगी।

इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख से ही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक चालन अनुज्ञप्ति प्ररूप 7 में होगी।

17. चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन :- (1) चालन अनुज्ञप्ति में दूसरे वर्ग या वर्णन के मोटरयान के परिवर्धन के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी, को प्ररूप 8 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :—

(क) आवेदन द्वारा धारित प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति,

(ख) किसी परिवहन यान के परिवर्धन के लिए किसी आवेदन की दशा में प्ररूप 5 में चालन प्रमाणपत्र,

(ग) शैक्षणिक अर्हताओं का साक्ष्य जैसा नियम 8 में विनिर्दिष्ट है,

(घ) समुचित फ़ीस, जैसी नियम 32 में विनिर्दिष्ट है।

(2) धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध, यावतशक्य उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी चालन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए किसी आवेदन के संबंध में लागू होते हैं।

18. चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण :--चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन उस क्षेत्र में, जिसमें आवेदक सामान्यतः निवास है या कारबार करता है, अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 9 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) नियम 32 में विनिर्दिष्ट रूप में समुचित फ़ीस,

(ख) यदि प्ररूप 6 में नवीकरण किया जाता है तो 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर के आकार के आवेदक के हाल के फ़ोटो की तीन प्रतियां,

(ग) चालन अनुज्ञप्ति,

(घ) प्ररूप 1 में चिकित्सीय प्रमाणपत्र।

(2) जहां चालन अनुज्ञप्ति ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को कोई परिवहन यान और साथ कोई अन्य यान के चलाने के लिए प्राधिकृत करती है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश किए जाने के अधीन रहते हुए, ऐसी अनुज्ञप्ति का समुचित अवधि के लिए, जो धारा 14 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, नवीकरण करेगा।

19. फ़ीस का प्रतिदाय - जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन किसी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन को नामंजूर करता है वहां वह आवेदक को ऐसी नवीकरण के लिए संदत्त की गई फ़ीस के आधे का आवेदन नामंजूर करने का आदेश प्राप्त किए जाने की तारीख से तीन दिन के पश्चात उस निमित्त उसके द्वारा किए गए आवेदन पर प्रतिदाय करेगा।

20. रक्षा विभाग के मोटरयान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति- धारा 18 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :--

(1) मेजर की और उससे ऊपर की रैंक के सेना की यूनिटों के सभी कमान आफ़िसर,

(2) लेफ्टीनेंट कमांडर की और उससे ऊपर की रैंक के नौसेना की यूनिटों के सभी कमान आफ़िसर,

(3) स्क्वाड्रन लीडर की और उससे ऊपर की रैंक के वायुसेना की यूनिटों के सभी कमान आफ़िसर।

निरर्हता

21. अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरर्हित करने की शक्ति :-धारा [illegible] की उपधारा (1) के खंड [illegible] के प्रयोजनों के लिए किसी चालन अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से किसी [illegible] के लिए न्यूसेंस या खतरा होंगे, अर्थात् :--

(1) मोटर यान की चोरी।

(2) यात्रियों पर हमला।

(3) यात्रियों की वैयक्तिक चीजबस्त की चोरी।

(4) माल वाहन में ले जाए जाने वाले माल की चोरी।

(5) विधि के अधीन प्रतिषिद्ध माल का परिवहन।

(6) ड्राइवर का यान चलाते समय दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत में लगना।

(7) यात्रियों का अपहरण।

(8) माल वाहन में अधिक माल का ले जाना।

(9) विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक गति पर चलाना।

(10) माल वाहन में व्यक्तियों को, या तो ड्राइवर की केबिन के अन्दर उसकी क्षमता से अधिक या गाड़ी पर, चाहे भाड़े के लिए हो या नहीं, ले जाना।

(11) धारा 134 के उपबन्धों का अनुपालन न करना।

(12) किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हो, संकेत दिए जाने पर न रोकना।

(13) यात्रियों, प्रत्याशित यात्रियों या माल के परेषकों और परेषितियों के साथ दुर्व्यवहार करना और अशिष्टता प्रदर्शित करना।

(14) लोक सेवा यानों को चलाते समय धूम्रपान करना।

(15) किसी सार्वजनिक स्थान में यान को इस प्रकार छोड़ देना जिससे कि सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों के और यान में यात्रियों को असुविधा हो।

(16) मदिरा या मादक द्रव्य के प्रभाव में रहते हुए यान चलाना।

(17) किसी अन्य यान पर चढ़े हुए या चढ़ने की तैयारी करते हुए किसी व्यक्ति को बाधा डालना।

(18) किसी व्यक्ति को इस प्रकार बैठने देना या किसी चीज को इस प्रकार रखने देना जिससे कि ड्राइवर के सड़क को स्पष्ट रूप से देखने में या यान का उचित नियंत्रण रखने में बाधा पड़े।

(19) किसी मंजिली गाड़ी को अनुमोदित रोकने के स्थान में कंडक्टर या यान से उतरने की वांछा करने वाले किसी यात्री की मांग या संकेत पर किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में पर्याप्त समय के लिए न रोकना और यात्री बनने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति की मांग या संकेत पर, जब तक कि यान में कोई स्थान न हो, न रोकना।

(20) निरुद्देश्य घूमना या यात्रा में असम्यक रूप से विलम्ब करना और यान को समय सारणी के अनुसार अथवा जहां कोई ऐसी समय सारणी न हो, युक्तियुक्त शीघ्रता से अपना गन्तव्य स्थान को अग्रसर न होना।

(21) ठेका गाड़ी को, किसी युक्तियुक्त कारण की अनुपस्थिति में अवक्रेता द्वारा नामित गन्तव्य स्थान को लघुतम मार्ग से न ले जाना।

(22) किसी मोटर कैब के ड्राइवर द्वारा भाड़े को प्रथम स्वीकार करने पर उस यात्रा को जिसके लिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है, [illegible] का ध्यान किए बिना की गई हो इंकार न करना।

(23) किसी मोटर कैब के ड्राइवर द्वारा उस किराए से, जिसका वह विधिक रूप से हकदार है, अधिक की मांग करना या [illegible] अथवा मोटर कैब चलाने से इंकार करना।

(24) यान को किसी हड़ताल में भाग लेने देना अथवा जनता या यात्रियों को असुविधा कारित करने की दृष्टि से युक्तियुक्त कारण के बिना यान को सड़क से हटा लेना।

चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन

22. न्यायालयों द्वारा पृष्ठांकन—इसमें नीचे विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए किसी अनुज्ञप्ति के धारक को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसी दोषसिद्धि की विशिष्टियां चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकित करेगा या करवाएगा, अर्थात् :—

(क) अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना जो प्रभावी है या ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना जो चलाए गए यान को लागू होती है, चलाना (धारा 3)।

(ख) अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति का प्रयोग करने देना धारा [6(2)]

(ग) निरर्हित होते हुए यान चलाना (धारा 23)

(घ) किसी अरजिस्ट्रीकृत यान को चलाना (धारा 39)

(ङ) ऐसे परिवहन यान को चलाना जो वैयक्तिक अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत नहीं है (धारा 56)

(च) धारा 66 के उल्लंघन में परिवहन यान को चलाना।

(छ) नियम 118 के उल्लंघन में चलाना।

(ज) धारा 114 के उपबन्धों का अनुपालन न करना।

(झ) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर इंकार करना या उसमें असफल रहना।

(ञ) यान को न रोकना (धारा 132)

(ट) पृष्ठांकन की विशिष्टियां दिए बिना अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना या उसके लिए आवेदन करना (धारा 182)

(ठ) अत्यधिक गति से यान चलाना (धारा 183)

(ड) खतरनाक रूप से चलाना (धारा 184)

(ढ) मत्तता या औषधि के असर में होते हुए मोटर यान चलाना (धारा 185)

(ण) उस समय चलाना जब मानसिक या शारीरिक रूप से चलाने के अयोग्य है (धारा 186)

(त) धारा 183 या 186 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना।

(थ) धारा 188 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना।

(द) अप्राधिकृत दौड़ या गति के परीक्षण में भाग लेना।

(ध) किसी यान का असुरक्षित दशा में उपयोग करना (धारा 190)

(न) ऐसे यान को चलाना जिसमें भार अनुज्ञेय सीमा से अधिक है (धारा 194)

(प) किसी अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करना या परिवर्तित अनुज्ञप्ति का उपयोग करना।

(फ) कारावास से दण्डनीय कोई ऐसा अपराध जिसके करने में मोटर यान का उपयोग किया गया था।

[illegible]

23. [illegible] अनुज्ञप्तियों [illegible] धारा 10 में [illegible] प्राधिकारियों द्वारा [illegible] अनुज्ञप्तियों के [illegible] अनुज्ञप्तियों का [illegible] रजिस्टर रखेंगे।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर की प्रति निदेशक (परिवहन अनुसंधान), भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेगी।

24. ड्राइविंग स्कूल और स्थापन--(1) कोई व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 11 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना मोटर यान चलाने में किराए या इनाम के लिए अनुदेश देने के लिए किसी ड्राइविंग स्कूल या स्थापन की स्थापना नहीं करेगा या उसे बनाए नहीं रखेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप 12 या प्ररूप 13 में उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले, जिसमें स्कूल या स्थापन स्थित है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी।

स्पष्टीकरण--इस नियम और नियम 25 से 28 तक के प्रयोजनों के लिए "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 213 के अधीन स्थापित मोटर यान विभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा:

(i) आवेदक और उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारिवृन्द अच्छे नैतिक चरित्र वाले हैं और चालन अनुदेश देने के लिए अर्हित हैं,

(ii) वह परिसर जहां स्कूल या स्थापन को चलाने का प्रस्ताव है या तो आवेदक के स्वामित्व में हैं या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है या उसके नाम में भाड़े पर लिया गया है और उसमें व्याख्या हाल प्रतिमानों के संप्रदर्शन के लिए कक्ष, प्रशासनिक अनुभाग, स्वागत कक्ष, सफाई व्यवस्था के लिए, चालन में अनुदेश देने के लिए उपयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत यानों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र के अतिरिक्त, पर्याप्त स्थान है:

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मोटरयानों के चलाने में अनुदेश देने वाले या उनसे संयुक्त विषयों पर स्कूल या स्थापनों के संबंध में, अनुज्ञापन प्राधिकारी उसी परिसर से जहां स्कूल या स्थापन छह मास की सीमित कालावधि के लिए बना हुआ है, इस तथ्य के होते हुए भी कि परिसर इस खण्ड में अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करता है, अनुदेश क्रियाकलापों के संचालन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(iii) प्रस्थापित स्कूल या स्थापन के वित्तीय स्रोत उसका अनुरक्षण बनाए रखने के लिए उपबन्ध करने के लिए पर्याप्त हैं;

(iv) आवेदक उस किस्म के, जिसमें स्कूल या स्थापन में अनुदेश दिए जाते हैं, कम से कम एक मोटरयान का स्वामी है और उसका अनुरक्षण करता है:

(v) यान अनुदेश देने के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपलब्ध है और सभी ऐसे यान, मोटर साईकिलों को छोड़ कर, अनुदेशक को यान का तुरन्त नियंत्रण करने या उसे रोकने में समर्थ बनाने के लिए दोहरी नियंत्रण प्रसुविधा से युक्त है;

(vi) आवेदक के पास निम्नलिखित [illegible] और अन्य उपकरण हैं, अर्थात्:—

(क) ब्लैक बोर्ड;

(ख) [illegible]

(ग) यातायात चिह्नों का चार्ट;

(घ) यातायात संकेतों पर चार्ट और यातायात नियंत्रकों द्वारा, जब स्वचालित संकेत न हों, दिए गए संकेतों पर चार्ट;

(ङ) मोटरयान के सभी संघटकों का ब्यौरेवार पृथक् प्रदर्शित करने वाला सेवा चार्ट;

(च) मोटरयान का इंजिन, गियर बाक्स, पीछे का एक्सल समंजन चेसिस समंजन और स्टियरिंग यांत्रिकी के साथ सम्पूर्ण हो, निलम्बन एक्सल और ब्रेक शूज, और उस मोटरयान के किस्म के हुम जिनमें स्कूल या स्थापन के अनुदेश दिए जाते हैं (सिवाए वहां के जहां आवेदक केवल मोटरयान चलाने में अनुदेश देने की बाधा करता है);

(छ) टायर लवर के साथ पंक्चर किट, व्हील ब्रेस, जैक और टायर दाब गेज;

(ज) स्पैनर (6 स्पैनरों का सैट, फ्रिक स्पैनर, प्लायर, स्क्रूड्राइवर, और हथौड़ा);

(झ) चालन अनुदेश मैनुअल;

(ञ) प्रशिक्षणार्थियों के लिए बेंचें और मेजें और कार्य के लिए बेंच;

(ट) प्रकाशों, स्वतः स्टार्टर, इग्नीशन कट-आउट, बैट्री और स्विचों के कार्यकरण को दर्शित करने के लिए सम्पूर्ण विद्युत उपस्कर;

(ठ) स्क्रीन सहित प्रोजेक्टर और सड़क सुरक्षा के बारे में संप्रदर्शन के लिए कम से कम 10 फिल्में;

परन्तु जहां आवेदक प्रोजेक्टर और स्क्रीन रखने में असमर्थ है वहां यह पर्याप्त होगा यदि आवेदक टेलीविजन या ऐसे ही संप्रदर्शन उपस्कर द्वारा पूर्व अभिलिखित विडियो कैसेटों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर दृश्य श्रव्य संप्रदर्शन के लिए प्रबन्ध कर दें।

(ड) आटोमोबाइल मोटर यांत्रिकी चालन, सड़क सुरक्षा यातायात विनियमन, मोटरयानों से संबंधित विधियों और संबंधित विषयों पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दोनों में किताबों वाला पुस्तकालय;

(ढ) परिसर में आपात में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार पेटिका जो पूर्णतः सज्जित हो।

(vii) किसी विशिष्ट परिक्षेत्र में स्कूल या स्थापन के लिए आवश्यकता;

(viii) आवेदक या अनुदेश देने के लिए उसके द्वारा नियोजित कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य के पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात्:—

(क) दसवें स्टैंडर्ड में उत्तीर्ण होने की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता;

(ख) मोटर यांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र के अतिरिक्त पांच वर्ष का न्यूनतम चालन अनुभव या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी इंजीनियरी में कोई अन्य समतुल्य अर्हता;

(ग) [illegible] विनिर्दिष्ट [illegible] और धारा 118 के अधीन बनाए गए [illegible] विनियमों का पूर्ण ज्ञान;

(घ) यानों के [illegible] पुर्जों के कृत्यों का [illegible] और [illegible] की योग्यता;

(ङ) अंग्रेजी या उस क्षेत्र की, जिसमें स्कूल या स्थापन स्थित है, क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक किसी अनुदेशक के रूप में सेवा की है, इस उपखण्ड की अपेक्षाओं से, छूट प्राप्त है।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उपनियम (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदक ने उपनियम (3) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, प्ररूप 11 में अनुज्ञप्ति को मंजूर कर सकेगा या नवीकृत कर सकेगा।

(5) अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदक के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इंकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे इंकार किए जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से कारण न दिए गए हों।

25. अनुज्ञप्ति की अवधि और उसका नवीकरण— प्ररूप 11 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व प्ररूप 13 में किए गए आवेदन पर नवीकृत की जा सकेगी।

26. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना (1) यदि किसी समय नियम 24 के उपनियम (4) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो अनुज्ञप्ति का धारक उसके खो जाने की सूचना तुरन्त उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी और उक्त प्राधिकारी को प्ररूप 12 में दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा।

(2) नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ किसी आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा जिस पर स्पष्ट रूप से 'दूसरी प्रति' चिन्हित होगा।

(3) यदि प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के जारी करने के पश्चात मूल प्रति मिल जाती है तो वह तत्काल उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को जिसने उसे जारी किया था, अभ्यर्पित कर दी जाएगी।

27. किसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा पालन की जाने वाली साधारण शर्तें नियम 24 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का धारक —

(क) प्ररूप 14 में वार्षिक आधार पर रजिस्टर रखेगा और वर्ष के दौरान दाखिल किए गए विद्यार्थियों के नाम की वर्णक्रमानुसार सूची रखेगा,

(ख) नियम 31 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करेगा,

(ग) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसके समक्ष प्रशिक्षणार्थी को चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना है, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के संबंध में प्ररूप 14 में की गई प्रविष्टियों का उद्धरण स्कूल या स्थापन में विद्यार्थी के प्रवेश के सात दिन के भीतर भेजेगा।

(घ) प्रत्येक विद्यार्थी को, जिसने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, प्ररूप 5 में प्रमाणपत्र जारी करेगा,

(ङ) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी, ऐसी जानकारी या विवरणी जो उसके द्वारा समय समय पर इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा

(च) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के, जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी, लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति में वर्णित परिसर से स्कूल या स्थापन को हटाएगा नहीं।

(छ) स्कूल या स्थापन के परिसर और उनके द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और रजिस्टरों को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनु-ज्ञापन प्राधिकारी द्वारा या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।

(ज) अनुदेश देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अपने सभी मोटरयानों पर सहजदृश्य रूप में स्कूल या स्थापन का नाम और पूरा पता और टेलीफोन नं., यदि कोई हो, स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करेगा।

(झ) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए प्ररूप 15 में प्रत्येक दिन बिताए गए चालन घंटों की संख्या प्रदर्शित करते हुए पृथक रूप से अभिलेख रखेगा,

(ञ) अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :—

(i) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा स्कूल या स्थापन को मूल रूप से जारी की गई अनुज्ञप्ति, और

(ii) स्कूल या स्थापन द्वारा नियोजित अनुदेशकों के नाम और पते,

(ट) स्कूल या स्थापन से अनुदेश प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार अन्यथा व्यक्ति के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता के बारे में भुलावा देने वाली या इस अध्याय के उपबन्धों को परिवंचना देने की दृष्टि से किसी कार्य को करने या लोप करने में किसी व्यक्ति के साथ मौनानुमति देने वाली रीति से कार्य नहीं करेगा।

28. अनुज्ञप्ति निलंबित करने या प्रतिसंहृत करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्ति—(1) यदि उस अनुज्ञापन प्राधिकारी का, जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की थी, अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि वह,

(क) नियम 24 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहा है, या

(ख) उन यानों को, जिनमें अनुदेश दिए जा रहे हैं, अच्छी दशा में रखने में असफल रहा है, या

(ग) अनुदेश देने में नियम 31 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम का अनुपालन करने में असफल रहा है, या

(घ) नियम 27 के किसी अन्य उपबंध का अतिक्रमण करता है, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से,—

(i) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए,

(ii) अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करते हुए,

आदेश कर सकेगा।

(2) जहां अनुज्ञप्ति उपनियम (1) के अधीन निलंबित या प्रतिसंहृत की जाती है वहां अनुज्ञप्ति उसके धारक द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दी जाएगी।

29. अपील—नियम 24 के उपनियम (5), नियम 25 या नियम 28 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिनियम की धारा 213 के अधीन गठित मोटरयान विभाग के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा।

30. अपील के लिए प्रक्रिया—(1) नियम 29 के अधीन कोई अपील अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के संबंध में आक्षेपों के आधार उपदर्शित करते हुए ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रमाणित प्रति और नियम 32 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी।

(2) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

31. मोटर यानों के चालन में अनुदेश देने के लिए पाठ्यक्रम—(1) स्कूलों या स्थापनों के मोटर यानों के चालन में अनुदेश देने के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :—

क—ड्राइविंग थ्योरी—I

1. अपने वाहन को जानिए :	आटोमोबाइल इंजिन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए साधारण अनुदेश
2. वाहन नियंत्रण :	
फुट कन्ट्रोल	फुट ब्रेक : एक्सीलेटर, क्लच डिपर (वर्तमान माडल में नहीं)
हैंड कन्ट्रोल	स्टीयरिंग व्हील, हैंडब्रेक, हार्न, लाइट, वाइपर, इग्निशन स्विच, स्टार्टर डिपर और इंडीकेटर।
अन्य नियंत्रण	रियर व्यू मिरर (दायीं और बायीं तरफ) डेश बोर्ड, क्लस्टर गौजिज, डोयलस, विंड स्क्रीन—उनके उद्देश्य
3. ड्राइविंग-पूर्व जांच :	(1) ड्राइवर की सीट पर बैठने से पूर्व। (2) ड्राइवर की सीट पर बैठने के बाद।
4. ड्राइव शुरू करते समय :	चलने से पूर्व सावधानियां — चलते समय — बाइटिंग प्वाइंट — चलना — स्टीयरिंग नियंत्रण — गियर बदलना। — रोकना — ब्रेक लगाना — एक्सीलेटर (धीरे-धीरे अचानक) —ट्रैफिक जानकारी, मार्ग जानकारी, निर्णय, सड़क प्रयोक्ताओं के अनुसार पार्किंग और पोजीशनिंग —रिवर्सिंग
5. सड़क पर ड्राइविंग :	पूर्वाभास, अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के अनुसार निर्णयन एवं रोड पोजीशनिंग
6. चौराहों पर ड्राइविंग :	— मिरर सिगनल और युक्तिचालन (एम एस एम) तथा पोजीशन स्पीड — देखना (पी एस एल) — नजर का क्षेत्र।
7. युक्ति चालन	— मर्जिन और ड्राइवजिंग युक्तिचालन—दाएं, बाएं युक्तिसंग्रह मोड़ 3 प्वाइंट मोड़, 5 प्वाइंट मोड़, खड़े वाहनों पर यू-टर्न, वाहन का दाएं और बाएं चलना।
8. रिवर्सिंग	— बैठी स्थिति में रिवर्सिंग ढूंढना, स्पीड नियंत्रण, एस-बैंड और ग्राम गलियों में रिवर्स स्टीयरिंग।
9. पार्किंग	— समानान्तर कोणीय लम्बीय पार्किंग फेसिंग अपहिल पार्किंग फेसिंग डाउन हिल पार्किंग।
10. मार्ग पर ड्राइवर की जिम्मेदारी	— ड्राइविंग व्यवहार, अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के लिए विनम्रता और प्रतिस्पर्धात्मक अति-आत्मविश्वास, अधीरता और रक्षात्मक ड्राइविंग — रेलवे क्रासिंग पर ड्राइविंग करते समय कारों के बीच दूरी।
11. कुछेक वाहनों के लिए अपवाद	— आपातकालीन वाहन। — आग इंजिन तथा — एम्बुलेंस

ख—ट्रैफिक शिक्षण—I

1. ड्राइविंग विनियम :	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 118 के अधीन बने सड़क प्रयोग विनियम।
2. हैंड सिगनल	
3. ट्रैफिक चिन्ह	मोटर यान अधिनियम, 1988 की अनुसूची।
4. ट्रैफिक कान्स्टेबल ट्रैफिक वार्डन के हैंड सिगनल।	
5. आटोमैटिक लाइट सिगनल्स का पालन	

6. रोड मार्किंग का परिचय।

7. राष्ट्रीय राजमार्गों और नगर मार्गों पर स्पीड विनियम।

8. आपत्तिजनक स्थलों पर पार्किंग।

9. मोटर यान अधिनियम, 1988 के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध —मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 123, 125, 126 तथा 128।

10. ड्राइव करने के लिए सक्षमता टैस्ट : केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 का उपनियम (3)

ग—हल्के वाहन की ड्राइविंग प्रैक्टिस

1. वाहनों के विभिन्न भागों की पहचान

2. ड्राइविंग से पूर्व जांच।

3. स्टीयरिंग प्रैक्टिस : पुश एंड पुल मैथड

4. ड्राइविंग प्वाईंट

5. मूविंग एण्ड गियर चेंजिंग।

6. स्टापिंग
— नार्मल स्टापिंग
— आपातकालीन स्टापिंग

7. सड़क पर ड्राइव करने के लिए मूल्यांकन एवं पूर्वाभास का विकास।

8. रिवर्सिंग
— सीधे में।
— "एस" झुकाव में।

9. मोड़ना और पार्किंग :

10. लाइसैंसिंग।

घ—वाहन-रचना और मरम्मत

1. वाहन तैयार करना।

2. डीजल और पैट्रोल इंजिन का कार्य

3. ईंधन प्रणाली :
— ईंधन लाइनें।
— ईंधन इंजेक्शन पंप
आटोमाइजर
— एयर लॉक
— आयल ब्लाक

4. कूलिंग प्रणाली :
— उद्देश्य
— रेडियेटर
— फैन लीफ/फैन बैल्ट]
— रेडियेटर वाटर वायलिंग
— रेक्टीफ़िकेशन

5. लूबरीकेशन प्रणाली :
— उद्देश्य
— इंजिन लूबरीकेशन
— चैसिस लूबरीकेशन
— आयल ग्रेड नम्बर्स यूनीटवाइज।

6. ट्रांसमिशन प्रणाली—
(क) क्लच—कार्य
—भाग
— राइजिंग
— लिकेजिज
(ख) गियर बाक्स
— कार्य
— उद्देश्य
— भाग

	(ग) प्रोपेलर शाफ्ट —कार्य/उद्देश्य —यूनि ज्वाइंट —सी वी जीयरिंग स्लिप —+ यू ज्वाइंट —लुब्रीकेशन (घ) डिफरेंशियल —उद्देश्य —कार्य/मोर
7. सस्पेंशन प्रणाली :	—उद्देश्य —स्प्रिंग —शोकल, शेकल पिन बुशिज, शॉक— एब्जॉर्बर तथा उनके बुशिज ।
8. स्टीयरिंग प्रणाली :	—उद्देश्य —स्टीयरिंग ज्यामिती —स्टीयरिंग लिंकेज —स्टीयरिंग बाक्स
9. ब्रेक प्रणाली :	—उद्देश्य —हाइड्रॉलिक ब्रेक और उसकी जानकारी । —एयर एसिस्टिड हाइड्रॉलिक ब्रेक और उसकी जानकारी । —एयर ब्रेक और इसकी जानकारी —संपूर्ण प्रणाली का ब्रेक एडजेस्टमेंट
10. विद्युत प्रणाली	—बैट्री और इसकी स्थिति । —डायनेमो/आल्टरनेटर —सैल्फ मोटर-स्टार्टर मोटर —रेगुलेटर्स —लाइटें—एमपीयर मीटर में चार्जिंग रेट पढ़ने का ज्ञान ।
11. टायर :	—टायरों का अध्ययन । —अनुरक्षण । —दोषपूर्ण टायरों और व्हील एलाइनमेंट के प्रभाव
12. इंस्ट्रूमेंट कल्स्टर डैश बोर्ड मोटर तथा उनके उद्देश्य और कार्य	

ङ—मझोले और भारी वाहनों की ड्राइविंग

ड्राइविंग थ्योरी-2

1. अच्छे ड्राइवर के गुण :	—धैर्य-उत्तरदायित्व-आत्मविश्वास, पूर्वाभास, एकाग्रचितता, विनम्रता, रक्षात्मक ड्राइविंग—सड़क नियम विनियमों का ज्ञान, वाहन नियंत्रण का ज्ञान, अनुरक्षण एवं साधारण रचना ।
2. वाहन नियंत्रण का ज्ञान	प्रमुख नियंत्रण —लघु नियंत्रण
3. नियंत्रण की प्रतिक्रिया	—एक्सीलेरेटर —ब्रेक—कामिक/अकस्मात/अकस्मात तीव्र —क्लच]] —स्टीयरिंग ।
4. ड्राइविंग पूर्व जांच	
5. स्टीयरिंग व्हील पकड़ना,	—पुश एण्ड पुल मैथड प्रैक्टिस —आन दी मूव —गियर चैंज करते समय । —मोड़ते समय ।

	— आर्न देते समय।
	— डैश बोर्ड स्विच चलाते समय।
	— सिगनल देते समय।
	— आपात कालीन स्थिति में।
6. गियर बदलना	— डबल डी-क्लचिंग महत्व और तरीका, सिंगल क्लचिंग
	— गियर अप तरीका, निचले गियर शिफ्ट करना
	— गियर डाउन तरीका, ऊपरले गियर को शिफ्ट करना।
7. ड्राइविंग शुरू करना	— 1 गियर
	— 2 गियर
	— 3 गियर
	— 4 गियर
	— 5 गियर
	— रिवर्स गियर
	— ओवर ड्राइव/आपशनल।
8. एम एम एम और पी एस एल रोटीनज:	
9 युक्तिचालन	— पॉसिंग
	— मर्जिंग
	— डाइवर्जिंग
	— ओवर टेकिंग
	— क्रासिंग
	— टर्निंग
	— कार्नरिंग
	— रिवर्सिंग
	— पार्किंग
10. स्टापिंग	— नार्मल स्टापिंग
	— आपातकालीन स्टापिंग
	— इंजिन ब्रेक/एग्जाहस्ट ब्रेक का प्रयोग।
11. स्टापिंग डिस्टेंस	— रिएक्शन डिस्टेंस
	— ब्रेकिंग डिस्टेंस
12. फालोइंग डिस्टेंस	— ब्रेकिंग डिस्टेंस
	— अर्थ
	— डिस्टेंस मैथड
	— कार लैम्प मैथड
	— 2 सैकिंड टाइमरूल मैथड
13. पहचान, भविष्यवाणी, निर्णय और अनुपालन (आईपी डी ई) नियम	
14. रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक	— निर्णय
	— पूर्वानुमान
	— निकलने का मार्ग
15. नाइट ड्राइविंग	— हैड लाइट स्विच की स्थिति
	— प्रक्रिया
	— लैम्पें जलाने का दायित्व, लैम्प जलाने पर प्रतिबंध।
16. हिल ड्राइविंग	— पहाड़ी म ड्राइविंग शुरू करते समय पार्किंग ब्रेक मैथड का प्रयोग।
	— कल्च मैथड छोड़ना।
	— ड्राइविंग दी अप-हिल
	— ड्राइविंग-इन डाउन-हिल

17. आपातकालीन युक्ति—चालन	— इलाज से परहेज बेहतर है— स्किडिंग हार्न स्टेक — फ़ायर व्हीलज कमिक हाउट — ब्रेक फ़ेल होना। — ब्रोकन स्टेब एक्सल। — फ्रंट टायर का वर्सट होना। — स्टीयरिंग बॉवलिंग। — स्टीयरिंग लिकेजिज की स्नैपिंग। — एक्सीलेटर पैडल का उछलना। — क्लच रॉड की स्नैपिंग
	— अयोग्य वाहन के साथ अचानक टक्कर की विशिष्ट स्थिति में। — पहाड़ी उतरते समय ब्रेक फ़ेल होने की स्थिति। — यान के समक्ष अचानक रुकावट।
18. विशिष्ट स्थितियों में ड्राइविंग	— भीगे मौसम में। — सांझ, धुधलके तथा धूल भरी सड़कों में। — ट्रैफ़िक में।
19. टोविंग (ट्रेलर ड्राइविंग)	— प्रक्रिया। — टोव बोर्ड पर। — नियंत्रण की स्पीड। — रिवर्सिंग और वाहन को ट्रेलर के साथ पोजीशन करना।
20. ईंधन बचत के तरीके।	
21. रिपोर्ट—विचार—विमर्श	
(च) ट्रैफ़िक शिक्षण II	
1. अगले मार्ग की जानकारी	— कार्यात्मक वर्गीकरण। — डिजाइन स्पीड। — मार्ग ज्यामिती। — सर्फ़ेस टाइपस एण्ड करेक्टरीस्टिक्स। — ढाल और ऊंचाई।
2. स्थलीय दूरी :	— झुकावों पर। — चौराहों पर।
3. मार्ग—संयोजन :	— नियम एवं प्रकार। — टी संयोजन। — वाई संयोजन। — चार लेन वाले संयोजन। — फ़ैले हुए (भटके हुए) संयोजन। — नियंत्रित संयोजन। — अनियंत्रित संयोजन।
4. ट्रैफ़िक द्वीप	— चक्करदार मार्गों के प्रकार। — माध्यम।
5. वाईपास, रास्ते, एवर ब्रिज-तथा फ्लाईओवर	— उद्देश्य। — ड्राइविंग प्रक्रिया।
6. बस स्टाप, बस टर्मिनल, बस स्टेंड	— प्रवेश। — निकास। — तरीका।
7. मार्ग सीमांकन	— सफ़ेद लाइन, लगातार और टूटी हुई। — पीली लाइन। — लाइन सीमांकन।

	— आर्न देते समय।
	— डैश बोर्ड स्विच चलाते समय।
	— सिगनल देते समय।
	– आपात कालीन स्थिति में।
6. गियर बदलना	— डबल डी-क्लचिंग महत्व और तरीका, सिंगल क्लचिंग
	— गियर अप तरीका, निचले गियर शिफ्ट करना
	— गियर डाउन तरीका, उपरले गियर को शिफ्ट करना।
7. ड्राइविंग शुरू करना	— 1 गियर
	— 2 गियर
	— 3 गियर
	— 4 गियर
	— 5 गियर
	— रिवर्स गियर
	— ओवर ड्राइव/ऑपशनल।
8. एम एम एम और पी एस एल रोटीनज:	
9 युक्तिचालन	— पोसिंग
	— मर्जिंग
	— डाइवर्जिंग
	— ओवर टेकिंग
	— क्रासिंग
	— टर्निंग
	— कार्नरिंग
	— रिवर्सिंग
	— पार्किंग
10. स्टापिंग	— नार्मल स्टापिंग
	— आपातकालीन स्टापिंग
	— इंजिन ब्रेक/एग्जाहस्ट ब्रेक का प्रयोग।
11. स्टापिंग डिस्टेंस	— रिएक्शन डिस्टेंस
	— ब्रेकिंग डिस्टेंस
12. फ़ालोइंग डिस्टेंस	— ब्रेकिंग डिस्टेंस
	— अर्थ
	— डिस्टेंस मैथड
	— कार लैग्थ मैथड
	— 2 सैकिंड टाइमरूल मैथड
13. पहचान, भविष्यवाणी, निर्णय और अनुपालन (आईपी डी ई) नियम	
14. रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक	— निर्णय
	— पूर्वानुमान
	— निकलने का मार्ग
15. नाइट ड्राइविंग	— हैड लाइट स्विच की स्थिति
	— प्रक्रिया
	— लैम्पें जलाने का दायित्व, लैम्प जलाने पर प्रतिबंध।
16. हिल ड्राइविंग	— पहाड़ी म ड्राइविंग शुरू करते समय पार्किंग ब्रेक मैथड का प्रयोग।
	— क्लच मैथड छोड़ना।
	— ड्राइविंग दी अप-हिल
	— ड्राइविंग-इन डाउन-हिल

17. आपातकालीन युक्ति—चालन

— इलाज से परहेज बेहतर है—
स्किडिंग हार्न स्टेक
— फ़ायर व्हीलज कर्मिक हाउट
— ब्रेक फ़ेल होना।
— ब्रोकन स्टेब एक्सल।
— फ्रंट टायर का बर्सट होना।
— स्टीयरिंग बॉवलिंग।
— स्टीयरिंग लिंकेजिज की स्नैपिंग।
— एक्सीलेटर पैडल का उछलना।
— क्लच रॉड की स्नैपिंग.

— अयोग्य वाहन के साथ अचानक टक्कर की विशिष्ट स्थिति में।
— पहाड़ी उतरते समय ब्रेक फ़ेल होने की स्थिति।
— यान के समक्ष अचानक रुकावट।

18. विशिष्ट स्थितियों में ड्राइविंग

— भीगे मौसम में।
— सांझ, धुधलके तथा धूल भरी सड़कों में।
— ट्रैफ़िक में।

19. टोविंग (ट्रेलर ड्राइविंग)

— प्रक्रिया।
— टोव बोर्ड पर।
— नियंत्रण की स्पीड।
— रिवर्सिंग और वाहन को ट्रेलर के साथ पोज़ीशन करना।

20. ईंधन बचत के तरीके।

21. रिपोर्ट—विचार—विमर्श

(च) ट्रैफ़िक शिक्षण II

1. अपने मार्ग की जानकारी

— कार्यात्मिक वर्गीकरण।
— डिजाइन स्पीड।
— मार्ग ज्यामिती।
— सर्फ़ेस टाइपस एण्ड करेक्टरीस्टिक्स।
— ढाल और ऊंचाई।

2. स्थलीय दूरी :

— झुकावों पर।
— चौराहों पर।

3. मार्ग-संयोजन.

— नियम एवं प्रकार।
— टी संयोजन।
— वाई संयोजन।
— चार लेन वाले संयोजन।
— फ़ैले हुए (भटके हुए) संयोजन।
— नियंत्रित संयोजन।
— अनियंत्रित संयोजन।

4. ट्रैफ़िक द्वीप

— चक्करदार मार्गों के प्रकार।
— माध्यम।

5. बाईपास, रानसे, ऊपर ब्रिज-तथा फ्लाईओवर

— उद्देश्य।
— ड्राइविंग प्रक्रिया।

6. बस स्टाप, बस टर्मिनल, बस स्टैंड

— प्रवेश।
— निकास।
— तरीका।

7. मार्ग सीमांकन

— सफ़ेद लाइन, लगातार और टूटी हुई।
— पीली लाइन।
— लाइन सीमांकन।

- जेबरा क्रासिंग।
- स्टाप लाइन।
- पार्किंग सीमांकन।
- मार्ग सिगनलों की दशा।

8. लेन का चुनाव और लेन अनुशासन।

9. स्वचालित लाइट सिगनल।

10. मार्ग उपयोक्ता विशेषतासूचक:
- पैदल, शराब पिए हुए, बच्चे और अंधे, बहरे और गूंगे।
- जवान, वृद्ध, बच्चों सहित स्त्रियां।
- धीमी गति के वाहन।
- मोपेड और मोटर साइकिल।
- आटो टेम्पू और वैनें।
- बसें और ट्रक।
- वी आई पी, एम्बुलेंस, आग इंजिन।
- पशु।

11. दुर्घटनाएं।
- दुर्घटनाओं के प्रकार।
- दुर्घटनाओं के कारण।
- बचाव के तरीके।
- दुर्घटनाएं होने पर ड्राइवर के दायित्व और जिम्मेदारियां।

12 मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 तथा राज्य मोटर यान नियम
- विभिन्न परिभाषाएं।
- ड्राइविंग लाइसेंस और उनका नवीकरण।
- ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस और बीमा, परमिट टैक्सेशन कार्ड अथवा परमिट टोकन का उठाना और जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे कागजात उपलब्ध कराना।
- ट्रैफिक अपराध और अधिनियमों व नियमों के अधीन निर्दिष्ट किए गए दण्ड।
- पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के सुसंगत उद्धरण।
- सिटी पुलिस अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता, 1860।

(छ) ड्राइवरों के लिए सार्वजनिक सम्पर्क:
अन्य सड़क प्रयोक्ताओं के साथ नैतिक और विनम्र व्यवहार के संबंध में कुछ प्राथमिक पहलू।

(ज) भारी वाहन ड्राइविंग प्रक्टिस:

1. विभिन्न उपकरणों का परिचय-डायल गैग और नियंत्रण

2. ड्राइविंग पूर्व जांच:

3. ड्राइव शुरू करते समय:
- वाइटिंग प्वाइंट मूविंग, डबल डीकल्च, स्टीयरिंग सहित गियर बदलना स्टापिंग हैड सिगनल।
- आई बी डी ई का प्रयोग-नियम।

4. ग्रामीण मार्गों पर ड्राइविंग

5. निर्णयन का विकास
- पॉसिंग, ओवरटेकिंग मर्जिंग, डाइवर्शन एम. एस. एम. और पी. एस. एल. प्रेक्टिस के स्टीन तरीके रक्षात्मक ड्राइविंग तरीकों का सही पालन।

6. पूर्वाभास का विकास
- मोड़ना, मिलाना, चौराहों पर प्रवेश और मिलन, चुनाव और लेन नियम।
- चौराहा अवलोकन।

7. भीड़ वाली गलियों में ड्राइव करने की निपुणता विकसित करना।

8. रात्रि ड्राइविंग।

9. आउटर कन्ट्री प्रेक्टिस और पहाड़ी ड्राइविंग।

10. आंतरिक ट्रेड टैस्ट।

11. पीछे मोड़ना (रिवर्सिंग) और पार्किंग प्रक्टिस।

12. लाइसेंसिंग।

झ. आग संकट :

वाहन पर आग लगना और उसके बचाव के उपाय।

ञ. वाहन अनुरक्षण :

1. निकृष्ट और असावधान ड्राइविंग के कारण वाहन के हिस्सों (कलपुर्जों) को प्रभावित करने वाले तत्व।

2. सामान्य दैनिक अनुरक्षण और आवधिक अनुरक्षण।

3. बैट्री अनुरक्षण।

4. टायर अनुरक्षण और ट्यूब वल्केनाइजिंग।

5. इंजिन ट्यून अप।

6. व्हील एलाइनमेंट जांच।

7. ब्रेक एडजस्टमेंट।

8. एसीलेटर, ब्रेक, क्लच-पैडल एडजेस्टमेंट।

9. फैन बेल्ट एडजेस्टमेंट।

10. डैश बोर्ड मीटरों का अवलोकन।

11. लुब्रीकेशन।

12. एयर लॉक और ऑयल ब्लाक को हटाना।

ट. प्राथमिक चिकित्सा

1. प्राथमिक चिकित्सा का परिचय।

2. प्राथमिक चिकित्सा की आउटलाइन।

3. शरीर की संरचना और कार्य।

4. ड्रेसिंग और पट्टी करना।

5. रक्त-संचार।

6. जख्म और रक्तस्राव।

7. विशिष्ट क्षेत्रों से रक्तस्राव।

8. आघात।

9. श्वसन।

10. हड्डियों की चोट।

11. बर्निंग स्केल्स।

12. अवचेतना (इंटरसिवीलिटी)।

13. जहर।

14. प्रकीर्ण शर्तें।

(2) नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के ट्रेनिंग-ड्राइवरों के लिए पाठों में उप-नियम (1) के भाग क, ख, ग, घ, च, छ, और ट कवर होंगे तथा इनके लिए प्रशिक्षण-काल 45 दिन से कम नहीं होगा।

(3) ट्रांसपोर्ट वाहनों के ट्रेनिंग ड्राइवरों के लिए पाठों में उप-नियम (1) के भाग ङ, च, छ, ज, और ट कवर होंगे और इनके लिए प्रशिक्षण काल भारी वाहनों के लिए 60 दिन तथा मध्यम या हल्के वाहनों के लिए 45 दिन से कम नहीं होगा।

(4) नान-ट्रांसपोर्ट वाहन चालन के प्रशिक्षणार्थियों के लिए वास्तविक चालन घंटे, चौबीस घंटे से कम नहीं होंगे और ट्रांसपोर्ट वाहन चालन के प्रशिक्षणार्थियों के लिए वास्तविक चालन घंटे, तीस घंटे से कम नहीं होंगे।

32. फीस—वह फीस जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन भारित की जाएगी वह होगी जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है :

सारणी

क्रम सं.	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के संबंध में रकम	पन्द्रह रुपए	10	3
2.	प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के संबंध में	बीस रुपये	14 (ख)	—
3.	प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के संबंध में	पैंतालीस रुपए	14 (ख)	—
4.	चालन के लिए सक्षमता परीक्षण के संबंध में	पन्द्रह रुपए	14 (ख)	—
5.	प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति में किसी दूसरे वर्ग के यान का परिवर्धन करने के संबंध में	पन्द्रह रुपए	17 (1) (घ)	—
6.	प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के संबंध में	पन्द्रह रुपए	15 (1) (क)	—
7.	ऐसे मोटरयान चलाने के लिए जिसके लिए आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात किया गया है, प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के संबंध में	पन्द्रह रुपए एक वर्ष या उसके भाग के विलम्ब की कालावधि के लिए जिसकी गणना रियायती अवधि की समाप्ति की तारीख से की गई हो, दस रुपए की दर के अतिरिक्त।	—	15 (4)
8.	प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति में दूसरे वर्ग के मोटरयान के परिवर्धन और प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति के पंजीकरण के संबंध में	चालीस रुपए	17 (1) (घ). 18(1)(क)	15 (4)
9.	चालन में अनुदेश देने के लिए किसी स्कूल या संस्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के जारी करने और उसकी नवीकरण करने के संबंध में	पांच सौ रुपए	24 (2)	
10.	चालन में अनुदेश देने वाले स्कूल या संस्थापन के लिए अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के जारी करने के संबंध में	पचास रुपए	26 (2)	
11.	नियम 30 में निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में	पचास रुपए	30 (1)	

अध्याय 3

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

33. रजिस्ट्रीकरण से छूट के लिए शर्तें—धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन के लिए किसी व्यौहारी (डीलर) के कब्जे में का मोटरयान रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता से इस शर्त के अधीन छूट प्राप्त होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकर्ता, प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करता है जिसकी उस क्षेत्र में अधिकारिता है जिसमें व्यौहारी (डीलर) का इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कारबार का स्थान है।

34. व्यवसाय प्रमाणपत्र—(1) व्यवसाय प्रमाणपत्र के दिए जाने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन, प्ररूप 16 में किया जाएगा और उसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी।

(2) निम्नलिखित वर्गों के यानों में से प्रत्येक के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मोटर साइकिल,

(ख) अशक्त यात्री गाड़ी;

(ग) हल्का मोटर-यान

(घ) मध्यम यात्री मोटर यान;

(ङ) मध्यम माल यान;

(च) भारी यात्री मोटर यान;

(छ) भारी माल यान;

(ज) विशिष्ट वर्णन का कोई अन्य मोटर यान।

35. व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना या नवीकरण—

(1) किसी यान के संबंध में किसी व्यवसाय प्रमाणपत्रों के दिए जाने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक एक सद्भावपूर्वक व्यवहारी है और उसे आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों की अपेक्षा है, तो वह आदेश द्वारा आवेदक को प्ररूप 17 में, यथास्थिति एक या अधिक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और प्रत्येक प्रमाणपत्र की बाबत व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न समनुदेशित करेगा जिसमें प्रत्येक यान के लिए अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्न और दो अक्षर तथा तीन संख्याओं से अनधिक का एकसंख्यांक होगा, जैसे :

कख—राज्य कोड को प्रकट करता है।

12—रजिस्ट्रीकरण जिला बोर्ड

व्य. पत्र—यान के लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र।

(2) व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए किसी आवेदन को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है और ऐसी नामंजूरी के लिए लिखित रूप में कारण नहीं दिए जाते हैं।

36. प्रतिदाय—जहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है वहां वह आवेदक को आवेदन के साथ संदत्त फीस के पचास प्रतिशत का प्रतिदाय करेगा।

37. विधिमान्यता की अवधि—नियम 35 के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया व्यवसाय प्रमाणपत्र, उसके जारी अथवा नवीकृत किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा और समस्त भारत में प्रभावी होगा।

38. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—

(1) यदि किसी समय व्यवसाय प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसका धारक उसकी उस पुलिस थाने को, जिसकी अधिकारिता में वह गुम या नष्ट हुआ है, रिपोर्ट करेगा और उस तथ्य की सूचना लिखित रूप में उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया था और प्ररूप 18 में नियम 81 में विनिर्दिष्ट रूप में समुचित फीस के साथ दूसरी प्रति के लिए उक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) फीस के साथ आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी "सही प्रमाणपत्र" के रूप में दूसरी प्रति जारी कर सकेगा, जिस पर स्पष्ट रूप से "दूसरी प्रति" चिह्नित होगा।

(3) यदि, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के पश्चात् मूल प्रति बाद में मिल जाती है तो वह तुरन्त उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दी जाएगी जिसके द्वारा वह जारी की गई थी।

39. व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्यांक का उपयोग—

(1) एक व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्यांक का उपयोग एक ही समय में एक से अधिक यानों पर या उस यान से भिन्न किसी यान पर नहीं किया जाएगा जो किसी व्यवहारी के कारबार के अनुक्रम में उसके सद्भावपूर्वक कब्जे में है या ऐसे यान से भिन्न किसी प्रकार के यान पर उसका उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(2) व्यवसाय प्रमाणपत्र मौसम रोधी परिपत्र फोल्डर में मोटर यान में ले जाया जाएगा और व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिह्न को यान में सहज-दृश्य स्थान में संप्रदर्शित किया जाएगा।

40. व्यवसाय प्रमाणपत्र या व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्यांक के उपयोग पर निर्बंधन—

व्यवसाय प्रमाणपत्र का प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसे वह जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति उसके संबंध में प्रमाणपत्र या समनुदेशित संख्यांक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या उसकी प्रस्थापना नहीं करेगा या उसका उपयोग नहीं होने देगा,

परन्तु इस नियम के उपबंध वहां नहीं लागू होंगे जहां ऐसा व्यक्ति जिसको प्रमाणपत्र दिया गया है या उसके नियोजन में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके प्राधिकार के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो किसी व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक की ओर से सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, यान में उपस्थित है या यदि ऐसा यान केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए परिकल्पित है और उसका उपयोग उचित परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए उस यान के किसी भावी क्रेता द्वारा किया जाता है।

41. प्रयोजन जिनके लिए व्यापार प्रमाणपत्र सहित मोटर यान का उपयोग किया जा सकेगा—

व्यवसाय प्रमाणपत्र का धारक उस प्रमाणपत्र के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटरयान का उपयोग निम्नलिखित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा—

(क) सन्निर्माण या मरम्मत के अनुक्रम के दौरान या उसके पूरा होने होने के पश्चात किसी व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक द्वारा या उसकी ओर से जांच के लिए, या

(ख) तोलन के लिए या उसके पश्चात् तोलसेतु को अग्रसर या उससे वापसी के लिए, या उसके रजिस्ट्रीकरण के किसी स्थान को या उसके; या

(ग) भावी क्रेता के द्वारा या उसके फायदे के लिए उचित जांच या प्रदर्शन के लिए और उस स्थान को अग्रसर होने या उससे वापसी के लिए जहां ऐसा व्यक्ति उसे रखने का आशय रखता हो; या

(घ) परिदान के प्रयोजन के लिए व्यौहारी के या क्रेता के या किसी अन्य व्यौहारी के परिसरों को अग्रसर होने या वहां से वापसी के लिए; या

(ङ) यान में बाडी लगाने या पेंट करने या मरम्मत के उद्देश्य से किसी कर्मशाला को अग्रसर होने या उससे वापसी के लिए; या

(च) हवाई अड्डा, रेल स्टेशन, घाट के अग्रसर होने या उससे वापसी के लिए; या

(छ) मोटर यान या किसी ऐसे अन्य स्थान की प्रदर्शनी को जहां यान विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाते हैं या किए जा रहे हैं, अग्रसर होने या उससे वापसी के लिए; या

(ज) क्रय भाड़ा, पट्टा या आडमान के करार के उपबन्धों के अधीन अन्य पक्षकार की ओर से किसी त्रुटि के कारण वित्तदाता द्वारा या उसकी ओर से कब्जा लिए जाने के पश्चात यान को हटाने के लिए।

42. रजिस्ट्रीकरण के अधीन यान का परिदान – व्यवसाय प्रमाणपत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटर यान का परिदान नहीं करेगा।

43. व्यवसाय प्रमाण पत्र का रजिस्टर – (1) व्यवसाय प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक प्ररूप 19 में दो प्रतियों में एक रजिस्टर सम्यक रूप से बनाए रखेगा जो जिल्द चढ़ा पुस्तक में होगा और उसके पृष्ठों को क्रमांकि रूप से संख्यांकित किया जाएगा।

(2) प्ररूप 19 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का, प्ररूप 19 के स्तम्भ 7 के अधीन विवरणी के समय को छोड़कर, व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक यात्रा दौर के प्रारम्भ के पूर्व रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा और प्रत्येक यात्रा दौर के प्रारम्भ के पूर्व बनाए गए प्ररूप 19 की दूसरी प्रति यान के ड्राइवर द्वारा यात्रा दौर के दौरान ले जाई जाएगी, और अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दस्तावेज पेश किए जाने की मांग करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर, पेश किए जाएंगे।

(3) व्यवसाय प्रमाणपत्र का धारक, यात्रा दौर की समाप्ति पर, प्ररूप 30 के स्तम्भ 7 (मूल और दूसरी प्रति दोनों) को भरेगा और रजिस्टर और दूसरी प्रति की प्रतिलिपि या प्ररूप रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

44. व्यवसाय प्रमाणपत्र का निलम्बन या रद्द किया जाना – यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी

व्यवसाय प्रमाण पत्र के धारक ने नियम 39 से 43 तक के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है तो वह धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उसके द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द कर सकेगा।

45. अपील—नियम 35 या नियम 44 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर, धारा 213 के अधीन स्थापित मोटर यान विभाग के विभागाध्यक्ष को अपील कर सकेगा।

46. अपील के लिए प्रक्रिया – (1) नियम 45 में निर्दिष्ट अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के प्ररूप में की जाएगी जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश की बावत आक्षेपों के आधारों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा और उसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस और उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी, जिसमें विरुद्ध अपील की गई है।

(2) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण

47. मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन —(1) मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन यान का परिदान लेने के समय से सात दिन की अवधि के भीतर, जिसके अंतर्गत यात्रा अवधि नहीं है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 20 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे :—

(क) प्ररूप 21 में विक्रय प्रमाणपत्र,

(ख) विधिमान्य बीमा प्रमाणपत्र,

(ग) ट्रेलर या अर्द्ध ट्रेलर की दशा में, उसके डिजाइन का अनुमोदन करने वाले राज्य परिवहन प्राधिकरण की कार्यवाहियों की प्रति,

(घ) सेना के भूतपूर्व यान की दशा में संबंधित प्राधिकारियों से प्ररूप 21 में मूल विक्रय प्रमाणपत्र,

(ङ) नियम 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक के रूप में पते का सबूत,

(च) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण यदि कोई हो,

(छ) प्ररूप 22 में विनिर्माता से सड़क उपयुक्तता का प्रमाणपत्र,

(ज) आयातित यानों की दशा में अनुज्ञप्ति और बंधपत्र, यदि कोई हो, के साथ सीमाशुल्क निकासी प्रमाणपत्र, और

(झ) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस।

(2) अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत यान की बाबत, उपनियम (1) के अधीन आवेदन, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

48. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना — नियम 47 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, धारा 44 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मोटर यान के स्वामी को प्ररूप 23 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

49. रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रखा जाना – प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्ररूप 24 में धारा 41 के अधीन उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों का और अन्य राज्यों के मोटर यानों का, जिनके लिए नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा समनुदेशित किया गया है, एक स्थायी अभिलेख रखेगा और संबंधित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के अधीन ऐसे अभिलेखों में ऐसी सभी प्रविष्टियों को भी दर्ज करेगा जो धारा 41 की उपधारा (14), धारा 49 की उपधारा (5), धारा 50 की उपधारा (6), धारा 51 की उपधारा (1), (2), (3) और (5), धारा 52 की उपधारा (4) और धारा 53 के अधीन निलम्बन के आदेशों और धारा 54 के अधीन रद्द किए जाने के आदेशों के प्रति निर्देश से किए गए हैं।

50. मोटर साइकिल और अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न यानों की बावत रजिस्ट्रीकरण चिह्नों का आकार और उनके प्रदर्शन की रीति – (1) धारा 41 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्न यान की किसी प्लेट या उसके भाग के सादा तल पर स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप में दर्शित किए जाएंगे जो सामने या पीछे दोनों ओर सीधे सामने या पीछे की ओर मुख किए हुए तीस अंश से अनधिक ऊर्ध्व रूप से झुके हुए नहीं होंगे, जो निम्नलिखित रीति से होंगे, अर्थात् :—

(क) मोटर साइकिल और अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न मोटर यानों की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न कम से कम 6.5 सेंटीमीटर ऊंचा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होगा जिस पर कम से कम 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर मोटाई के अंक होंगे और विभिन्न अक्षरों या अंकों के बीच या अंकों और अक्षरों के बीच रिक्त स्थान होगा और सादा तल का किनारा 1.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा :

परन्तु

(क) परिवहन यान के पिछले भाग पर प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण चिह्न जमीन से एक मीटर से अनधिक की दूरी पर, दाएं हाथ की ओर यान पर लगाया जाएगा जो यान की बाडी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से संभव हो ;

(ख) किसी परिवहन यान की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न यान की बाडी पर दाईं और बाईं ओर भी लिखा जाएगा ;

(ग) किसी मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न ड्राइवर और यात्रियों के बीच, यात्रियों की सीटों की ओर मुख किए हुए उपलब्ध विभाजन पर भी लिखा जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा या जहां ऐसा कोई विभाजन नहीं है वहां वह ड्राइवर की सीट के बाईं ओर यात्रियों की सीट के सम्मुख, छत के निकट यान के अन्दर वाले भाग पर लिखा जाएगा और मोटर कब या मक्सी कब की दशा में यदि रजिस्ट्रीकरण चिह्न डेश बोर्ड पर लिखा जाता है तो यह पर्याप्त होगा ;

(घ) ट्रेलर की दशा में रजिस्ट्रीकरण चिह्न उसके बाएं हाथ की ओर सादा प्लेट या तल पर और उसके पीछे वाले भाग पर या ट्रेलर के अन्तिम वाले भाग पर, उस चालन मोटर यान के जिससे ऐसा ट्रेलर संलग्न है, रजिस्ट्रीकरण चिह्न के अलावा, प्रदर्शित किया जाएगा।

51. मोटर साइकिल और अशक्त यात्री गाड़ी की बावत रजिस्ट्रीकरण चिह्नों का आकार और उनके प्रदर्शन की रीति – मोटर-साइकिलों या अशक्त यात्री गाड़ी की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न कम से कम 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर मोटा होगा और संख्याएं कम से कम 6 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर मोटी होंगी जिनमें किसी अक्षर 1 संख्या के बीच रिक्त स्थान होगा या सादा तल का किनारा कम से कम 1 सेंटीमीटर का होगा,

परन्तु किसी मोटर साइकिल की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न को यान के पखिनारा के साथ लाइन में प्लेट पर संप्रदर्शित किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो वह प्लेट के दोनों ओर संप्रदर्शित किया जाएगा।

52. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण – (1) परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में यान है, प्ररूप 25 में उसकी समाप्ति की तारीख से साठ दिन से अनधिक पूर्व किया जाएगा जिसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी धारा 56 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यान को निर्देशित करेगा और उस प्राधिकारी से ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगा :

परन्तु उस दशा में जहां ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् की तारीख को दिया जाता है वहां नवीकरण ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(3) परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पश्चात, धारा 39 के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं समझा जाएगा और किसी ऐसे यान का किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का उपनियम (2) के अधीन नवीकरण नहीं किया जाता है ।

5 . रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—

(1) यदि किसी समय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो स्वामी, ऐसे पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा जिसकी अधिकारिता में वह खोया है या नष्ट हुआ है और इस तथ्य की लिखित सूचना ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को देगा जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया था ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 26 में किया जाएगा और उसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी ।

54. नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न का समनुदेशन :—(1) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्ररूप 27 में किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप 28 में निराक्षेप प्रमाणपत्र और नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस लगी होगी :

परन्तु जहां कोई यान उस राज्य में बारह मास से अधिक की अवधि के लिए रखा जाना हो और ऐसे यान का स्वामी इस आशय की घोषणा कर देता है वहां आवेदन उक्त बारह मास की अवधि के भीतर किसी समय किया जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, धारा 44 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यान को रजिस्ट्रीकरण चिह्न समनुदेशित करेगा ।

55. स्वामित्व का अन्तरण :—(1) जहां किसी मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित किया जाता है वहाँ अन्तरक ऐसे अन्तरण प्ररूप 29 में रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को करेगा जिसकी अधिकारिता में अन्तरिती निवास करता है या जिसका कारोबार का स्थान है ।

(2) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (1) के अधीन किसी मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण के लिए आवेदन, प्ररूप 30 में अंतरिती द्वारा किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होगा—

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र,

(ii) बीमा प्रमाणपत्र, और

(iii) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस ।

(3) धारा 50 की उपधारा (1) की खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण के लिए आवेदन, प्ररूप 30 में किया जाएगा और उसके साथ उपनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों और फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिया गया निराक्षेप प्रमाणपत्र, या

(ख) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का आदेश, या

(ग) जहां, यथास्थिति, निराक्षेप प्रमाणपत्र या आदेश प्राप्त नहीं किया गया है वहां अन्तरक द्वारा की गई यह घोषणा कि उसने कोई संसूचना निम्नलिखित के साथ अभिप्राप्त नहीं की है:—

(i) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से अभिप्राप्त रसीद : अथवा

(ii) जहां निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन डाक से भेजा गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से प्राप्त डाक पावती ।

56. यान के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर स्वामित्व का अन्तरण :—

(1) जहां किसी मोटर यान के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, वहां यान का कब्जा लेने वाला अगला व्यक्ति यान का प्रयोग तीन मास की कालावधि के लिए इस प्रकार कर सकेगा मानो इसे उसके नाम में अन्तरित कर दिया गया है जहां ऐसे व्यक्ति ने उक्त यान के स्वामी की मृत्यु के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को उक्त स्वामी की मृत्यु और उक्त यान को प्रयोग करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, तीन मास की अवधि के भीतर, उस यान के स्वामित्व के अपने नाम में अन्तरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, निम्नलिखित के साथ प्ररूप 31 में आवेदन करेगा —

(क) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वामी से संबंद्ध मृत्यु प्रमाणपत्र ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, और

(घ) बीमा प्रमाणपत्र ।

57. लोक नीलामी में क्रय किए गए यान के स्वामित्व का अन्तरण :—

(1) वह व्यक्ति, जिसने कोई मोटर यान केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा या उस की ओर से की गई नीलामी में अर्जित या क्रय किया है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यान का कब्जा लेने के तीस दिन के भीतर प्ररूप 32 में, निम्नलिखित के साथ, आवेदन करेगा—

(क) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाणपत्र ;

(ग) अपने नाम में यान के विक्रय की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र या आदेश जिस पर नीलामी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक हस्ताक्षर हों ;

(घ) यान की नीलामी को प्राधिकृत करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति ।

(2) जहां नीलाम किया गया यान ऐसा यान है जो बिना किसी रजिस्ट्रीकरण चिह्न के है या जिस पर ऐसा रजिस्ट्रीकरण चिह्न है जिसे सत्यापन पर झूठा पाया गया है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, धारा 44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यान की नीलामी करने वाली केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग के नाम में यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न समनुदिष्ट करेगा और उसके पश्चात् यान के स्वामित्व के अन्तरण की, उस व्यक्ति का नाम और पता देते हुए, प्रविष्टियां अभिलिखित करेगा जिसे यान का विक्रय किया गया है ।

58. निराक्षेप प्रमाणपत्र —(1) किसी मोटर यान की बाबत धारा 48 के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप 28 में किया जाएगा, जिसके द्वारा यान का पहले रजिस्ट्रीकरण किया गया था और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति,

(ख) बीमा प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति,

(ग) अद्यतन मोटर यान कर के संदाय का साक्ष्य,

(घ) यदि किसी कतिपय कालावधि के लिए कोई कर संदेय नहीं है तो कर संग्रहण प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त कालावधि के लिए यान से कोई कर शोध्य नहीं है।

(2) किसी परिवहन यान की दशा में, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों की बाबत दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किया जाएगा, अर्थात् —

(क) उक्त यान किसी परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत नहीं आता,

(ख) धारा 86 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा संदत्त किए जाने के लिए करार की गई धनराशि की, यदि कोई हो, वसूली लंबित नहीं है,

(ग) निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की तारीख तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यात्रियों और माल पर कर के संदाय का साक्ष्य।

(3) उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी प्ररूप 28 के भाग 3 को भरेगा और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उस भाग को आवेदक को लौटा देगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, निराक्षेप प्रमाणपत्र मंजूर करता है या मंजूर करने से इन्कार करता है, वहां वह उक्त प्ररूप की दूसरी प्रति आवेदक को, और उसकी तीसरी प्रति उसके भाग 2 को भरकर और उस पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करके नए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को लौटा देगा।

59. पते में परिवर्तन :—

किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते में कोई परिवर्तन करने के लिए आवेदन प्ररूप 33 में यान के स्वामी द्वारा किया जाएगा और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और नियम 4 में विनिर्दिष्ट रीति में पते का सबूत तथा नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस लगी होगी।

60. भाड़ा क्रय करार आदि का पृष्ठांकन :—

किसी मोटर यान के धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किसी भाड़ा क्रय या पट्टे या आडमान के किसी करार की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन प्ररूप 34 में किया जाएगा और वह यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी और वित्तपोषक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथा नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न होगी।

61. भाड़ा क्रय करार आदि की समाप्ति :

(1) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट भाड़ा क्रय, पट्टे या आडमान के किसी करार की समाप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन प्ररूप 35 में किया जाएगा और वह यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी और वित्तपोषक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा और उसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न होगी।

(2) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन, प्ररूप 36 में किया जाएगा और उसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत स्वामी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वित्तपोषक को परिदत्त करने से इन्कार कर देता है या फरार हो जाता है वहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को प्ररूप 37 में सूचना जारी करेगा।

ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र

62. ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता :—

(1) किसी परिवहन यान की बाबत धारा 56 के अधीन मंजूर किए गए ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, प्ररूप 38 में होगा और जब ऐसा प्रमाणपत्र मंजूर किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा तो यह नीचे दर्शित कालावधि के लिए विधिमान्य होगा :—

(क) नया परिवहन यान	दो वर्ष
(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित यानों की बाबत ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण, उस समय तक जब तक यान के नये यान के रूप में पिछले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस वर्ष पूरे न हो जाएं।	एक वर्ष
(ग) इसके पश्चात् ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र का नवीकरण	छह मास
(घ) आयातित यानों का नया रजिस्ट्रीकरण	वही कालावधि जो भारत में विनिर्मित यानों को उनके विनिर्माण की तारीख को देखते हुए, दशा में है।

(2) ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र के दिए जाने या नवीकरण के लिए फीस वह होगी जो नियम 81 में विनिर्दिष्ट है।

63. प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का विनियमन और नियंत्रण

(1) प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का कोई भी आपरेटर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 39 के दिये गए प्राधिकार पत्र के बिना, धारा 56 के अधीन किसी परिवहन यान को ठीक हालत में होने का न तो प्रमाणपत्र जारी करेगा और न ही उसका नवीकरण करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकार पत्र देने या उसके नवीकरण के लिये उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसे उस क्षेत्र में, जिसमें सर्विस केन्द्र या गैरेज स्थित है, अधिकारिता प्राप्त है, प्ररूप 40 में आवेदन किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित लगे होंगे :—

(क) नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस।

(ख) ऐसी रीति में दस हजार रुपय का प्रतिभूति निक्षेप, जैसा राज्य सरकार विहित करे।

स्पष्टीकरण : इस नियम और नियम 64 से नियम 72 के प्रयोजनों के लिए "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 213 के अधीन स्थापित मोटर यान विभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं है।

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अधिकार पत्र देने या उसके नवीकरण के लिये दिये गये आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) आवेदक या ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने के प्रयोजन के लिए परिवहन यानों के

निरीक्षण के लिए उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द में से कम से कम एक के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगी—

(1) आटोमोबाइल इंजीनियरी या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा या कोई समतुल्य अर्हता;

(2) किसी ऐसी आटोमोबाइल कर्मशाला में कम से कम पांच वर्ष का सेवा का अनुभव हो जहां भारी माल यानों, भारी यात्री मोटर यानों, मध्यम मोटर यानों और हल्के मोटर यानों की मरम्मत होती हो;

(3) मोटर साइकलों, भारी यात्री मोटर यानों और भारी माल वाहनों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति और कम से कम पांच वर्ष का चालन अनुभव;

(4) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विशेषकर मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण और मोटर यानों के सन्निर्माण उपस्कर और अनुरक्षण से संबंधित अध्यायों का पूर्ण ज्ञान;

(ख) उस परिसर का, जहां प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र स्थित हों, या तो आवेदक स्वयं स्वामी हो या उसने अपने नाम में पट्टे पर या किराए पर लिया हो और उसमें प्रशासन अनुभाग, स्वागत कक्ष और स्वच्छता खंड के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो तथा परीक्षण उपस्कर और अन्य साधित्रों के परिनिर्माण के लिए पर्याप्त जगह हो।

(ग) इमारत के पार्श्वस्थ में उसी कंपाउण्ड में या ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हों, निरीक्षण की व्यवस्था हो;

(घ) परीक्षण उपस्कर और साधित्र ऐसे ढंग से प्रतिष्ठापित किए गए हों कि यान आसानी से और गति से गुजर सके;

(ङ) आवेदक निम्नलिखित उपस्करों और साधित्रों का, जो ठीक हालत में हों, स्वामी हो और उसने उन्हें अनुरक्षित रखा हो, अर्थात् :—

(1) निष्कासक गैस निरोधक

(2) धूम मीटर

(3) ब्रेक परीक्षण मशीन (ब्रेक डाइनमो मीटर)

(4) अग्रदीप संस्थान परखी

(5) अग्रपहिया अनुयोजन परखी

(6) प्रघात अवशोषण

(7) दृश्य निरीक्षण पिट रैम्प या मोटरयुक्त उत्तोलन

(8) ब्रेक

(9) प्ले संसूचक

(10) पहिया प्रक्रम

(11) इंजन के वास्तविक निष्पादन परीक्षण के लिए मूल परखी

(12) संपीडित परखी

(13) संकेतन उपस्कर परखी

(14) चालकमापी परखी

(15) अग्निशामक उपस्कर

(16) प्राथमिक उपचार किट

(17) शोर स्तर की जांच के लिए यंत्र।

(च) आवेदक के वित्तीय साधन उसके निरन्तर अनुरक्षण के लिए पर्याप्त हों;

(छ) आवेदक [illegible] मिस्त्री और [illegible] मोटर यान मिस्त्री की [illegible] हो।

(4) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी इस नियम के अधीन आवेदन पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र स्थापित करने से यानों की संख्या और ऐसी सुविधाओं के सामीप्य के संबंध में इस क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं के उपलब्ध होने में और सुधार लाया जा सके।

(5) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने उपनियम (3) और (4) की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है आवेदक को प्ररूप 39 में प्राधिकार दे सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा; परन्तु प्राधिकार पत्र के लिए किसी आवेदन को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इंकार के लिखित कारण न दिए गए हों।

64. प्राधिकार पत्र के नवीकरण की कालावधि :—दिया गया या नवीकृत पत्र उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

65. साधारण शर्तें जिनका प्राधिकार पत्र का धारक अनुपालन करेगा :—प्राधिकार पत्र का धारक—

(क) एक ऐसा रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक यान के लिए पृथक पृष्ठ होगा और उसमें उस यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक जिसके लिए ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिया गया हो या जिसका नवीकरण किया गया है, यान का मेक और माडल, यान का इंजन संख्यांक और चेसिस संख्यांक और साथ ही चेसिस संख्यांक का पेंसिल चिन्ह, यान के स्वामी का नाम और पता ऐसे यान के किसी अनुज्ञा पत्र का ब्यौरा, अनुदत्त या नवीकृत ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि दी होगी और उस पर यान के स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे;

(ख) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिए जाने पर या उसके नवीकरण के दो दिन के भीतर उन परिवहन यानों का ब्यौरा, जिनके लिए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र दिए गए हैं या जिनका नवीकरण किया गया है, उस प्राधिकरण को प्रेषित करेगा जिसने परिवहन यान की बाबत परमिट दिया है और जहां परिवहन यान परमिट के अन्तर्गत न आता हो वहां उस परिवहन प्राधिकार को प्रेषित करेगा जिसके अधिकारिता वाले क्षेत्र में यान को रखा जाए;

(ग) धारा 56 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले प्रत्येक परिवहन यान के संबंध में नियम 62 के उपबन्धों के अनुसार ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(घ) प्राधिकार पत्र में उल्लिखित कार्य स्थान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, जिसने प्राधिकार पत्र दिया है, नहीं बदलेगा।

(ङ) परीक्षण केन्द्र के परिसर और अपने द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और रजिस्टर और परिसर में सभी मशीनों, उपस्कर और साधित्र रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या धारा 213 के अधीन स्थापित राज्य सरकार के मोटरयान विभाग के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निरीक्षण के लिए यथासमय खुला रखेगा।

(च) अपने मुख्य कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :—

(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जारी किया गया मूल प्राधिकार पत्र,

(2) ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने या उसके नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता,

(3) [illegible]

(छ) ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र जारी करने या उसके नवीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस से अधिक फीस भारित नहीं करेगा

(ज) खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर के सभी पृष्ठ प्रविष्टियों से भर जाने के बाद और किसी भी हालत में उसके पूरा होने के बाद दो दिन के पश्चात उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अभ्यर्पित कर देगा जिसे उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है।

66. प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना :—(1) यदि किसी समय नियम 63 के उपनियम (5) के अधीन दिए गए या नवीकृत प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति खो जाती है या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकार पत्र का धारक उसकी रिपोर्ट उस अधिकारिता के अन्तर्गत थाने में करेगा जहां वह खोया है या वह नष्ट हुआ है और उस तथ्य की लिखित सूचना उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसने प्राधिकार पत्र दिया था उसका नवीकरण किया था और उसका दूसरी प्रति के लिए आवेदन देगा।

(2) नियम 31 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस और उपनियम (1) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट की प्रति सहित आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति, जिस पर स्पष्ट रूप से "दूसरी प्रति" शब्द अंकित होंगे, जारी कर सकेगा।

(3) यदि प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के पश्चात् मूल प्रति मिल जाती है तो उसे तुरन्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकार को लौटा दिया जाएगा जिसने उसे जारी किया था।

67. प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण :—रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या राज्य सरकार के मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी, जिसे इस निमित्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने सम्यक रूप से प्राधिकृत किया हो। किसी भी समय प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के परिसर में वह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कर सकेगा कि प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ने यानों का उचित रूप से परीक्षण कर लिया है।

68. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की जानकारी मांगने की शक्ति :—प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को, जिसे उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता प्राप्त हो, ऐसी जानकारी या विवरणी प्रस्तुत करेगा जो ऐसा प्राधिकारी समय समय पर उससे मांगे।

69. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की प्राधिकार पत्र को निलंबित या रद्द करने या प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने की शक्ति :—(1) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, किसी प्राधिकार पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि वह—

(क) नियम 63 के उपनियम (3) के उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट उपस्कर, मशीनरी और साधित्र को अच्छी हालत में रखने में असफल रहता है, या

(ख) नियम 63 के उपनियम (3) में अधिकथित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहता है, और

(ग) ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र देने या उसके नवीकरण से पूर्व परीक्षण के सही मानकों का, जैसा कि नियम 67 में निर्दिष्ट परीक्षण चैक के समय पता लगे, या उन दुर्घटनाओं की आवृत्ति के जो यान में किसी यांत्रिक दोष के कारण हुई समझी जाएं, जिनमें वे परिवहन यान संबंधित हों और जो परीक्षण केन्द्र द्वारा प्रमाणित या नवीकृत ऐसे ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र के अन्तर्गत आते हैं परीक्षण के सही मानकों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह—

(1) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राधिकार पत्र [illegible] निलंबित कर सकेगा [illegible]

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई प्राधिकार पत्र निलंबित या रद्द किया जाता है, वहां प्राधिकार पत्र का धारक उसे तुरन्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा।

(3) परीक्षण केन्द्र द्वारा दिए गए प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण का आदेश दे सकेगा।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जाता है वहां प्राधिकार पत्र का धारक समपहरण का आदेश प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आदिष्ट समपहृत रकम भेजेगा ताकि प्रतिभूति के निक्षेप के संबंध में नियम 63 के उपनियम (2) की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

70. अपील :—नियम 63 के उपनियम (5) या नियम 69 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के मोटर यान विभाग के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा।

71. अपील की प्रक्रिया :—नियम 70 के अधीन अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में दी जाएगी जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश के संबंध में आक्षेपों के आधार दिए हुए होंगे और इसके साथ नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस और ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति लगी होगी।

(2) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझें, समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

72. प्राधिकार पत्र का स्वच्छिक अभ्यर्पण :—(1) प्राधिकार पत्र का धारक किसी भी समय से जारी किए गए प्राधिकार पत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को जिसने प्राधिकार पत्र दिया था, अभ्यर्पित कर सकेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र तुरन्त रद्द कर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकार पत्र के रद्दीकरण के पश्चात, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र के धारक को नियम 63 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप की पूरी रकम बिना किसी ब्याज के लौटा देगा।

73. परीक्षण केन्द्र को प्रस्तुत किए जाने वाला कर समाशोधन प्रमाणपत्र :—कोई भी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसके साथ उस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या मोटर यान निरीक्षक का, जिसे उस क्षेत्र में अधिकारिता प्राप्त है, ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय का कर समाशोधन प्रमाणपत्र न लगा हुआ हो कि उस यान की बाबत मोटर यान कर या धारा 86 की उपधारा (5) और उपधारा (6) में निर्दिष्ट सहमत फीस बकाया नहीं है।

रक्षा के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण

74. रक्षा के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण चिह्न का दिया जाना—धारा 60 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी रक्षा के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय सरकार के यानों को निम्नलिखित रीति से रजिस्ट्रीकरण चिह्न देगा, अर्थात् :—

[illegible]

मोटर यानों का राज्य रजिस्टर

75. मोटर यानों का राज्य रजिस्टर.—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य में रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों की बाबत मोटर यानों का राज्य रजिस्टर प्ररूप 41 में रखेगी।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर की मुद्रित प्रति, निदेशक (परिवहन अनुसंधान), जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेगी।

राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध

76. राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों के यानों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) किसी राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, प्ररूप 42 में तीन प्रतियों में मिशन या कौंसलीय कार्यालय के प्रधान द्वारा किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा और उसके साथ नियम 47 में निर्दिष्ट सुसंगत दस्तावेज या फीस होगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी, संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन की एक प्रति भेजेगा और इसके साथ एक ऐसा कथन भेजेगा जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्तर प्रमाणित होगा और आवेदक को आवेदन की एक प्रति लौटा देगा। आवेदन की तीसरी प्रति को सक्षम प्राधिकारी अभिलेख के लिए अपने पास रख सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपनियम (2) के अधीन सम्यक रूप से पृष्ठांकित आवेदन की प्राप्ति पर, उस यान को धारा 44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए रजिस्टर करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपनियम (3) के अधीन अपने द्वारा रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान के स्वामी को प्ररूप 43 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की विशिष्टियां अपने द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख में प्रविष्ट करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, मोटरयान पर प्रदर्शन के लिए नियम 77 में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, उपनियम (6) या उपनियम (7) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदिष्ट करेगा।

(6) दिल्ली में राजनयिक मिशन या किसी कौंसलीय पद (पोस्ट) या उसके राजनयिक या कौंसलीय अधिकारियों के किसी मोटर यान पर "सी डी" अक्षरों वाला रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदिष्ट किया जायगा और इससे पूर्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मिशन या पद को आवंटित संख्यांक होगा और इसके बाद रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से यान को आवंटित संख्यांक होगा, अर्थात्—

(i) मिशन के प्रधान के शासकीय प्रयोग के लिए किसी सरकारी यान को "1" संख्यांक आवंटित किया जायगा,

(ii) मिशन या पद के प्रधान के वैयक्तिक यानों को "1" संख्यांक आवंटित की जाएगी और इसके पश्चात "ए" अक्षर से आरम्भ होकर निरन्तर वर्णानुक्रम में होगी।

(iii) ऐसे सरकारी यानों को, जो खण्ड (i) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न हैं, "2" संख्यांक से आरम्भ होकर निरन्तर संख्यांक आवंटित किया जाएगा,

(iv) मिशन या पद के अन्य अधिकारियों के यानों को खण्ड (iii) के अधीन आवंटित अंतिम संख्यांक के पश्चात् क्रमवार संख्यांक आवंटित किया जाएगा,

(v) मिशन या पद के प्रधान से भिन्न, किसी मिशन या पद द्वारा, अथवा इसके राजनयिक या कौंसलीय अधिकारियों द्वारा अर्जित यानों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसा यान मिशन या पद के ... वैयक्तिक प्रयोग के लिए है, खण्ड (iv) के अधीन आवंटित अंतिम संख्यांक के पश्चात क्रमवार संख्यांक आवंटित किया जाएगा,

(vi) खण्ड (i) से (iv) में से किसी खण्ड के अधीन किसी यान को आवंटित संख्यांक, जो ऐसे यान के विक्रय या निर्यात के कारण अप्रयुक्त पड़ा है अथवा इसका संख्यांक रद्द होने पर उस यान का संख्यांक उसी खण्ड के अधीन किसी अन्य यान को आवंटित किया जा सकेगा जिसकी बाबत आवेदन उपनियम (1) के अधीन किया गया है।

(7) दिल्ली से बाहर किसी कौंसलीय पद या उसके किसी अधिकारी के किसी मोटर यान को "सी सी" अक्षरों वाला रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदिष्ट किया जायगा जिससे पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा इस आवंटित पद संख्यांक होगा और जिसके बाद उस पद के लिए आवंटित संख्यांक के ब्लाक में से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से आवंटित संख्यांक होगा, अर्थात्—

(i) किसी कौंसलीय पद के प्रधान के प्रयोग के लिए आशयित किसी सरकारी यान को उस पद को आवंटित संख्यांकों के ब्लाक से पहला संख्यांक आवंटित किया जायगा।

(ii) महाकौंसल के वैयक्तिक यान को खण्ड (i) में निर्दिष्ट संख्यांक आवंटित किया जाएगा और उसके पश्चात वह संख्यांक अंग्रेजी के "ए" अक्षर से आरम्भ होने वाले अक्षर से निरन्तर वर्णानुक्रम में होगा।

(iii) खण्ड (i) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न सरकारी यानों को उक्त पद को आवंटित संख्यांकों के ब्लाक में से दूसरे संख्यांक से आरम्भ होने वाला निरन्तर संख्यांक आवंटित किया जाएगा।

(iv) पद के अन्य अधिकारियों के यानों को खण्ड (iii) के अधीन आवंटित अंतिम संख्यांक के पश्चात क्रमवार संख्यांक आवंटित किए जाएंगे।

(v) पद के प्रधान से भिन्न किसी पद द्वारा या कौंसलीय अधिकारी द्वारा अर्जित यान को, खण्ड (iv) के अधीन आवंटित अन्तिम संख्यांक के पश्चात क्रमवार संख्यांक इस बात के होते हुए भी आवंटित किए जाएंगे कि ऐसा यान पद के या उसके किसी अधिकारी के शासकीय या वैयक्तिक प्रयोग के लिए है,

(vi) खण्ड (i) से (iv) में से किसी खण्ड के अधीन किसी यान को आवंटित संख्यांक, जो ऐसे यान के विक्रय या निर्यात के कारण अप्रयुक्त पड़ा है अथवा इसका संख्यांक रद्द होने पर, उस यान का संख्यांक उसी खण्ड के अधीन किसी अन्य यान को आवंटित किया जा सकेगा जिसकी बाबत आवेदन उपनियम (1) के अधीन किया गया है।

स्पष्टीकरण.—इस नियम और नियम 77, नियम 78 और नियम 79 के प्रयोजनों के लिए "सक्षम" प्राधिकारी से अभिप्रेत है—

(i) ऐसे राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी के संबंध में, जिसका भारत में निवास स्थान है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (न्याचार प्रभाग) का सचिव, और

(ii) ऐसे राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी के संबंध में जिसका किसी अन्य स्थान पर निवास स्थान है, राज्य सरकार का मुख्य सचिव।

77. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का प्रदर्शन.—

(1) नियम 76 के उपनियम (6) के उपनियम (7) के अधीन समनुदिष्ट किये जाने वाले रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को यान के आगे और

से. मी. के आकार की होगी, या यान के किसी भाग पर निम्नलिखित रीति में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा—

(i) नियम 76 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मोटर यानों की दशा में गहरे नीले पृष्ठांकन के साथ, सफेद रंग में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और संख्या।

(ii) नियम 76 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट मोटर यानों की दशा में, पीले पृष्ठांकन के साथ, काले रंग में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और संख्या।

(2) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अंग्रेजी अक्षरों में होगा और अंकों का रूप अरबी में होगा और

(i) सिवाय किसी मोटर साइकल या किसी विगड़ी हुई गाड़ी की दशा में, अक्षर को किसी भी भाग में ऊंचाई 6 से. मी. और मोटाई 2 से. मी. से कम नहीं होगी, संख्यांक के किसी भी भाग पर ऊंचाई 6 से. मी. और मोटाई 2 से. मी. से कम नहीं होगी और किसी अक्षर और किसी अंक और किसी अक्षर तथा अंक के नीचे खाली स्थान होगा और खाली सतह का सिरा 1 से. मी. से कम नहीं होगा और किन्हीं दो अक्षरों के बीच और किन्हीं दो अंकों के बीच खाली स्थान 1 से. मी. से कम नहीं होगा, और

(ii) किसी मोटर साइकल या विगड़ी हुई गाड़ी की दशा में, अक्षरों और अंकों का आकार खंड (1) में विनिर्दिष्ट आकार के दो तिहाई से कम नहीं होगा।

(3) पूर्वोक्त सादी सतह ऊर्ध्व से तीस डिग्री से अधिक झुकी नहीं होगी। अक्षर और अंक निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे अर्थात् :-

(i) परिवहन यान की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, दो अलग-अलग क्षैतिजीय लाइनों में प्रदर्शित किया जायगा, पहली लाइन में मिशन या पद को आवंटित संख्यांक के बाद दूसरी लाइन में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आवंटित संख्यांक होगा, और

(ii) सभी अन्य मामलों में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न में अक्षर और अंक या तो यथापूर्वोक्त दो क्षैतिजीय लाइनों में अथवा एक क्षैतिजीय लाइन में प्रदर्शित किया जा सकेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी मोटर साईकल या बिगड़ी हुई गाड़ी की अगली ओर प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण चिह्न यान की धुरी की सीध में प्लेट पर प्रदर्शित किया जा सकेगा, और ऐसे किसी मामले में प्लेट के दोनों ओर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी ट्रेलर की दशा में —

(i) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ट्रेलर के बाईं ओर प्लेट या सतह पर प्रदर्शित किया जाएगा, अक्षरों और अंकों का आकार उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट आकार के दो तिहाई से कम नहीं होगा,

(ii) ट्रेलर के पिछली ओर लगाया जाने वाले किसी खींचने वाले मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न मोटर यान के पिछले भाग में लगाए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण चिह्न से संबंधित इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप होगा।

6. रजिस्ट्रीकरण चिह्न परिवहन यान की बाड़ी की दाहिनी और बाईं ओर अंकित किया जाएगा।

78. यान के किसी अन्य राज्य के लिए हटाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न का समनुदेशन —

(1) यान के किसी अन्य राज्य के लिए हटाए जाने पर धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन किसी राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी द्वारा उसकी ओर से नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 44 पर में प्रतियों में किया जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा और उसके साथ नियम 54 में निर्दिष्ट सुसंगत दस्तावेज और फीस होगी।

(2) नियम 75 के उपनियम (2) से (7) के उपबन्ध, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे नियम 75 के उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन को लागू होते हैं।

79. नियम 76 के अधीन रजिस्ट्रीकरण यानों के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन और रद्दकरण

यदि धारा 53, धारा 54 या धारा 55 के उपबन्धों के अधीन, नियम 76 के अनुसार किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर दिया जाता है तो निलम्बन या रद्दकरण के आदेश की प्रति प्रत्येक ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के अतिरिक्त जिसको उक्त धाराओं के अधीन प्रति भेजी जाती है, सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

80. नियम 78 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यान का व्ययन या अन्तरण—

(i) जहां नियम 76 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान का विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरण किया जाता है, वहां अंतरक चौदह दिन के भीतर, उस व्यक्ति के, जिसे यान अन्तरित किया गया है, पूरे नाम और पते के साथ उक्त अन्तरण के तथ्य की रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर अन्तरण किया गया है और इसके साथ-साथ रिपोर्ट की प्रतियां निम्नलिखित को भेजेगा।

(क) अन्तरिती,

(ख) सक्षम प्राधिकारी ;

(ग) यान के आयात के पत्तन का सीमाशुल्क कलक्टर और जहां आयात के पत्तन का पता लगाना संभव न हो, वहां अन्तरिती के प्रधान कार्यालय के निकटतम केन्द्रीय उत्पादशुल्क या सीमाशुल्क कलक्टर ; और

(घ) यदि अन्तरण किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता में किया गया है तो मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसके अभिलेख में यान का रजिस्ट्रीकरण अभिलिखित है; और उक्त यान की बाबत नम्बर प्लेट को उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भी अभ्यर्पित करेगा जिसके अभिलेख में यान का रजिस्ट्रीकरण अभिलिखित है, किन्तु यह तब जब वह अन्तरण राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है।

(2) जहां अन्तरिती कोई राजनयिक अधिकारी कौंसलीय अधिकारी है वहां उसके द्वारा या उसकी ओर से किया गया आवेदन, नियम 76 के उपबन्धों के अनुसार यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को किया जाएगा।

फीस—

81. फीस इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस वही होगी जो नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट है :—

सारणी

क्रम सं. प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
1 2	3	4	5
1. प्रत्येक यान की बावत व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण–	-----	34 (1)	--
मोटर साइकिल	पच्चीस रुपए		
अशक्त यात्री गाड़ी	पच्चीस रुपए		
अन्य	एक सौ रुपए		
2. व्यवसाय प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति	------	38 (1)	--
मोटर साइकल–	पन्द्रह रुपए		
अशक्त यात्री गाड़ी	पन्द्रह रुपए		
अन्य	पन्द्रह रुपए		
3. नियम 46 के अधीन अपील	पचास रुपए	46 (1)	
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना और उसका नवीकरण तथा नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न की समनुदेशन		47 (1), 52(1), 54(1), 76 (1) और 78 (1)	
अशक्त यात्री गाड़ी	दस रुपए		
मोटर साइकल	तीस रुपए		
हल्का मोटरयान–	एक सौ रुपए		
मध्यम मालयान–	दो सौ रुपए		
मध्यम यात्री मोटर यान	दो सौ रुपए		
भारी मालयान	तीन सौ रुपए		
भारी यात्री मोटर यान	तीन सौ रुपए		
आयातित मोटर यान	चार सौ रुपए		
आयातित मोटर साइकिल	एक सौ रुपए		
कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित नहीं है।	एक सौ पचास रुपए		
5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना	क्रमांक 4 में वर्णित फीस की आधी रकम	53 (2)	--
6. स्वामित्व का अंतरण	क्रमांक 4 में वर्णित फीस की आधी रकम	55(2) (iii), 55 (3), 56 (2) (क) और 57 (1) (क)	
7. निवास स्थान में परिवर्तन	दस रुपए	59	--
8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभिलेखन और उसमें परिवर्तन	पच्चीस रुपए	--	52 (4)
9. अवक्रय/पट्टा/आयमान करार का पृष्ठांकन			
10. अवक्रय/पट्टा/आयमान करार का रद्दकरण या नए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को जारी किया जाना	पचास रुपए	61 (1), 61 (2)	--
11. ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिया जाना और उसका नवीकरण	---	62 (2)	.....
हल्का मोटर यान	एक सौ रुपए		
मध्यम माल/यात्री मोटर यान	दो सौ रुपए		
भारी माल/यात्री मोटर यान	तीन सौ रुपए		
12. प्राधिकार पत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण	पांच हजार रुपए	63 (2) (क)	....
13. प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	पांच सौ रुपए	56 (2)	..
14. नियम 70 के अधीन अपील	दो सौ रुपए	71 (1)	

अध्याय 4

परिवहन यान का नियंत्रण पर्यटक परमिट

82. पर्यटक परमिट :—

(1) पर्यटक यान की बाबत परमिट (जिसे इन नियमों में उसके पश्चात पर्यटक परमिट कहा गया है) देने के लिए आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकारी को प्ररूप 45 में किया जाएगा।

(2) (क) किसी भी ऐसे मोटर यान की बाबत पर्यटक परमिट नहीं किया जाएगा जो दो वर्ष से अधिक पुराना हो।

(ख) किसी पर्यटक परमिट को उस तारीख से अविधिमान्य समझा जाएगा जिस तारीख को परमिट के अंतर्गत आने वाला यान, जहां यान मोटर के अंतर्गत आता हो सात वर्ष पूरे कर लेता है और जहां यान से भिन्न हो, पांच वर्ष पूरे कर लेता है, जब तक कि उस यान को बदल नहीं दिया जाता है।

(ग) जहां किसी पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले किसी यान को किसी दूसरे यान द्वारा बदलने का प्रस्ताव हो वहां पश्चातवर्ती यान ऐसे बदले जाने की तारीख को दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए दो वर्ष, पांच वर्ष या सात वर्ष की अवधि की संगणना मोटर यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

83. प्राधिकारी पत्र की फ़ीस —पर्यटक परमिट के लिए प्राधिकार पत्र दिए जाने के लिए आवेदन प्रारूप 46 में किया जाएगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रति वर्ष 500 रु० की फ़ीस होगी।

(2) प्रत्येक प्राधिकार-पत्र संबंधित राज्यों द्वारा उद्गृहित कर या फ़ीस के यदि कोई हो, संदाय के अधीन रहते हुए प्रारूप 47 में दिया जाएगा।

(3) प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की अवधि किसी समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगी।

84. यान चलाने का अधिकार— किसी भी पर्यटक परमिट के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य में, जिसे नियम 83 में निर्दिष्ट प्राधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है, यान चलाने का अधिकार प्रदान करता है और न ही इससे किसी राज्य में उद्गृहणीय कर या फ़ीस के यदि कोई हो संदाय से किसी यान के स्वामी को छूट मिलेगी।

85. पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें :—

अ. धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन मोटर कैब से भिन्न किसी पर्यटक यान को दिये गए प्रत्येक पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात :—

(1) परमिट का धारक प्रत्येक यात्रा की बाबत यान में ले जाए जाने वाले पर्यटक यात्रियों की सूची तीन प्रतियां में तैयार करवाएगा जो उस क्षेत्र के जिसमें पर्यटन प्रारम्भ होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उपनिरीक्षक या राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित होगी और जिसमें नीचे दिया गया पूर्ण ब्यौरा होगा :—

(क) यात्रियों का नाम

(ख) यात्रियों का पता

(ग) यात्रियों की आयु,

(घ) आरंभ और गंतव्य स्थान

(2) पर्यटक यात्रियों की सूची की एक प्रति, रसीदी, रजिस्ट्रीकृत द्वारा उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसने अभिलेख के लिए परमिट जारी किया था। दूसरी प्रति पर्यटक यान में साथ ले जाई जाएगी और उसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दस्तावेज पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरी प्रति परमिट के धारक द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

(3) पर्यटक यान अपनी यात्रा वर्तुल रूप में या अन्यथा अपने ही राज्य में या प्रारम्भ या समाप्त करेगा किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन होगा कि यान अपने राज्य के बाहर दो मास से अधिक नहीं रहेगा। परमिट का धारक इस बात का भी ध्यान रखेगा कि पर्यटक यान की अपने राज्य में प्रत्येक वापसी की रिपोर्ट परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को दी जाए :

परंतु जहां संविदा की गई यात्रा अपने राज्य से बाहर समाप्त हो वहां यान को अपने राज्य में किसी स्थान की वापसी यात्रा के सिवाय उस राज्य के भीतर या उस राज्य से किसी अन्य राज्य के लिए भाड़े पर नहीं दिया जाएगा,

(4) पर्यटन यान, ऐसे वर्तुल पर्यटन स्थानों में जो अनन्य रूप से अपने राज्य में या अपने राज्य के बाहर पड़ते हैं, चलाए जा सकेंगे यदि ऐसी वर्तुल पर्यटन यात्रा, पर्यटक एतिहासिक, धार्मिक महत्व के स्थानों की यात्रा के लिए अपने राज्य के पर्यटक विभाग द्वारा अनुमोदित सूची में आती है और ऐसी पर्यटन यात्रा को पहले ही सम्यक रूप से विज्ञापित किया गया हो।

(5) परमिट का धारक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता भाड़े पर ले जाने वाले व्यक्ति द्वारा उसे संदत्त रकम की रसीद जारी करेगा और उसका प्रतिवर्ण उसके पास उपलब्ध रहेगा और उसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दस्तावेज मांगने के लिए सशक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) पर्यटन यान की मंजिली गाड़ियों द्वारा प्रयुक्त किसी बस स्टैण्ड पर खड़ा किया जाएगा और न ही वे ऐसे बस स्टैण्ड से चलेंगी।

(7) पर्यटन यान पर सफ़ेद रंग का पेंट किया जाएगा बाड़ी के बाह्य भाग के बीच में पांच सेंटीमीटर चौड़ाई में नीला चिह्न होगा और साठ सेंटीमीटर व्यास के सर्कल के भीतर इस यान के दोनों ओर "पर्यटक" शब्द लिखा जाएगा।

(8) परमिट का धारक, पर्यटक यान आगे के उपरी भाग पर पीले रंग में एक बोर्ड लगाएगा जिस पर काले अक्षरों में अंग्रेजी और हिन्दी में और यदि वह चाहे तो अपने राज्य की प्रादेशिक भाषा में ————————राज्य (राज्यों) में विधिमान्य "पर्यटक परमिट" अंतरालेखन प्रदर्शित करेगा।

(9) परमिट का धारक पर्यटक यान को मंजिली गाड़ी के रूप में नहीं चलाएगा।

(10) परमिट का धारक दैनिक लाग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक का नाम और पता और यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न चालक का नाम और पता तथा उसकी चालन अनुज्ञा की विशिष्टियां और यात्रा का आरम्भ और गंतव्य स्थान, यात्रा पर जाने, यात्रा से आने तथा भाड़े पर ले जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता उपदर्शित किया जाएगा।

(11) परमिट का धारक शर्त (10) में अंतर्विष्ट जानकारी प्रत्येक तीन मास में उस परिवहन प्राधिकारी को देगा जिसने उसे परमिट दिया था और लॉग बुक को तीन वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा और उसे शर्त (2) और शर्त (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों सहित मांगे जाने पर उक्त प्राधिकारी को उपलब्ध किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम में "अपना राज्य से वह राज्य अभिप्रेत है जिस ने धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन परमिट दिया है।

अतः मोटर कैब की बाबत प्रत्येक पर्यटक परमिट की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी :—

(1) "पर्यटन यान" शब्द यान के दोनों ओर 25 सें. मी. के व्यास के वृत्त के भीतर पेंट किया जाएगा।

(2) पीली पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में "—————————— राज्य (राज्यों) में विधिमान्य पर्यटक परमिट" उत्कीर्ण लेख सहित एक बोर्ड यान के आगे रजिस्ट्रीकरण संख्याक प्लेट के उपर संप्रदर्शित किया जाएगा।

राष्ट्रीय परमिट

8. राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन :—

राष्ट्रीय परमिट के दिए जाने के लिये आवेदन धारा 69 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 48 में किया जाएगा।

87. प्राधिकार पत्र का प्ररूप, अंतवस्तु और कालावधि :—

(1) राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र दिए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 46 में किया जाएगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में पांच सौ रुपए प्रतिवर्ष की फ़ीस होगी

(2) प्रत्येक प्राधिकार पत्र संबंधित राज्यों द्वारा उद्गृहीत कर या फ़ीस के, यदि कोई हो, संदाय के अधीन रहते हुए प्ररूप 47 में दिया जाएगा।

(3) किसी प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की अवधि, किसी समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह वर्ष की मार्च के 31वें दिन को समाप्त होगी।

88. राष्ट्रीय परमिट के प्रयोजन के लिए मोटरयान की समयावधि :—

(1) कोई राष्ट्रीय परमिट किसी ऐसे माल वाहन के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो किसी समय पर नौ वर्ष से अधिक पुराना हो।

(2) राष्ट्रीय परमिट उस तारीख से अविधिमान्य हुआ समझा जाएगा जिसको परमिट के अंतर्गत आने वाला यान अपने प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से नौ वर्ष पूरे कर लेता है।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, नौ वर्ष की अवधि की संगणना संबद्ध माल वाहन के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

89. किसी राष्ट्रीय परमिट के धारक द्वारा भरी जाने वाली त्रैमासिक विवरणी :—

किसी राष्ट्रीय परमिट का धारक, राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आने वाले मोटरयान की बाबत ऐसे प्राधिकारी को, जिसने राष्ट्रीय परमिट दिया है, प्ररूप 49 में विवरणी फ़ाइल करेगा।

90. राष्ट्रीय परमिट की अतिरिक्त शर्तें :—

धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन जारी किया गया राष्ट्रीय परमिट निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत चलाने वाले यान को 30 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद पट्टी में सुर्खी पत्ती के भूरे रंग से रंगा जाएगा और "राष्ट्रीय परमिट" शब्द 60 सेंटीमीटर के व्यास के वृत्त के भीतर मोटे अक्षरों में यान के दोनों ओर लिखे हुए होंगे :

परंतु खतरनाक या परिसंकटमय माल ले जाने वाले टैंकर की बाडी को अगले भाग पर बीच में चारों ओर 5 सें मी के सुर्खी पत्ती के भूरे रिबन सहित सफ़ेद रंग से रंगा जाएगा।

(2) "—————————— राज्य में विधिमान्य राष्ट्रीय परमिट" अंतरालेखन सहित और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले अक्षरों वाला पट्ट ऐसे यान सामने की ओर पर लगा हुआ होगा।

(3) ऐसे किसी यान में प्ररूप 50 में वहनपत्र के बिना कोई माल नहीं ले जाया जाएगा।

(4) यान में कम से कम दो चालक होंगे और यान में चालक की सीट के पीछे उसकी पूरी चौड़ाई में एक सीट होगी जिसमें अतिरिक्त चालक के लिए आराम करने और सोने के लिए सुविधा दी जाएगी।

(5) यान के साथ हमेशा निम्नलिखित दस्तावेज ले जाए जाएंगे और वे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दस्तावेज मांगने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। अर्थात् :—

(1) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र,
(2) बीमा प्रमाणपत्र,
(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र,
(4) राष्ट्रीय परमिट,
(5) कराधान प्रमाणपत्र,
(6) प्राधिकार पत्र।

(6) यान सभी स्थानीय नियमों का किसी राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित निबन्धनों के अधीन होगा।

(7) यान एक ही राज्य में स्थित दो स्थानों के बीच माल नहीं उठाएगा या नहीं उतारेगा।

अध्याय 5

मोटरयानों का निर्माण, उपकरण और अनुरक्षण

प्रारंभिक

91. परिभाषा :—(1) इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल के सबंध में "खतरा लेबल" से अभिप्रेत है, नियम 137 की सारणी के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट खतरा लेबल।

(ख) मालवाहक द्वारा ढोए जाने वाले खतरनाक या परिसंकटमय माल के संबंध में, "परेषक" से अभिप्रेत है, ऐसे खतरनाक या परिसंकटमय माल का मालिक,

(ग) "खतरनाक या परिसंकटमय माल" से अभिप्रेत है, नियम 137 की सारणी-1, स्तंभ 2 और में विनिर्दिष्ट मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का माल,

(घ) "आपातकालीन सूचना पैनल" से अभिप्रेत है, नियम 132 में विनिर्दिष्ट पैनल,

(ड.) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल के संबंध में, "प्राथमिक जोखिम" से अभिप्रेत है, सबसे अधिक सशक्त जोखिम जो ऐसे मालों से उत्पन्न हो सकती है,

(च) किसी खतरनाक या परिसंकटमय माल के संबंध में, (सहायक जोखिम', से अभिप्रेत है, ऐसी सहायक जोखिम जो ऐसे मालों द्वारा प्राथमिक जोखिम के अलावा उत्पन्न हो सकती है।

92. साधारण—

(1) कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी ऐसे मोटर यान का न तो इस्तेमाल करेगा या न ही चलाने के लिए देगा या न ही चलाने की अनुमति देगा जो मोटर यान इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता।

(2) इस नियम की कोई बात ऐसे मोटर यान को लागू नहीं होगी

(क) जो किसी [illegible] में अनियमस्त हो गया है अथवा किसी ऐसे यान को [illegible]

अस्थायी खराबी के कारण उसे स्थान में जहां दुर्घटना या खराबी हुई है, रुका हुआ है या अवरुद्ध हो गया है :—

(ख) जो खराब या क्षतिग्रस्त है और मरम्मत या व्ययन के लिए किसी निकटस्थ स्थान को ले जाया गया है, या

(ग) जो उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पचास वर्ष से अधिक पुराना है और विन्टेज कार रैली में भाग लेने के लिए ले जाया गया है :

परन्तु जहां कोई मोटर यान, चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में नहीं रहा है वहां वह टोविंग के सिवाय मार्ग जनित स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

93. मोटर यान की सकल विस्तार :

(1) समलम्ब सतहों के बीच मोटर वाहन के समकोण से धुरा प्रत्येक मोटर यान की सकल चौड़ाई जिसमें किनारे के सभी बिन्दुओं के साथ जो निम्नलिखित से अधिक न हो—

(i) किसी मोटर यान की दशा में जिसमें परिवहन यान शामिल नहीं है 2.5 मीटर,

(ii) किसी परिवहन यान के मामले में 2.7 मीटर।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पिछली दृष्टि वाला शीशा एक सब-रेल या दिशा सूचक (जब प्रचालन में हो) उसे किसी मोटर वाहन की सकल चौड़ाई मापने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(2) ट्रेलर के इतर प्रत्येक मोटर यान की सकल लम्बाई निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(1) किसी परिवहन यान जिनके दो से अधिक धुरा न हो, के अलावा किसी मोटर यान के मामले में 9.5 मीटर,

(2) दो या उससे अधिक धुरा वाले रिजिड फ्रेम वाले किसी परिवहन यान के मामले में 11.25 मीटर,

(3) आर्टिकुलेटेड यान जिसमें दो से अधिक धुरा हो, उसके मामले में 16 मीटर,

(4) ट्रक ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर कम्बीनेशनों के मामले में 1 मीटर।

(3) आर्टिकुलेटेड वाहन या ट्रैक्टर ट्रेलर कम्बीनेशन की दशा में जो विशेष रूप से काफी लम्बे अविभाज्य लम्बे भार की ढुलाई के लिए निर्मित हों—

(1) यदि यान के सभी चक्कों में न्यूमैटिक टायर लगे हैं, या

(2) यदि यान के सभी चक्कों में तब तक न्यूमैटिक टायर नहीं लगे हैं, जब तक वे प्रति घंटे 25 कि.मी. की गति से अधिक गति से चलाएं नहीं जाएं तो, सकल लम्बाई 18 मीटर से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, सकल लम्बाई से अभिप्रेत है, समानान्तर सतहों के बीच मापी गई यान की लम्बाई जो यान के बाहरी उभरे बिन्दुओं से गुजरती है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :—

(i) कोई चालू करने वाला हैंडल,

(ii) जब डाऊन हो, तो कोई हुड,

(iii) कोई फायर इस्केप जो वाहन से जुड़ा हो,

(iv) कोई पोस्ट आफिस लेटर बाक्स जिसकी लम्बाई वाहन के धुरा के समानान्तर मापी गई है, पर 30 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं है

(5) किसी यान की छत से लादने या उतारने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी या किसी वाहन में लगा कोई सिरा या सूचक प्रकाश या नम्बर प्लेट,

(6) किसी यान से लगा कोई फालतू चक्का या स्पेयर व्हील जैकेट या बम्पर।

(7) कोई टोविंग हुक या अन्य फिटमेंट जो इस उप नियम के अनुच्छेद (iii) से (vi) तक किसी फिटमेंट के बाहर नहीं निकला हो।

(4) किसी मोटर यान की सकल ऊंचाई जिसका उसे सतह से माप किया गया हो जिस पर यान खड़ा है,

(i) डबल डेक्ट मोटर यान से भिन्न किसी यान की दशा में 3.8 मीटर से अधिक नहीं होगा,

(ii) डबल डैक्ड मोटर यान की दशा में 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(iii) आईएसओ सिरीज। फ्रेट कंटेनर ढोने वाले लदे ट्रेलर की दशा में 4.2 मीटर से अधिक नहीं होगा,

परन्तु खंड (i) से खंड (iii) के उपबंध फायरइस्केप्स दो वैगनों और अन्य विशेष प्रयोजन के यानों को लागू नहीं होंगे जिन्हें रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा छूट दी गई है।

(5) किसी ट्रैक्टर का ओवर हैंग 1.85 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(6) किसी ट्रैक्टर से भिन्न किसी मोटर यान का ओवर हैंग उस दूरी के 60% से अधिक नहीं होगा जो सतह के समलम्ब से मोटर यान के धुरे के बीच की दूरी जो अगले चक्के के केन्द्र या केन्द्रों या चक्कों और अगले सीधी सतह से होकर गुजरती है, जहां से ओवर हैंग की माप की जानी है,

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, "ओवरहैंग" से अभिप्रेत है, यान के खड़ा के सतह के समकोण के बीच की सीधी और समानान्तर दूरी का माप जो ऐसे धुरे पर हो जो नीचे विनिर्दिष्ट दो बिन्दुओं से गुजरता हो,—

क. यान का सबसे पिछला बिन्दु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :—

(1) कोई भी हुड जब नीचे हो,

(2) कोई भी पोस्ट आफिस लेटर बक्स जिसको यान से सीधे धुरे के समानान्तर मापी गई लम्बाई 30 सेन्टीमीटर से अधिक न हो,

(3) कोई सीटी जो यान में लगे टर्न-टेबल फायरइस्केप का अंग हो,

(4) जब यान छत से लोडिंग या अनलोडिंग के लिए खड़ा है, तो उस इस्तेमाल की गई कोई सीटी, या किसी यान पर लगी पिछली बत्ती या नम्बर प्लेट,

(5) किसी यान का स्पेयर व्हील या स्पेयर व्हील ब्रैकेट, जो यान में लगा हो,

(6) किसी मोटर यान में फिट किया गया कोई सामान कैरियर जिसका निर्माण सिर्फ यात्रियों और उनके असबाब ढोने के लिए किया गया है और चालक को छोड़कर सात से अधिक व्यक्तियों को छोड़कर सात से अधिक व्यक्तियों को ढोने के लिए बनाया गया है.

(7) कोई भी टोविंग हुक या अन्य फिटमेंट जो उपरोक्त खंड (2) से (6) में उल्लिखित किसी फिटमेंट से बाहर नहीं निकलता हो.

परन्तु किसी मंजिली गाड़ी की दशा में—

(क) यान के पीछे किसी बम्पर या विज्ञापन पैनल का विस्तार 15 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं हो,

(ख) किसी विज्ञापन पैनल का विस्तार ऐसा नहीं होगा जो पिछले शीशे की दृष्टि में बाधा डालेगा अथवा आपातकालीन द्वार से पीछे या दोनों ओर से बाहर निकलेगा या दिखाई देगा।

(1) किसी ऐसे यान की दशा में जिसमें सिर्फ दो धुरा है जिसमें से एक स्टीयरिंग एक्सल नहीं है, उस एक्सल का केन्द्र बिन्दु या

(2) किसी ऐसे यान की दशा में, जिसमें सिर्फ तीन एक्सल हैं, जहां अगला एक्सल ही स्टीयरिंग एक्सल है, वहां सीधी रेखा के केन्द्र से 102 मिली मीटर पीछे जो पिछले और बीच वाले एक्सल से केन्द्र बिन्दु पर मिलते हैं।

(3) किसी ऐसे यान की दशा में जो भारत में इन नियमों के प्रारंभ से पहले रजिस्ट्रीकृत है यह पर्याप्त होगा कि यान की सकल लम्बाई से ओवर हैंग 7/24 अधिक नहीं होगा।

(4) किसी ऐसे मोटर यान की दशा में जिसमें सिर्फ तीन धुरा हो जहां अगला दो एक्सल स्टीयरिंग एक्सल हों, सबसे पिछले एक्सल का केन्द्र बिन्दु:

(5) किसी ऐसे मोटर यान की दशा में जिसमें चार एक्सल हैं, जहां अगले दो एक्सल स्टीयरिंग एक्सल हैं वहां सबसे पिछले दो एक्सलों के केन्द्र बिन्दु से जुड़ी सीधी रेखा के केन्द्र से 1 से 2 किलोमीटर पीछे एक स्थान।

(6) किसी अन्य दशा में, यान के खड़े धुरा पर स्थित कोई बिन्दु और यह इस प्रकार हो कि इससे उस धुरा से समकोण पर खींची गई रेखा वाहन के न्यूनतम टर्निंग सर्कल के केन्द्र से होकर गुजरेगी।

(7) दिशासूचक से भिन्न यान का कोई भाग, जब प्रचालन में हो, अथवा ड्राइविंग दर्पण, इकहरे पिछले पहियों की दशा में, पीछे के पहियों की सेंटर लाइन के परे 355 मि.मी. से अधिक प्रोजेक्ट नहीं होगा अथवा दुहरे पिछले पहियों की दशा में बाहरी टायरों के सबसे बाहरी सिरे के परे 152 मि.मी. से अधिक प्रोजेक्ट नहीं होगा,

परन्तु राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी सड़क या पुल के प्रकार के कारण या लोक सुरक्षा के हित में यह आवश्यक है तो, किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र में मोटर यान के प्रचालन को प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित रख सकेगा जब तक कि ऐसा यान, ऐसे मार्ग या क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

(7) कोई मोटर यान ऐसी रीति से नहीं लादा जाएगा कि भार या उसका कोई भाग—

(1) बाडी के साइड के परे निकल जाए,

(2) यान की भार बाडी के सबसे अगले भाग के परे, अगले भाग में निकल जाए,

(3) यान के बाडी पिछले भाग के परे, पीछे निकल जाए,

(4) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सीमा के परे, ऊंचाई में निकल जाए :

परन्तु खण्ड (3) किसी माल वाहन को लागू, नहीं होगी जब वह किसी लम्बा या [illegible] या अविभाज्य भार से लदा [illegible] है जब तक कि प्रोजेक्ट होने वाला भाग मोटर यान के सबसे पिछले बिन्दु के परे, एक मीटर की दूरी से अधिक नहीं निकल जाता है।

सारणी

टायर का आकार	हल्के/ट्रक टायर (डायगनल) निर्माताओं द्वारा विनिर्दिष्ट प्लाइ रेटिंग	ढोने के लिए अनुज्ञात अधिकतम भार (कि ग्रा.) एकल/दोहरा	
(1)	(2)	(3)	(4)
6.00-16	6	705/620	
6.00-16	8	830/730	
6.50-16	6	795/700	
6.50-16	8	935/820	
6.70-15	6	755/670	
6.70-15	8	890/790	
7.00-15	6	850/750	
7.00-15	8	1005/885	
7.00-15	10	1140/1005	
7.00-16	6	885/775	
7.00-16	8	1050/925	
7.00-16	10	1195/1050	
7.50-16	8	1200/1055	
7.50-16	10	1370/1200	
7.50-16	12	1530/1350	
7.50-16	14	1675/1475	
ट्रक और बस टायर			
7.00-20	10	1660	1450
7.50-20	10	1855	1630
7.50-20	12	2060	1805
8.25-20	12	2365	2075
8.25-20	14	2585	2275
9.00-20	12	2710	2380
9.00-20	14	2980	2615
9.00-20	16	3075	2695
10.00-20	14	3180	2790
10.00-20	16	3480	3050
11.00-20	14	3470	3040
11.00-20	16	3785	3325
11.00-20	14	3910	3435
12.00-20	14	3685	3230
12.00-20	16	4070	3575
12.00-20	18	4320	3785
मोटर स्कूटर टायर			
3.00-10	4	150	
3.50-8	4	170	
3.50-10	4	195	
मोटर स्कूटर डेरिवेटिव्स			
3.50-10	6	375	
4.00-8	4	340	
4.00-8	6	[illegible]	
4.50-10	8	[illegible]	

(1)	(2)	(3)
मोटर साइकिल टायर		
3.00-18	4	175
3.00-19	4	185
3.25-16	4	180
3.25-18	4	200
3.25-19	4	210
3.50-18	4	225
3.50-19	4	230
कृषि स्टीयरिंग व्हील ट्रैक्टर टायर (डायगनल प्लाई)		
4.00-19	4	355
5.50-16	4	425
5.50-16	6	525
6.00-16	4	450
6.00-16	6	560
6.00-19	4	510
6.00-19	6	640
6.50-16	4	510
6.50-16	6	615
6.50-20	4	600
6.50-20	6	725
कृषि चालित व्हील ट्रैक्टर टायर (डायगनल प्लाई)		
8.3/8-24	4	625
8.3/8-24	6	810
8.3/8-32	4	715
8.3/8-32	6	920
11.2/10-28	4	900
11.2/10-28	6	1115
11.2/10-28	8	1305
12.4/11-24	4	945
12.4/11-25	6	1200
12.4/11-28	4	1005
12.4/11-28	6	1275
12.4/11-28	8	1510
12.4/11-28	4	1135
12.4/11-36	6	1440
12.4/11-36	4	1165
12.4/11-38	6	1480
12.4/11-38	4	1100
13.6/12-28	6	1430
13.6/12-28	8	1645
13.6/12-28	6	1660
13.6/12-38	8	1910
13.6/12-38	6	1840
16.9/14-28		

टिप्पण: (1) उपरोक्त अधिकतम भार भारतीय मानक भा० मा० 1988 का 10914 के अनुसार है और उनमें उपदर्शित अधिकतम और फुलाव दाब के लिए है और वह मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अधीन सूचना में दी गई गतिसीमाओं के लिए समायोजित किया गया है।

(2) परिवहन यानों (माल और यात्री वाहन) के टायरों की बाबत उपरोक्त भार इस शर्त के अधीन लागू होगा कि एक्सिल भार अनुज्ञात सीमाओं से अधिक नहीं होता है। वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत एक्सिल भार के संबंध में लागू होता है जो यान के रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र में अभिलिखित है

ब्रेक्स और स्टियरिंग गियर्स

96. ब्रेक्स (1) बिना गियर की मोटर साइकिल, अशक्तयात्री गाड़ी, ट्रेलर अथवा रोड रोलर से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में दो स्वतंत्र और दक्ष ब्रेकिंग-प्रणालियां, अर्थात्, हैंड ब्रेक्स और पैर-चालित सर्विस ब्रेक्स होंगी।

(2) ब्रेकिंग प्रणाली में उप नियम (8) में विनिर्दिष्ट दूरी के अंदर यान को रोकने की क्षमता होगी और उसे हर हालत में रोकने में समर्थ होगी और ऐसे सभी ब्रेक हर समय समुचित ढंग से जुड़े होंगे और उन्हें दक्ष हालत में बनाए रखा जाएगा,

परन्तु बिना गियर की मोटर साइकिल में एक स्वतंत्र और दक्ष इकहरी ब्रेकिंग प्रणाली होगी जो ऐसे मोटर साइकिल को रोकने में समर्थ होगी जब वह पूरी तरह से लदा हुआ हो, सात में एक के अनुपात में स्थिर हो।

(3) प्रत्येक मोटर यान में प्रचालन के किसी एक साधन द्वारा संचालित ब्रेक सीधे व्हील पर लगेंगे न कि ट्रांसमिशन गियर के माध्यम से।

(4) इस उप नियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे, पैरचालितसर्विस, जैसे मुख्य ब्रेकिंग प्रणाली, इस प्रकार सन्निर्मित और बनाई रखी जाएगी कि उसके किसी एक भाग की असफलता से कम दो पहियों पर ब्रेकों में बाधा न पड़े या एक पहिए पर चार से अधिक पहिए वाले किसी यान की दशा में ऐसे पहियों को घुमने से प्रभावी रूप से रोकने के प्रचालन में या यान को रोकने में वहां प्रभाव रखने में बाधा न पड़े मानो ऐसे पहिए रोके जाने हों।

(5) सिवाय किसी मोटर साइकिल की दशा में, ब्रेकिंग प्रणाली या किसी मोटर यान की एक ब्रेकिंग प्रणाली इस प्रकार सन्निर्मित और बनाई रखी जाएगी कि वह इस प्रकार प्रभावी रूप से सेट की जा सकती है कि उसने कम से कम दो पहियों को या केवल तीन पहिए वाले किसी मोटर यान की दशा में, कम से कम एक पहिए को घुमने से रोका जा सके जब ऐसा यान अकेला छोड़ दिया जाता है।

(6) ऐसी ब्रेकिंग प्रणाली या उसके भाग को जो पूर्वोक्त रीति से कार्य करता है, पार्किंग ब्रेक के रूप में जाना जाएगा और जहां ऐसा पार्किंग ब्रेक हाथ से चलाए जाने के लिए अभिकल्पित है वहां वह हैंड ब्रेक के रूप में जाना जाएगा।

(7) किसी अशक्त गार्न गाड़ी या रोड रोलर से भिन्न तीन से अधिक व्हील वाले किसी मोटर वाहन की दशा में जहां कोई ब्रेक शू प्रचालन के किसी एक साधन द्वारा लगाया जा सके वहां सभी व्हीलों में ब्रेक लगे होंगे जिनमें सभी प्रचालन के किसी एक साधन द्वारा प्रचालित हैं:—

परन्तु किसी ट्रैक्टर के मामले में—

(1) जहां किसी मोटर यान में छह से अधिक व्हील हैं, जिनमें कम से कम चार स्टीयरिंग व्हील हैं वहां इस उप-नियम का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि दो स्टीयरिंग व्हील से भिन्न सभी व्हीलों पर ब्रेक लगे हैं जो यान के विपरीत दिशा में लगे हैं,

और ऐसे ब्रेक प्रचालन के किसी एक साधन द्वारा लगाए हैं,

(2) जहां किसी मोटर यान में चार से अधिक व्हील हैं और विशेष गियर या ड्राइविंग व्हील वाले एक्सल के बीच समान मेकेनिज्म के अंतःक्षेप के बिना स्टीयरिंग व्हील के इतर ड्राईव ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसे इस उप नियम का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा यदि प्रचालन को कोई एक साधन यानों के विपरीत दिशाओं पर स्थित दो ड्राइविंग व्हीलों पर ब्रेक लगाता है और प्रचालन के अन्य साधन इस उप नियम द्वारा लगाए जाने वाले ब्रेक अन्य सभी व्हीलों पर लगे होते हैं।

(8) प्रचालन के एक साधन द्वारा प्रचालित ब्रेकिंग प्रणाली, यान के लदे होने अथवा बिन लदे होने के अनुसार रोकने में समर्थ होगी और समय-समय पर यथा संशोधित दोपहिया के मामले में आई एस : 11716 (1987) और अन्य आटोमोबाइल वाहनों के मामले में आई एस : 11852 के अनुरूप होगी।

97. ट्रेलरों के लिए ब्रेक :

(1) प्रत्येक ट्रेलर जिसका भार 500 किलोग्राम से अधिक है उसमें ऐसी दक्ष ब्रेकिंग प्रणाली होगी, जिसके ब्रेक उस समय भी लगाए जा सकते हैं जब वह चल रहा हो—

(i) ऐसे ट्रेलर की दशा में जिसमें दो से अधिक एक्सल न हों एक एक्सल के सभी पहियों पर, अथवा

(ii) ऐसे ट्रेलर की दशा में जिसमें दो से अधिक एक्सल हों, कम से कम दो एक्सलों के सभी पहियों पर :

परन्तु ब्रेकिंग प्रणाली इस तरह तैयार की जाएगी कि वह चल रहे यान के इंजिन के रुकने तक निष्प्रभावी न हो।

(2) उप नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-

(i) किसी मोटर यान द्वारा चलाए जाने वाले भूमि उपकरण,

(ii) कोई ट्रेलर जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गलियों की सफाई के लिए अथवा अग्निशमन सेवा द्वारा अग्निशमन के लिए उपयोग के लिए तैयार किया गया और उपयोग में लाये जा रहे ऐसे कोई ट्रेलर जो अपने आवश्यक गियर और उपस्करों के अलावा अन्य कोई भार नहीं ढोते,

(3) कोई बिगड़ी हुए गाड़ी जिसे बिगड़ी हुए होने के फलस्वरूप किसी मोटर यान द्वारा खींचा जा रहा हो।

98. स्टियरिंग गियर्स:— (1) प्रत्येक मोटर यान के स्टियरिंग गियर का अच्छी दशा में रख-रखाव किया जाएगा, स्टियरिंग व्हील पर 30 डिग्री से अधिक बैकलैश से मुक्त रखा जाएगा, सभी राड्स और आर्मस की समुचित रूप से रबर कैपों द्वारा सुरक्षा की जाएगी और जहां कनेक्शनों को बोल्टों अथवा पिनों से पक्का किया गया हो वहां बोल्टों अथवा पिनों को प्रभावी ढंग से लाक किया जाएगा।

(2) प्रत्येक मोटरयान का स्टीयरिंग गीयर इस प्रकार निर्मित होगा ताकि यह समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आई एस : 12222 (1987) के अनुरूप हो।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए ऐसा व्यास ग्राउंड लेवल पर व्हील ट्रैक के ठीक आउटर एज के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

99. आगे और पीछे गतिशीलता :—मोटर साइकिल और तीन पहिए वाली अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान अपनी शक्ति से आगे अथवा पीछे चलने में समर्थ होगा।

100. सुरक्षा शीशा:— (1) प्रत्येक मोटर यान के विंडस्क्रीन का शीशा और खिड़कियों का शीशा सुरक्षा शीशा होगा : परन्तु तीन पहिए वाले यान तथा हुड और साइड कवर वाले यान की दशा में, खिड़कियां [illegible] पारदर्शी [illegible] की हो सकेंगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए:—

(i) "सुरक्षा शीशा" से अभिप्रेत है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित और इस तरह से निर्मित अथवा तैयार किया गया शीशा कि यदि यह टूट जाए तो बिखरता नहीं अथवा ऐसे टुकड़ों में नहीं छिटकता जिनसे तेज खरोंच लगे,

(ii) किसी यान के सामने की विंडस्क्रीन अथवा खिड़की को जिसकी अंदरूनी सतह यान के अनुदैर्ध्य एक्सिस से तीस डिग्री से अधिक के कोण पर है, उसे सामने की ओर समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक मोटर यान के विंडस्क्रीनों और खिड़कियों का शीशा ऐसा होगा और उसे ऐसी स्थिति में बनाए रखा जाएगा कि वह स्पष्टतः पारदर्शी हो और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर को और स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे।

101. विंडस्क्रीन वाइपर गियर:— प्रत्येक मोटर यान में एक स्व-चालित विंडस्क्रीन वाइपर लगाया जाएगा।

संकेत उपकरण, लैम्प्स और रेफलेक्टर्स

102. दिशा सूचक और स्टाप लाइटें:— (1) दाएं या बांए मुड़ने के इरादे के संकेत विद्युत दिशा सूचक द्वारा दिया जाए और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद और सूर्योदय से आधा पहले की अवधि के दौरान रुकने का संकेत विद्युत स्टाप लाइट द्वारा दिया जाए।

(2) प्रत्येक विद्युत दिशा सूचक, जब प्रचालन में हो, यान के सामने और पीछे दोनों ओर से दिखाई देगा और निम्नलिखित रूप में होगा—

(1) एम्बर रंग का प्रकाशयुक्त संकेत चाहे स्थिर हो अथवा फ्लैशिंग टाइप का हो, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित हो,

(2) नियत ग्लास पैनल जो प्रकाश युक्त हो और प्रकाश फ्लैशिंग दर न्यूनतम प्रकाशयुक्त क्षेत्र की प्रति मिनट साठ से कम न हो और एक सौ बीस से अधिक न हो--

(क) बगैर भार लदे हुए यान की दशा में जिसका भार दो टन से अधिक न हो अथवा ड्राइवर और सामान को छोड़कर सात व्यक्तियों को ले जाने के लिए हो, में 22.5 वर्ग सेन्टीमीटर,

परन्तु यान को ट्रेलर खींचने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता हो, चार पहियों से कम अथवा चार पहियों वाले ट्रेलर को छोड़कर जिसमें प्रत्येक साइड में एक साथ जुड़े दो पहिए लगे हो, अथवा

(ख) अन्य सभी दशाओं में 60 वर्ग सेन्टीमीटर, और प्रकाश-मुक्त सतह वाहन के सामने और पीछे दोनों तरफ से दिखाई देगी।

103. दिशा सूचक की स्थिति :—(1) दिशा सूचक इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा और लगाया जाएगा कि यान का चालक जब वह अपनी ड्राइविंग सीट पर है, उसे यह ज्ञात हो कि यह सही ढंग से काम कर रहा है।

(2) मोटर साइकलों की दशा में जिंकर प्रणाली के बिल्ट-इन दिशा सूचक आगे और पीछे दोनों तरफ लगाए जाएंगे।

(3) इस उप नियम के प्रारम्भ की तारीख को या उस मोटर साइकिल से भिन्न प्रत्येक मोटर यान में ऐसे उपकरण लगे होंगे कि जब यान ब्रेक डाउन हालत में हो तो सभी साइड-सूचक अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को खतरे की चेतावनी देते हुए एक साथ फ्लैश हो जाएंगे।

104. परावर्तकों का फिटमेन्ट:—(1) प्रत्येक परिवहन यान में निम्नलिखित लगाए जाएंगे—

(क) दो स्थिर लाल परावर्तक जिनका गाड़ी के दोनों ओर प्रत्येक का व्यास 80 मिलीमीटर से कम नहीं होगा, और

(ख) बाडी के सामने की ओर ठीक दायीं तरफ़ नीचे दायीं तरफ़ कार्नर पर सामने की ओर एक सफ़ेद परावर्तक होगा जिसका व्यास 80 मिलीमीटर से कम नहीं होगा, जो ग्राउंड लेवल से 1.2 से 1.5 मीटर के बीच की ऊंचाई पर होगा।

(2) प्रत्येक ग़ैर-परिवहन यान में पीछे 50 मिलीमीटर व्यास का एक परावर्तक अथवा रिफ्लैक्टिंग टेप लगाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 30 मिलीमीटर से कम नहीं होगी और लम्बाई 15 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी।

(3) प्रत्येक माल यान अथवा ट्रैक्टर ट्रेलर अथवा ट्रक ट्रेलर कम्बिनेशन की दशा में ट्रेलर में आठ सेन्टीमीटर व्यास के दो कैट्स आई रेफ्लेक्टर लगे होंगे, एक सामने की ओर दायीं तरफ़ नीचे कार्नर में और दूसरा सबसे पीछे बाडी के क्रास बीम पर अथवा ऐसे माल यान की दशा में जिसमें पीछे बाडी का निर्माण न किया गया हो। पीछे की नम्बर प्लेटों के ऊपर पीछे दायीं ओर की लाइट के पास होगा। सामने के परावर्तक का रंग सफ़ेद होगा और पीछे वाले का रंग लाल होगा।

(4) इस नियम में निदिष्ट परावर्तक, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिदेशों के अनुसार फ्लुओरेसेन्ट टाइप का होगा।

105. लैम्प्स:— (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक मोटर यान, जब वह सूर्यास्त से आधा घंटा बाद और सर्योदय से आधा घंटा पहले की समयावधि के दौरान सार्वजनिक स्थान पर हो जब इतना पर्याप्त प्रकाश न हो कि व्यक्तियों और सड़क पर यानों को एक सौ पचपन मीटर आगे से स्पष्ट पहचाना जा सके, निम्नलिखित लैम्प्स (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनिवार्य हैड लैम्प्स कहा गया है) जलते हुए और अच्छी दशा में रखे जाएंगे:—

(क) सिवाय मोटर साइकिल और बिगड़ी हुई गाड़ी की दशा में, फ्रन्ट दर्शाने वाले दो लैम्प, जिनका सफ़ेद प्रकाश होगा और एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखाई देगा।

(ख) मोटर साइकिल और बिगड़ी हुई गाड़ी की दशा में फ्रन्ट दर्शाने वाला एक लैम्प, जिसका सफ़ेद प्रकाश सामने की ओर होगा और एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखाई देगा और जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यान के फ्रन्ट पर प्लेट के दोनों ओर दर्शाया गया हो, उसे इस तरह लगाया जाएगा कि प्लेट के दोनों ओर प्रकाश पड़े।

(ग) किसी मोटर साईकिल के साथ जुड़े साइड कार की दशा में साइड कार के एकदम बाईं ओर एक लैम्प लगाई जाए जिससे आगे की ओर एक सौ पचपन मीटर की दूरी से सफ़ेद रोशनी दिखाई दे।

(2) मोटर साइकिल और तीन पहिए वाले यान से भिन्न ऐसे प्रत्येक मोटर यान में निम्नलिखित भी रहेंगे:—

(1) एक लैम्प (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रीयर लैम्प" कहा गया है) पीछे से लाल बत्ती दर्शाए जो पीछे से एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दिखाई दे और मोटर साईकिल की दशा में, दृश्यता सीमा पचहत्तर मीटर होगी, और

(2) एक लैम्प जो रीयर लैम्प या अन्य युक्ति हो जो यान के पीछे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को पूरी तरह सफ़ेद रोशनी से प्रकाशित करे ताकि पीछे पन्द्रह मीटर की दूरी से स्पष्ट हो जाए,

परन्तु जब कोई मोटर यान दूसरे यान या यानों को खींच रहा हो और ऐसे यानों के बीच की दूरी 1.5 मीटर से अधिक नहीं है तब यह पर्याप्त होगा यदि पीछे खींचे जाने वाला यान पिछली बत्ती या रीयर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रकाशित करने वाली बत्ती जलाए।

(3) इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके, मोटर यान [illegible] हैड लैम्प यथासंभव लगभग उतनी ही ऊंचाई [illegible]

होगी और उसकी ऊंचाई जमीन से हैड लैम्प के नीचे के किनारे तक एक मीटर से अधिक नहीं होगी।

(4) पीछे का लैम्प या तो यान की सेन्टर लाइन पर अथवा दायीं ओर और परिवहन यान की दशा में ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा जो जमीन से एक मीटर से अधिक ऊंचा न हो।

(5) परिवहन यान की दशा में पीछे की लाइट ऐसे स्तर पर लगाई जा सकेगी जो रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक हो।

(6) ग़ैर परम्परागत अथवा असाधारण किस्म के प्रत्येक भारी माल यान में तीस सेन्टीमीटर × दस सेन्टीमीटर के आकार का एक लाल सूचक लैम्प लगाया जाएगा जो सबसे पीछे बाडी के क्रास बीम पर होगा और ऐसे यान की दशा में जिसमें पीछे बाडी का निर्माण न किया गया हो, सूचक लैम्प पीछे की दायीं ओर की लाइट के समीप पीछे की नम्बर प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा।

106 प्रकाश का विक्षेपण:—

(1) किसी मोटर यान में सामने प्रकाश डालने वाला कोई लैम्प प्रयुक्त नहीं किया जाएगा (चाहे उसमें इकहरा अथवा दोहरा हैड लैम्प लगा हो) जब तक कि ऐसा लैम्प इस तरह निर्मित, फ़िट और अनुरक्षित न किया गया हो कि उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण—

(क) स्थायी रूप से उस सीमा तक नीचे की ओर विक्षेपित हो कि वह यान के समान क्षैतिज समतल पर लैम्प से आठ मीटर की दूरी पर खड़े किसी व्यक्ति को चकाचौंध करने में समर्थ न हो, जिसका नेत्र स्तर समतल से एक सौ सेन्टीमीटर से कम न हो,

(ख) चालक द्वारा इस ढंग से नीचे की ओर विक्षेपित किए जाने में समर्थ हो कि उक्त परिस्थिति में ऐसे किसी व्यक्ति को चकाचौंध करने में समर्थ न हो,

(ग) किसी युक्ति के प्रचालन द्वारा बुझाए जाने में समर्थ हो साथ ही साथ जो ऐसे लैम्प से निकलने वाले प्रकाश की किरण का कारण बने जो खण्ड (क) के उपबन्ध का अनुपालन करता हो।

(घ) किसी युक्ति के प्रचालन द्वारा बुझाए जाने में समर्थ हो साथ ही साथ एक अन्य लैम्प से प्रकाश की किरण या तो नीचे की ओर विक्षेपित हो अथवा नीचे की ओर और बायीं तरफ़ दोनों ओर इस प्रकार विक्षेपित हो कि यह उक्त परिस्थिति में किसी व्यक्ति को चकाचौंध करने में समर्थ न हो, अथवा ऐसे लैम्प को प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कर सके जो खण्ड (क) के उपबंध का अनुपालन करता हो।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थान पर प्रयुक्त मोटर यान में हेड लाइट्स के पैनल होंगे जिन पर बुल्स आई जैसी पेंटिंग द्वारा शेड किया गया हो जिस का व्यास 5 सेन्टीमीटर से कम न हो जो उस प्वाइंट के ठीक सामने बीच में हो जहां परावर्तक लगा हो।

(3) उपनियम (1) के उपबंध, विद्युत बल्ब लगे किसी लैम्प पर लागू नहीं होगा, यदि बल्ब की पावर 7 वाट से अधिक न हो और लैम्प तुषारित शीशे का हो अथवा ऐसी अन्य सामग्री का बना हो जो प्रकाश को फैलाने वाली हो।

107. टाप लाइट्स:—प्रत्येक यान में दो टाप लाइट लगी होंगी जिसमें एक आगे की ओर दाहिने वाले ऊपर किनारे पर तथा दूसरी पीछे के दाहिने वाले ऊपरी किनारे पर लगी होगी। अगली टाप लाइट का [illegible] सफ़ेद और पिछली का लाल होगा। [illegible]

समय जब यान को सड़क पर खड़ा रखा जाता है तब बत्तियां जलती रखी जाएंगी :—

परन्तु पीछे बाडी रहित माल यान की दशा में, पीछे टाप लाइट के चमकने का उपबन्ध करना आवश्यक नहीं होगा।

108. लाल या सफेद लाइट का प्रयोग :—कोई भी मोटर यान आगे लाल लाइट या पीछे लाल से भिन्न कोई अन्य लाइट नहीं जलाएगा :—

परन्तु इस नियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(i) यान की आंतरिक लाइट, या

(ii) एम्बर लाइट, यदि किसी दिशा सूचक या टाप लाइट द्वारा लगाया जाए, या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाला कोई यान या ऐसे यान के साथ चलने वाला कोई यान,

(iv) रोगियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त एम्बुलेन्स वैन में फिट किया गया पर्पल ग्लास वाली लाल लाइट की विलंकर टाइप,

(v) विद्युत वल्ब लगी लैम्प वाले यान यदि बल्ब की शक्ति सात वाट से अधिक नहीं है और लैम्प में धुंधला शीशा या कोई अन्य सामग्री लगी है जिसमें रोशनी को विक्षोपित करने की शक्ति है।

109. पार्किंग लाइट :—(1) प्रत्येक माल यान के सामने प्रत्येक ओर तुषारित शीशे वाली एक सफेद पार्किंग लाइट लगाई जाएगी जो अगली लाइट के अतिरिक्त होगी और पीठे की ओर अतिरिक्त दो लाल लाइट होंगी जो सड़क पर यान खड़ा करते समय भी जलती रहेंगी।

110. आटो रिक्शा पर लैम्प :—प्रत्येक आटो रिक्शा में आगे की ओर एक लैम्प और दो साइड सफेद लाइट या बाडी पर दो फ्रंट लैम्प लगी होंगी। अगली लाइटों और साइड लाइटों के अतिरिक्त इसमें रीयर लैम्प लगी होगी जो पिछले भाग को दर्शाती हो, पिछली लाल लाइट जो पचत्तर मीटर की दूरी से दिखाई दे और सफेद लाइट जो यान के पीछे प्रदर्शित रजिस्ट्रीकरण संख्या को प्रकाशित करती हो ताकि उसे पन्द्रह मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके और पिछले मडगार्डों पर दो कैट्स आई परावर्तक भी लगे होंगे।

111. स्पाट लाइट का प्रतिषेध आदि :—असाधारण परिस्थितियों के सिवाय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी यान के आगे कोई स्पाट लाइट या सर्च लाइट नहीं होगी।

धुआं, वाष्प, चिनगारी, राख, ग्रिट और तेल

112. एक्जास्ट गैस :—(1) प्रत्येक मोटर यान इस प्रकार निर्मित या सुसज्जित होगा कि इंजन से एक्जास्ट गैस न तो यान के नीचे या बायीं ओर छोड़ी जाएगी और इस प्रकार फिट की जाएगी कि गैस, यान की दाहिनी ओर या पीछे निकले।

परन्तु विस्फोटक और ज्वलनशील माल ले जाने वाले टैंकरों की दशा में एक्जास्ट पाइप का फिटमेन्ट विस्फोटक निरीक्षक के विनिर्देशों के अनुसार होगा।

113. एक्जास्ट पाइप की अवस्थिति :—इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उससे कोई एक्जास्ट पाइप ईंधन, टंकी और इंजिन को जोड़ने वाली ईंधन लाइन से 35 मिलीमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगा।

114. सार्वजनिक सेवा यानों के एक्जास्ट पाइप :—प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान का एक्जास्ट पाइप इस प्रकार फिट या शील्ड किया जाएगा ताकि कोई ज्वलनशील पदार्थ यान के किसी भाग पर न गिरे और इससे वाहन पर किसी ज्वलनशील सामग्री की निकटता से उत्पन्न खतरों की संभावना न हो।

115. मोटर यान से धुंआ, भाप आदि का उत्सर्जन :—(1) प्रत्येक मोटर यान को ऐसी दशा में विनिर्मित किया जाएगा और रखा जाएगा तथा इस प्रकार चलाया जाएगा कि उसमें से कोई धुआं दृश्यभाप, ग्रिट, चिनगारी, राख, सिंडर या तलीय पदार्थ न निकले।

(2) इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे, प्रत्येक मोटर यान निम्नलिखित स्तरमानों के अनुरूप होगा :—

(क) पैट्रोल से चलने वाले सभी यान पहिए वाले यानों के लिए आइडलिंग सी ओ (कार्बन मोनोक्साइड) उत्सर्जन सीमा परिमाण के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) पैट्रोल से चलने वाले सभी दो और तीन पहिए वाले यानों के लिए आइडलिंग सी ओ उत्सर्जन सीमा परिमाण के अनुसार 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) डीजल से चलने वाले सभी यानों के लिए धूम्र घनत्व निम्न-प्रकार होगा :—

परीक्षण पद्धति	अधिकतम धूम्र घनत्व		
	हल्का अवशोषण गुणांक एम	बॉश यूनिट	हार्ट्रिज यूनिट
1	2	3	4
(अ) विनिर्माता द्वारा घोषित अधिकतम इंजन रेट गति 60% से 70% की गति पर पूर्ण भार	3.1	5.2	75
(अ) मुक्त त्वरण	2.3	—	65

(3) इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे, पैट्रोल से चलने वाले सभी यान इस प्रकार विनिर्मित होंगे कि वे इन नियमों के उपाबन्ध "1" में विनिर्दिष्ट द्रव्यमान उत्सर्जन स्तरों के अनुरूप हों। परीक्षण के लिए प्रयुक्त प्रचालन साइकिल बेकडाउन वह होगा जो इन नियमों के उपाबन्ध "2" में विनिर्दिष्ट है और ऐसे सभी परीक्षणों के लिए निर्देश ईंधन वह होगा जो इन नियमों के उपाबन्ध "3" में विनिर्दिष्ट है।

(4) इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे, डीजल से चलने वाले सभी यान इस प्रकार विनिर्मित होंगे कि वे इन नियमों के उपाबन्ध "4" में विनिर्दिष्ट एक्जास्ट गैस अपार्यता पर आधारित स्तरों के अनुरूप हों।

(5) इस उपनियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे, डीजल से चलने वाले सभी यान इस प्रकार विनिर्मित होंगे कि वे भारतीय चालन साइकिल के अधीन उत्सर्जन के निम्नलिखित स्तरों के अनुरूप हों :—

कार्बन मोनोक्साइड (सीओ) का द्रव्यमान अधिकतम ग्राम प्रति के डब्लु एच	हाइड्रोकार्बन (एचसी) का द्रव्यमान अधिकतम ग्राम प्रति के डब्लु एकच	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ एक्स) का द्रव्यमान अधिकतम ग्राम प्रति के डब्लु एच
14	3.5	18

(6) उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) या उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट तारीखों को या उनके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर-

यान के बारे में विनिर्माताओं द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे उक्त उपनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप हैं और साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को प्रभावी करने वाले संघटक इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं, सन्निर्मित हैं और समंजित हैं कि उनसे यान ऐसे कंपन के बावजूद, जिसके वह अधीन है, उक्त उपनियमों के उपबन्धों के अनुरूप सामान्य उपयोग के लिए समर्थ है।

116. मोटर यानों के लिये धुंआ उत्सर्जन स्तर और कार्बन मोनो क्साइड स्तर का परीक्षण :—

(1) पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी या कोई मोटर वाहन निरीक्षक जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मोटर यान जो सार्वजनिक स्थान पर चलाया या प्रयुक्त किया जाता है, उससे उत्सर्जित धुएं या कार्बन मोनोक्साइड जैसे प्रदूषकों से पर्यावरण का प्रदूषण होने की संभावना है जिससे सड़क के किसी अन्य प्रयोक्ता या जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा है, यान के चालक या उसके भार साधक व्यक्ति को काले धुएं के मानक या अन्य किसी प्रदूषकों को मापने के लिये यान को पेश करने का निर्देश दे सकेगा।

(2) चालक या यान का भार साधक कोई व्यक्ति उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के मांग किए जाने पर यान को धुएं के मानक तथा अन्य प्रदूषकों को मापने या दोनों के परीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(3) धुएं के मानक की माप किसी धुआं मीटर द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे और कार्बन मोनोक्साइड, जैसे अन्य प्रदूषकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपकरण से मापा जाएगा।

स्पीड गवर्नर

117. चालमापी :—बिगड़ी हुई गाड़ी से भिन्न प्रत्येक मोटर यान या किसी यान जिसकी अभिकल्पित गति प्रति घंटे तीस किलोमीटर से अधिक नहीं है, में एक उपकरण लगा होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् चालमापी कहा गया है) जो इस प्रकार निर्मित हो और ऐसे स्थान पर लगा हो ताकि वह यान के चालक को वह गति उपदर्शित करे जिस गति से यान चल रहा हो।

(2) चालमापी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस नियम की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, यदि परीक्षण करने पर यह पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन यान के लिए विनिर्दिष्ट गति दस प्रतिशत ऊपर या नीचे के दायरे में या यदि इस प्रकार कोई गति विनिर्दिष्ट नहीं है, तो सात किलोमीटर प्रति घंटे की गति के ऊपर या नीचे सही पाया जाता है।

118. स्पीड गवर्नर :—(1) इस नियम के प्रारम्भ की तारीख और उससे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित ऐसे परिवहन यान में ऐसे परिवहन यान के प्रचालक द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक युक्ति) फिट किया जाएगा कि स्पीड गवर्नर को इस रीति से राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सरकारी सील से सील किया जा सके कि इसे बिना सील तोड़े हटाया नहीं जा सकता या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

(2) प्रत्येक परिवहन यान का स्पीड गवर्नर इस प्रकार सेट किया जाएगा कि यान को अधोनति के सिवाय, यान की अधिकतम पि-सेट गति से नहीं चलाया जा सके।

शोर में कमी

119. हार्न :—(1) प्रत्येक मोटर यान में एक विद्युत हार्न या भारतीय मानक ब्यूरो और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य युक्ति यान के चालक द्वारा प्रयोग के लिए लगायी जाएगी जो यान के पहुंचने या स्थिति की सूचना और पर्याप्त चेतावनी देने में समर्थ हो।

(2) किसी मोटर यान में बहु-स्वर हार्न नहीं लगाया जाएगा जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हो या जिससे कर्कश, कंपित तेज या अनावश्यक शोर उत्पन्न होने वाला कोई दूसरी युक्ति लगी हो।

(3) उपनियम (2) की कोई बात, एम्बुलेंस या अग्नि शमन या सान्वेज प्रयोजन या पुलिस अधिकारियों और मोटर यान विभाग द्वारा अपने कार्य के दौरान प्रयुक्त यानों को ऐसी ध्वनि का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे यान रखे जाते हैं।

120. साइलेंसर :— (1) प्रत्येक मोटर यान में ऐसी युक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात साइलेंसर कहा गया है) लगी होगी जो विस्तार चैम्बर द्वारा या अन्यथा यथा संभव शोर को कम करता हो जिसे अन्यथा इंजन से एक्जास्ट गैस के निकलने के लिए बनाया जाएगा।

(2) प्रत्येक मोटर यान को इस प्रकार निर्मित और अनुरक्षित रखा जाएगा ताकि वह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शोर स्तर के अनुरूप हो।

121. मोटरयानों का पेन्ट किया जाना :—(1) रक्षा विभाग के मोटर यानों के सिवाय, किसी मोटर यान पर जैतून हरे रंग से पेंट नहीं किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिए गए परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटन यान से भिन्न ठेका गाड़ी को नियम 128 के उपनियम (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से पेंट नहीं किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आने वाले माल यान से भिन्न किसी माल यान को नियम 90 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से पेंट नहीं किया जाएगा।

122. चेसिस संख्यांक और इंजन संख्यांक और विनिर्माण की तारीख समुद्भूत करना :— (1) इस नियम के प्रारंभ की तारीख को उससे, प्रत्येक मोटर यान का विनिर्माता, प्रत्येक मोटर यान के चेसिस पर पहचान संख्यांक अंकित कराएगा जिस पर विनिर्माण का मास और वर्ष समुद्भूत अथवा निरेखित किया जाएगा। समुद्भवण या निरेखण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :—

(क) लोंगिचुडनल मेम्बर्स वाले यानों में चेसिस संख्यांक अगली और पिछली एक्सल के बीच के स्थान में लांगिचुडनल मेम्बर की पिछली साइड पर लिखे होंगे जो एक पंक्ति में 250 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर से अधिक क्षेत्र में नहीं होगा,

(ख) लांगिचुडनल मेम्बर वाले यान से भिन्न यानों में खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से बोनट के नीचे विंडस्क्रीन के निकट बाहरी साइड पर ;

(ग) मोटर साइकिल की दशा में 150 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर से अधिक क्षेत्र में स्टीयरिंग कालम पर

(घ) तीन पहिए वाले यानों की दशा में, हैंडल बार या स्टीयरिंग ह्वील के मध्य के नीचे मुख्य ढांचे या चेसिस फ्रेम के स्थायी स्थान पर ;

(ङ) ट्रैक्टरों और अन्य यानों की दशा में जहां चेसिस फ्रेम या स्थायी ढांचा नहीं है वहां, खंड (क) में निर्दिष्ट रीति से ड्राइवर की सीट के नीचे और जो ड्राइवर को परेशान किए बिना पीछे से स्पष्ट दिखाई दे,

(च) एक एक्सल वाले ट्रेलर की दशा में, खंड (क) में निर्दिष्ट रीति से एक्सल के केंद्र के ऊपर लांगिचुडनल मेम्बर की पिछली साइड पर,

(छ) एक से अधिक एक्सल वाले ट्रेलर या अर्द्ध-ट्रेलर की दशा में, खंड (क) में निर्दिष्ट रीति से अगले एक्सल के मध्य के ऊपर

परन्तु समुद्भूत या निरेखित चेसिस संख्यांक की ऊंचाई किसी भी दशा में एक सेंटीमीटर से कम नहीं होगी

(2) किसी मोटर यान के प्रत्येक इंजन या पावर यूनिट पर इस रीति से पहचान नम्बर और विनिर्माण का वर्ष और मास ऐसी रीति से समुद्रभूत या निरेखित होगा कि वह बाहर से स्पष्ट दिखाई दे ।

सुरक्षा युक्ति

चालकों, यात्रियों और सड़क उपयोक्ताओं के लिए सुरक्षा युक्ति

123. मोटर साइकिल में सुरक्षा युक्ति :—किसी भी मोटर साइकिल का चालक की सीट के बगल या पीछे एक स्थायी हैंड ग्रिप और एक फुट रेस्ट और सुरक्षा युक्ति की व्यवस्था किए बिना विनिर्माण नहीं किया जाएगा जो पिछली ह्वील का कम से कम आधा कवर करे ताकि पीछे बैठे व्यक्ति का कपड़ा ह्वील में न फंसे ।

124. संघटकों के सुरक्षा मानक : इस नियम के प्रारंभ की तारीख को और उससे, मोटर यानों का कोई भी विनिर्माता, यान से कोई ऐसा संघटक प्रतिष्ठापित नहीं करेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हो (जहां कहीं संघटकों के लिए ऐसे मानक अधिकथित किए गए हो) तथा ऐसा हर विनिर्माता यह प्रमाणित करेगा कि मोटर यानों में प्रयुक्त संघटक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित ऐसे संघटकों से संबंधित मानकों के अनुरूप है ।

125. सुरक्षा बैल्ट, सिमटने वाला स्टीयरिंग कालम तथा पैड वाले डैश बोर्ड : इस नियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे दो पहिए और तीन पहिएं वाले यानों से भिन्न सभी मोटर यानों के विनिर्माता ऐसे सभी यानों को निम्नलिखित से सज्जित करेंगे :—

(क) चालक और पहली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बैल्ट ।

(ख) एक सिमटने वाला स्टीयरिंग कालम, और

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप प्रोटडिंग नॉब्ज रहित पैड वाला डैश बोर्ड

126. परीक्षण के अधीन होने का प्रत्येक मोटर यान का प्रोटोटाइप : इस नियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे, मोटर यानों का प्रत्येक विनिर्माता अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले यान का प्रोटोटाइप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान और विकास स्थापना या आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे, सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बदनी (म.प्र.) को या ऐसे अन्य अभिकरणों को परीक्षण के लिए भेजेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के बारे में उस स्थापन द्वारा प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

127. विनिर्माता द्वारा क्वालिटी प्रमाण-पत्र : इस नियम के प्रारंभ की तारीख को और उससे प्रत्येक विनिर्मित मोटर यान के विक्रय के साथ विनिर्माता द्वारा प्ररूप 22 में जारी किया गया यान की सड़क पर सही चलने से संबंधित एक प्रमाण-पत्र होगा ।

विशेष उपबन्ध

128. मोटर कैबों से भिन्न पर्यटन यान : मोटर कैब, मैक्सी कैब, कैम्पर की वैन, एक अनुयान से भिन्न पर्यटन यान निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(1) :—मुख्य आयाम

लम्बाई : 10.5 मीटर से अधिक न हों ।

चौड़ाई : 2.5 मीटर से अधिक न हो ।

रियर ओवर हैंग : व्हील बेस के 60 प्रतिशत से अधिक न हो ।

समग्र ऊंचाई : 3.35 मीटर से अधिक न हों ।

गैंगवे में इंटीरियर 1.58 मीटर से कम न हों ।

स्टीयर ऊंचाई

परन्तु यह कि राज्य या सरकार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी सड़क या पुल की प्रकृति के कारण या लोक सुरक्षा के हित में यह आवश्यक है तो, किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या क्षेत्र में किसी पर्यटन यान का प्रवर्तन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकता है, जब तक कि ऐसा यान ऐसे मार्ग या क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन न करे ।

(2) संरचना :—पर्यटन यान की संरचना पर्याप्त अनुभागीय क्षेत्र और वायु गतिक आकार की उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करके स्थिर, मजबूत और टिकाऊ सुरचनात्मक फ्रेमवर्क की होनी चाहिए । बाह्य स्तर के लिए एलुमिनियम चादर या अच्छी क्वालिटी की स्तर सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए । जहां तक अंदर वाले स्तर का संबंध है वह अंदर वाली संपूर्ण छत, दोनों तरफ पीछे और बल्क हैड भागों पर होना चाहिए । बाडी संपूर्ण रूप से क्षरणरोधी और धूलिरोधी होनी चाहिए । यान रैटिंग प्रूफ होना चाहिए । फर्श सहित सभी स्तरों के लिए ध्वनि मंद करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

(3) यात्री प्रवेश और निकास :— यात्री प्रवेश और निकास दरवाजा पर्याप्त फ्रंट ओवर हैंग वाले यानों के संबंध में सामने के एक्सिल के आगे जहां तक हो सके सामने स्थित होना चाहिए । यदि पर्याप्त फ्रंट ओवरहैंग नहीं है तो द्वार पीछे वाली एक्सिल के ठीक पीछे होना चाहिए । जहां दरवाजा पिछली एक्सिल के पीछे हो वहां ऐसी दशा में दरवाजे का निकास कम से कम 685 मि. मी. का होना चाहिए । दरवाजे के हैंडिल ऐसे होने चाहिए कि उसे अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खोला जा सके । दरवाजे यथोचित ताला उपकरणों सहित वायवीय रूप से प्रचालित हों ।

(4) आपात दरवाजे :— दरवाजे के रूप में आगे लगा हुआ आपात निकास, पर्यटन यान के पीछे की ओर लगाया जाएगा और जिसे यान के अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला या बन्द किया जा सकेगा अथवा जहां ऐसा दरवाजा लगाना व्यवहार्य न हो वहां पिछली खिड़की की स्क्रीन से एक आपात निकास की व्यवस्था की जाएगी, जो ऊपर से जुड़ा हुआ हो ।

आपात् निकास को अंदर से लाल अक्षरों में स्पष्ट दर्शाया जाएगा "आपात् निकास" ।

5. ड्राइवर का प्रवेश और निकास:— ड्राइवर की सीट के समीप ड्राइवर के लिए उपयुक्त स्लाइडिंग खिड़की के साथ पृथक दरवाजा लगाया जाएगा ।

6. विंड स्क्रीन :—(i) सामने की विंड स्क्रीन स्पष्ट दिखाई देने वाली होगी और विकृतिरहित होगी जिसमें सुरक्षा कांच लगा होगा और वह पर्यटन यान की पूरी चौड़ाई का होगा । यदि दो हाल्व्स में बनाया जाता है तो रबर स्लेजिंग सहित सेंटर वार्टिकल ज्वांइट की चौड़ाई, सामने की विंड शील्ड की फिटमेंट ऐसी होगी कि जिससे पर्यटन यान की सुन्दरता में वृद्धि हो ।

(ii) पीछे की विंड स्क्रीन सुरक्षा कांच अथवा लेमीनेटेड सुरक्षा कांच की बनी होगी । यह यान में लगी खिड़कियों से मेल खाने वाली होगी । पीछे की विंड स्क्रीन में स्लाइडिंग पर्दे लगाए जाएंगे ।

7. खिड़कियां :—पर्यटन यानों की खिड़कियों का न्यूनतम स्पेस 14.25 मिलीमीटर होगा और वे सुरक्षा अथवा लेमीनेटेड सुरक्षा कांच की बनी होंगी ।

खिड़कियां दोहरे स्लाइडिंग किस्म के स्लाइडर की होंगी और चैनलों में बिना रुकावट के सुचारू रूप से खिसकने वाली होंगी । खिड़कियों के लिए प्रयुक्त सभी सुरक्षा अथवा लेमीनेटेड सुरक्षा कांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे । खिड़कियों में स्लाइडिंग पर्दे लगाए जाएंगे ।

(8) संवातन :—यात्री कक्ष तथा ड्राइवर कक्ष में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी । सभी रोशनदान और खिड़कियां ऐसी होंगी कि जब उन्हें बन्द कर दिया जाए तो बारिश का पानी अथवा धूल यात्री कक्ष में अथवा ड्राइवर कक्ष में नहीं आ सकेगी ।

(9) सामान :—(i) पर्यटन यान की पिछली तरफ अथवा किनारों पर अथवा दोनों तरफ सामान के लिए होल्ड होंगे, जो पर्याप्त स्थान और आकार वाले होंगे तथा वे खड़खड़ाहट रहित, धूलि रोधी और जल सह्य होंगे तथा उनमें सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध होंगे ।

(ii) पर्यटन यान के दोनों तरफ यात्री कक्ष के अन्दर मजबूत ब्रेकेटों पर बनाया गया हल्के सामान के लिए रैक होगा । सिवाए वहां के, जहां नायलॉन, नैट प्रयोग की गई हो, रैक के निचली तरफ गद्दे लगे होंगे ताकि यात्रियों को आकस्मिक चोट से बचाया जा सके । रैक की साधारण डिजाइन और बनावट इस तरह की होगी कि उसके किनारे नुकीले न हों।

(10) सीटें और सीटों की व्यवस्था :— (i) सीटें 35 यात्रियों से, जिनमें ड्राइवर और परिचर सम्मिलित नहीं है, अधिक के लिए नहीं होंगी सीटों का 'ले-आउट' ऐसा होगा कि गाड़ी के दोनों तरफ दो-दो सीटें होंगी, सभी सीटें सामने की तरफ होंगी और उन सीटों की पंक्तियों के बीच कम से कम 355 मिली मीटर चौड़ा फासला होगा । प्रत्येक यात्री सीट का कम से कम क्षेत्र 457 मि.मी. × 457 मि.मी. होगा और उसके दोनों तरफ बाजुओं को रखने की व्यवस्था होगी और सीट के पिछले भाग की ऊंचाई पूरी होगी ।

(ii) सीट के फ्रेम मजबूत और अच्छी तरह से बने हुए होंगे और वे इस तरह से लगाए हुए होंगे कि ढांचे के संरचना खण्ड पर सीधे वजन रखा जा सके । सीटें आरामदेह और समंजनीय होंगी ।

(iii) सीटें इस तरह से लगाई जाएंगी ताकि पिछली सीट के आगे से अगली सीट के पीछे तक टांग के लिए कम से कम 280 मि.मी. जगह हो । प्रत्येक यात्री के लिए उपयुक्त स्थान और ऊंचाई पर फुट-रेस्ट लगाया जाएगा ।

(11) रंग करना और अंतिम रूप देना :— पर्यटन यान पर नियम 85-क उपनियम (7) और (8) में निर्दिष्ट रीति से सफेद रंग किया जाएगा और बाडी के बाहरी भाग पर बीच में पांच सेंटीमीटर चौड़ा नीला रिबन लगा होगा ।

(12) बिजली की व्यवस्था :—(i) (क) यात्री कक्ष को कम से कम तीन ट्यूब लाइटों से पर्याप्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा ।

(ख) विंडस्क्रीन पर यात्री कक्ष से आने वाले प्रकाश के प्रतिबिम्ब से बचने के लिए प्रबंध किया जाएगा ।

(ग) यात्री कक्ष में रोशनी की व्यवस्था के अतिरिक्त यात्री कक्ष में रंगीन गुम्बद वाली कम से कम दो रात्रि रोशनियों की व्यवस्था की जाएगी ।

(ii) अगले और पिछले बक्सों पर, यदि हों, 15-20 वाट के प्रत्येक बल्ब के साथ रोशनी की जाएगी और ये बल्ब छिपे हुए स्थान पर लगे होंगे और जो पर्यटन यान के अगले अथवा पिछले हिस्से सीधे नजर नहीं आएंगे ।

(iii) ड्राइवर अथवा परिचर की सीट के क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रचालित किए जाने वाले प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

(iv) यात्री प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

(v) प्रत्येक सामान-होल्ड में उसे प्रकाशित करने के लिए एक रोशनी लगाई जाएगी ।

(vi) यात्री-कक्ष में बिजली के जो तार लगाए जाएंगे, वे आई एस. 2465 के अनुरूप कम दाब वाली केबल होगी जिसका आकार अनुमानित बिजली के भार के अनुरूप होगा, तार पर्याप्त आकार की पी.वी.सी. स्लीविंग अथवा कन्ड्यूट अथवा केसिंग में ले जाए जाएंगे, जब कोई तार किसी एक पैनल अथवा चद्दर अथवा धातु के बने यंत्रों से गुजरता हो तो इन्सुलेशन की रक्षा के लिए वहां एक अच्छे आकार का रबड़ का बना ग्रोमेट की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(13) जुड़नार और सहायक पुर्जे :—एक पर्यटन यान निम्नलिखित से सुसज्जित किया जाएगा अर्थात् :—

(1) एक-एक उत्तल पीछे का दृश्यदर्शी दर्पण यान के दोनों तरफ होगा, जो सर्वत्र समंजनीय किया जा सकता हो और जिसकी पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई हो ।

(2) प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रथम-उपचार पेटी, जिसका अग्र भाग स्टैण्ड हो और जिसमें आवश्यक दवाइयां हो ।

(3) अग्नि शमक, जो ड्राई पाउडर टाइप हो और इंजन-कक्ष के पास लगा हो ।

(4) इंजन को आवाज और ताप को कम रखने के लिए इंजन बोनट के इन्टीरियर या एक्सटीरियर पर इंसुलेशन ।

(5) यान के औजारों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए व्यवस्था ।

(6) हैवी ड्यूटी वाला विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम ।

(7) ड्राइवर और परिचर के लिए पर्याप्त आकार का समंजनीय सूर्य दर्शक ।

(8) बिजली से जलने वाले बड़े सूचक/संकेतक, स्टॉप लाईट और पार्किंग लाइट ।

(9) दुकाजी हैड लैम्प ।

(10) यान के पिछले हिस्से में रजिस्ट्रीकरण संख्या की प्लेट के लिए उपयुक्त रोशनी ।

(11) हार्न ।

(12) बिजली के पंखे, 8 इंच के स्वीप समंजनीय, कम से कम संख्या में 8 होंगे, यात्री कक्ष में यथोचित स्थान पर लगे होंगे और सीट के पास लगे स्विचों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

(13) ड्राइवर अथवा परिचर की सीट के समीप बिजली की घंटी या बजर होगी, जो कम से कम चार पुश कन्ट्रोल से परिचालित होगी, जो यात्री कक्ष में उपयुक्त स्थान पर लगे होंगे ।

(14) यात्री सीटों के समीप राख झाड़ने वाली ट्रे ऐसी डिजाइन की होगी कि उसे पर्यटन यान के मध्यवर्ती स्टोप्स पर सुविधापूर्वक साफ किया जा सके ।

(15) पीने का पानी और आईस बाक्स ।

(16) पत्रिकाओं और पढ़ाई की अन्य सामग्री के लिए रैक ।

(17) प्रत्येक सीट के लिए बैग पाकेट तथा नम्बर ।

(18) कम से कम चार स्पीकरों वाला पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो उचित प्रकार से यात्री कम्पार्टमेंट में लगा हो ।

(19) यान संबंधी दस्तावेज, टोकन, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्रों को रखने के लिए ड्राइवर की सीट के समीप स्थित दस्तावेज फ्रेम ।

(20) अगली और पिछली खिड़कियों के लिए गढ़ पर्दे [illegible] ।

120. मानव शक्ति के लिए खतरनाक अथवा परिसंकटमय प्रकृति के माल का परिवहन ।

किसी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का प्रत्येक स्वामी, खतरनाक या परिसंकटमय माल के किसी

प्रवर्ग के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का अनुपालन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा, अर्थात्:—

(1) उसी प्रकार के खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल को (चाहे प्रपुंज में अथवा पैकेज में) ले जाने वाला प्रत्येक ऐसा माल वाहन नियम 136 की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल की किस्म के लिए समुचित वर्ग लेबल के सुभिन्न चिह्न को प्रदर्शित करेगा।

(2) नियम की तालिका के कालम 3 में निर्धारित हानिकारक अथवा खतरनाक माल ले जाने वाले प्रत्येक पैकेज पर हानिकारक अथवा खतरनाक माल के प्रकार के लिए उक्त क्लास लेबल लगाना होगा।

130. वर्ग लेबलों को प्रदर्शित करने का तरीका

(1) जब यान पर वर्ग लेबल प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो तो उसे इस तरह लगाया जाएगा कि वर्ग लेबल का आकार लम्बाई की ओर 45 डिग्री के कोण पर हो तथा वह पच्चीस मिलीमीटर वर्ग से कम न हो जो दो भागों में विभक्त किया जा सकता हो, जिसका ऊपरी आधा भाग चित्रात्मक प्रतीक के लिए आरक्षित हो तथा निचला आधा भाग पाठ के लिए हो। परन्तु छोटे पैकेजों की दशा में लेबल का यथोचित आकार ग्रहण किया जा सकता है।

(2) यदि वर्ग लेबल में चिपकने वाला पदार्थ हो तो वह जलरुद्ध होगा और यदि वह धातु अथवा किसी अन्य पदार्थ का हो जिस पर चित्रात्मक प्रतीक और पाठ मुद्रित हो, चित्रित हो अथवा चिपकाया गया हो तो वह इस प्रकार पदार्थ पर सीधे लगाया गया होगा और प्रत्येक मामले में यान की वह सतह जहां लेबल लगा है ऐसे रंग की होगी जो वर्ग लेबल की पृष्ठभूमि की तुलना में चटकीला हो।

(3) किसी यान पर लगाया गया प्रत्येक वर्ग लेबल इस प्रकार लगाया गया होगा कि वह किसी अन्य विधि के अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी अन्य चिह्नांकन को धुंधला न करे।

(4) किसी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल को ले जाने वाले प्रत्येक माल वाहन पर वर्ग लेबल उसके अगले और पिछले दोनों भागों पर स्पष्ट रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा।

131. माल भेजने वाले के द्वारा खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के बारे में सूचना का प्रदाय किया जाना

(1) माल वाहन द्वारा किसी प्रकार के खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने का आशय रखने वाला प्रत्येक प्रेषक इस प्रकार के माल को वाहन में लादने से पूर्व माल वाहन के स्वामी को इस प्रकार के खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के बारे में पूर्ण और पर्याप्त सूचना देगा ताकि वह स्वामी और उसका ड्राइवर:—

(क) नियम 129 से 137 तक के नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर सकें, और

(ख) इस प्रकार के माल से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा को होने वाली जोखिम से अवगत हो सकें।

(2) यह सुनिश्चित करना प्रेषक का कर्तव्य होगा कि सूचना नियम 129 से 137 के उपबन्धों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए सही और पर्याप्त है।

132. माल वाहन के स्वामियों द्वारा खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करना

(1) किसी भी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का प्रत्येक स्वामी अपने माल वाहन में इस प्रकार के माल का परिवहन करने से पूर्व अपना यह समाधान होगा कि प्रेषक द्वारा दी गई सूचना सभी पहलुओं में पूर्ण और सही है और इस माल का वर्गीकरण नियम 127 में निर्दिष्ट किए गए वर्गीकरण के अनुरूप है।

(2) माल वाहन का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के वाहन के ड्राइवर को परिवहन के लिए उसे सौंपे गए खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के संबंध में लिखित रूप में सभी सुसंगत जानकारी दे दी गई है, जैसा इन नियमों के उपाबन्ध 5 में है तथा वह अपना यह समाधान करेगा कि ड्राइवर को इस प्रकार के माल की प्रकृति तथा उसके परिवहन में अन्तर्वलित जोखिम की प्रकृति के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा वह इस योग्य है कि वह किसी भी आपात स्थिति में समुचित कार्रवाई कर सके।

(3) खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर यह सुनिश्चित करेगा कि उप नियम (2) के अधीन उसे लिखित रूप में दी गई जानकारी ड्राइवर के कैबिन में रखी है तथा खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल को, जिससे वह संबंधित है, ले जाते समय वह सभी समयों पर उपलब्ध है।

133. ड्राइवर द्वारा की जाने वाली पूर्वावधानियां:— किसी भी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले माल वाहन का प्रत्येक ड्राइवर सभी समयों पर आग, विस्फोट का निवारण करने के लिए और अथवा माल वाहन के चलते समय और जब वह नहीं चल रहा है उस समय भी उसके द्वारा द्वारा ले जाए जाने वाले खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के बचाव के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां बरतेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाए जो आग, विस्फोट तथा किसी भी अन्य जोखिम से सुरक्षित हो और हर समय उसके अथवा अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक के किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में हो।

134. आपात सूचना पैनल:— किसी भी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक माल वाहन केन्द्र नीचे सारणी में दर्शित प्रत्येक तीन स्थानों पर आपात सूचना पैनल सुपाठ्य तथा स्पष्ट रूप में चिन्हित होगा और ऐसे पैनल में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्:—

(i) शब्दों में खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का सही तकनीकी नाम और शब्द 50 मिलीमीटर ऊंचाई से कम न हों।

(ii) खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का वर्ग लेबल जिसका आकार 250 मि० मीटर वर्ग से कम न हो।

(iii) आग अथवा किसी अन्य दुर्घटना की दशा में संपर्क की जाने वाली आपात सेवाओं के नाम तथा टेलिफोन नम्बर शब्दों और अंकों में जिनकी ऊंचाई 500 मी० मीटर से कम न हो तथा खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के भेजने वाले अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति का जिससे इस प्रकार के माल के संबंध में आपात स्थिति की दशा में किए जाने वाले उपायों से संबंधित विशेषज्ञ सूचना और सलाह ली जा सकती है, नाम एवं टेलिफोन नम्बर।

सारणी

यानों पर आपात - सूचना पैनल लगाने के लिए स्थान और विमाएं

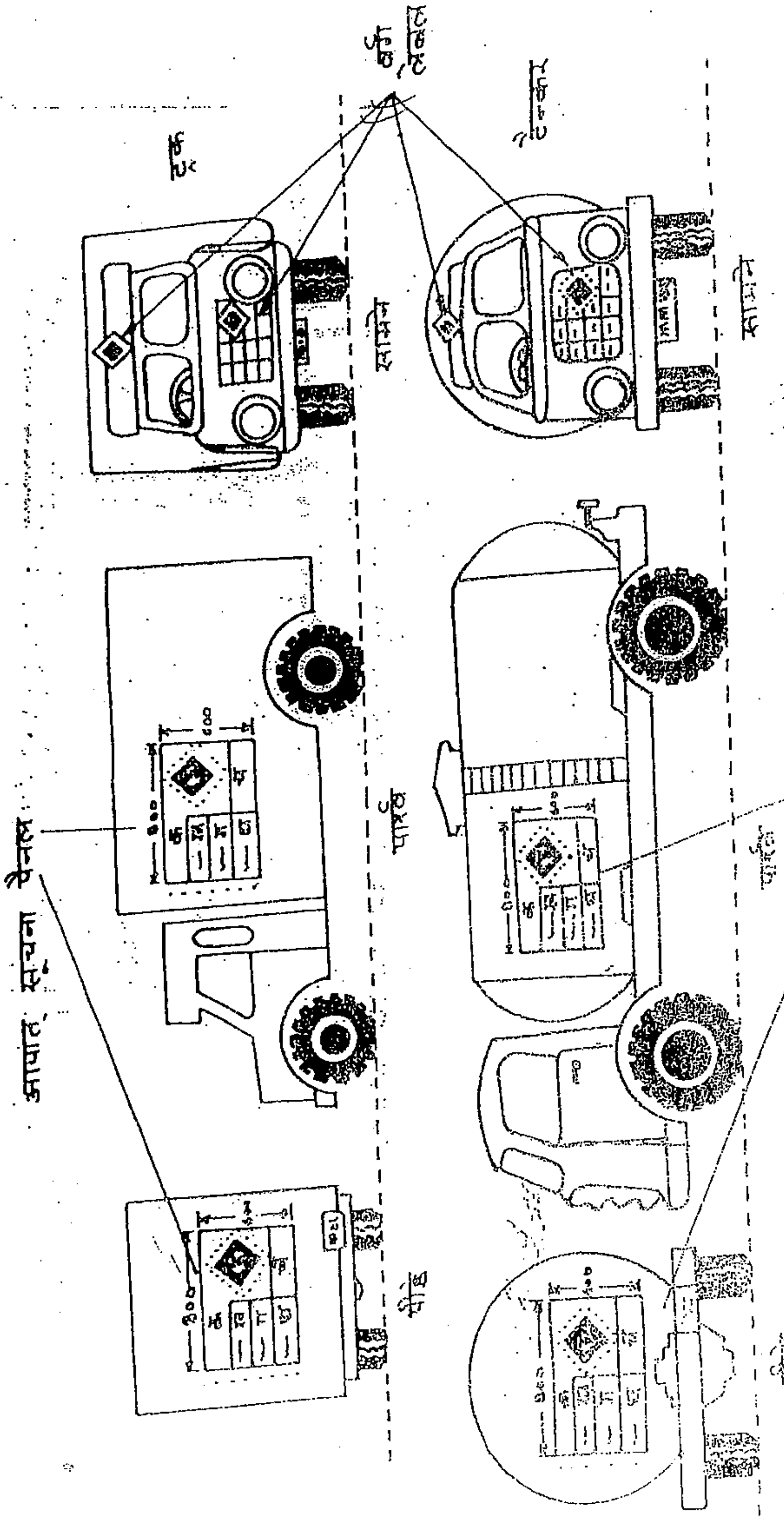

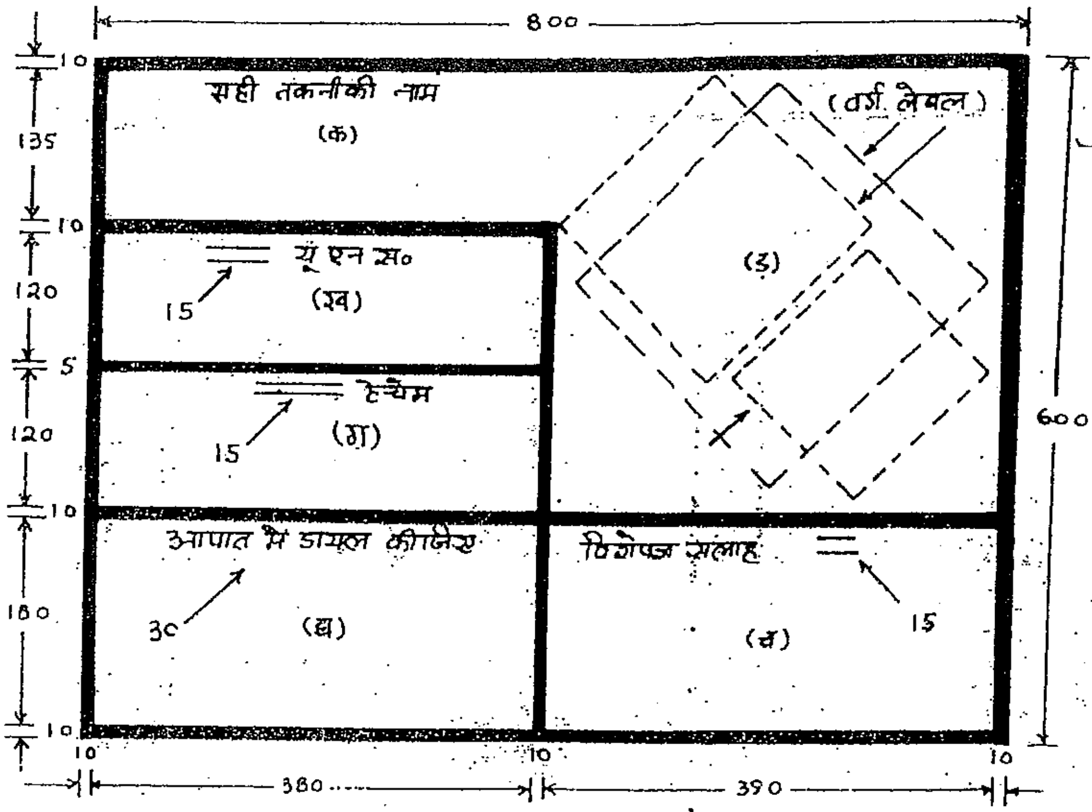

(सारी विमाए मिलीमीटरो मे प्रकट की गई है)

(2) प्रत्येक वर्ग लेबल तथा आपात सूचना पैनल माल वाहन पर चिन्हित किया जाएगा और उसे हर समय बाधाओं से मुक्त और साफ रखा जाएगा।

135. ड्राइवर जिसे अनुदेश दिए जाने हैं:—

खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले प्रत्येक माल वाहन का स्वामी माल भेजने वाले के समाधान प्रद रूप में यह सुनिश्चित करेगा कि माल वाहन के ड्राइवर ने उसके द्वारा परिवहन किए जाए जाने वाले माल की प्रकृति को समझने, इस प्रकार के माल से उद्भूत होने वाली जोखिम की प्रकृति, माल वाहन के चलते समय तथा उसकी रुकी हुई अवस्था में बरती जाने वाली पूर्वावधानियों और किसी आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाई को समझने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अनुदेश तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

136. ड्राइवर द्वारा दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाना।

किसी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल को परिवहन करने वाले माल वाहन का ड्राइवर उसके वाहन द्वारा परिवहन किए जाने वाले किसी खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल से संबंधित किसी दुर्घटना के होने पर समीपतम पुलिस स्टेशन को तुरंत रिपोर्ट करेगा।

137. वर्ग लेबल:— नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट खतरनाक अथवा परिसंकटमय माल के संदर्भ में स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लेवल वर्ग लेबल होंगे, अर्थात्:—

सारणी 1

क्र० सं०	माल का वर्गीकरण	वर्ग लेबल
1	2	3

1. विस्फोटक :

प्रतीक (विस्फोटक बम) काला
पृष्ठभूमि नारंगी

2. गैस संपीडित, द्रवित, दाब से घुली हुई अथवा अत्यन्त प्रशीतित :

अज्वलनशील गैस
प्रतीक (गैस सिलेंडर) काला अथवा सफेद पृष्ठभूमि हरी

ज्वलनशील गैस
प्रतीक (आग) काला और सफेद
पृष्ठभूमि लाल

जहरीली (टोक्सिक) गैस
प्रतीक (खोपड़ी एवं क्रॉस हड्डियां) काला
पृष्ठभूमि—सफेद

3. ज्वलनशील द्रव :

ज्वलनशील द्रव
प्रतीक आग (काला अथवा सफेद)
पृष्ठभूमि लाल

1 2 3

4. ज्वलनशील पिंड।
स्वतः दहन वाले पदार्थ,
ऐसे पदार्थ जो पानी के साथ
संपर्क में आने पर ज्वलनशील
गैस उत्सर्जित करते हैं :

खंड 4.1
ज्वलनशील पिंड
प्रतीक (आग) काला
पृष्ठभूमि:—खड़ी लाल पट्टियों
सहित सफेद

खंड 4.2
स्वतः दहन वाले पदार्थ
प्रतीक (आग) काला
पृष्ठभूमि:—ऊपरी आधा हिस्सा
सफेद निचला आधा हिस्सा लाल
गीला होने पर

खंड 4.3
ऐसे पदार्थ जो पानी के
साथ संपर्क में आने पर
ज्वलनशील गैस उत्सर्जित करते
हैं।
प्रतीक (आग) काला अथवा
सफेद
पृष्ठभूमि:—नीला

5. आक्सीकारक पदार्थ
कार्बनिक पर आक्साइड

खंड 5.1
आक्सीकारक पदार्थ

खंड 5.2
कार्बनिक पर आक्साइड
प्रतीक (गोलाकार पर आग)
काला
पृष्ठभूमि, पीला

6. जहरीला (टाक्सिक)
एवं संक्रामक पदार्थ :

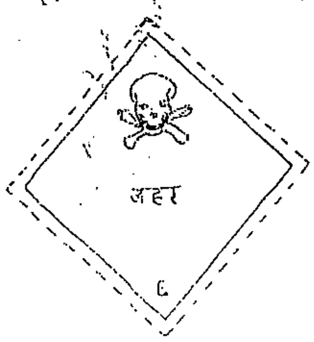

खंड 6.1
जहरीला (टाक्सिक) पदार्थ
प्रतीक (खोपड़ी एवं क्रास
हड्डियां) काला,
पृष्ठ भूमि सफेद

खंड 6.1
जहरीला (टॉक्सिक) पदार्थ
लेबल के निचले आधे भाग पर लिखा हो :
हानिकारक
खाद्य पदार्थों से दूर रखें
प्रतीक : गेहूं के निशान पर सैं० एन्ड्यू का क्रास काला
पृष्ठभूमि : सफेद

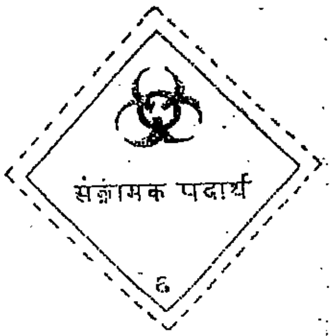

खंड 6.2
संक्रामक पदार्थ
लेबल के निचले आधे भाग पर :
संक्रामक पदार्थ (वैकल्पिक)
तथा नुकसान अथवा क्षरण मामले में तुरन्त लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी को सूचित करें
(वैकल्पिक), अंतरालेखन होना चाहिए
प्रतीक (एकवृत्त पर तीन अर्धचन्द्राकार अध्यारोपित)
तथा अन्तरालेखन :
काला : पृष्ठभूमि : सफेद

7. रेडियोधर्मी पदार्थ :

रेडियोधर्मी पदार्थ

शब्द सफेद
पृष्ठभूमि पर काले रंग के होंगे
तथा—वर्ग लेबल किनारों पर
समानान्तर रेखाएं काली होंगी
तथा 5 मिलीमीटर मोटी होंगी।

8. संक्षारक :

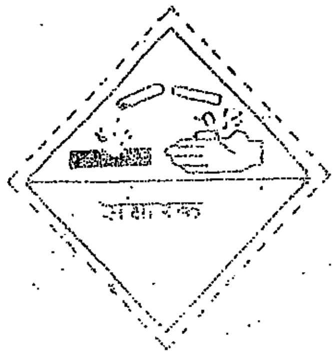

संक्षारक
प्रतीक : (एक हाथ और एक धातु पर चोट करता हुआ दो कांच-पात्रों से गिरता हुआ द्रव) : काला
पृष्ठभूमि : ऊपरी आधा भाग सफेद निचला आधा भाग सफेद बार्डर के साथ काला

सारणी–2
सूचक मानदण्ड

(क) जहरीले रसायन,

जिन रसायनों जिनमें निम्नलिखित मात्रा में काफी जहरीलापन है और जो अपने भौतिक और रसायनिक गुणों के कारण भारी जोखिम वाली दुर्घटनाएं करा सकते हैं :—

एल डी (मौखिक)* 50 (एम जी/कि.ग्रा. शरीर भार)	एलडी (क्यूटेनियस)** 50 (एम जी/कि.ग्रा. शरीर भार)	एल सी 50 (एम जी/1 इनहेलेशन)
एल डी ∠ 5 से ∠ 200 50	एलडी ∠ 10 से ∠ 400	एलसी ∠ 0° 1 से ∠ 2

(ख) ज्वलनशील रसायन :—

(1) ज्वलनशील गैस :—जो रसायन सामान्य दबाव पर अपने गैसीय स्वरूप में वायु से मिलकर ज्वलनशील हो जाता है और जिसका सामान्य दबाव पर क्वथनांक 20° सेंटीग्रेड या कम हो;

(2) अत्यधिक द्रव :—जिस रसायन का फ्लैशप्वाइंट 21° सेन्टीग्रेड से कम है और जिसका क्वथनांक सामान्य दबाव पर 20° सेंटीग्रेड से अधिक है;

(3) ज्वलनशील द्रव :—जिस रसायन का फ्लैश प्वाइंट 55° सेंटीग्रेड से कम है और जो दबाव में द्रव ही रहता है जहां किसी खास प्रक्रियात्मक दशा से बड़े जोखिम वाली दुर्घटना हो सकती है, अर्थात् उच्च दबाव और उच्च तापमान।

(ग) विस्फोटक पदार्थ :—

जो रसायन ज्वाला के प्रभाव से विस्फोटक कर सकता है या जो डायनाइट्रोबेंजीन की तुलना में झटके या घर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील है।

*एल डी 50 चूहों में ओरल।
**एल डी 50 चूहों या खरगोशों में त्वचीय।
[illegible]

सारणी -3 परिसंकटमय और जहरीले रसायन

रसायन (स्तम्भ-1)	परिसंकट वर्गीकरण (स्तम्भ-2)
एसीरल डिहाइड	टी एफ
एसीटिक एसिड	सी
एसीटोन	एफ
एसीटोन साइनोहाइड्रीन (2-साइनोप्रोफेन-2वीएल)	टी
एसीटोनीट्रिल	टी एफ
एसीटल क्लोराइड	सी एफ
एसीटिलीन (इथाइन)	एफ आर
एक्रोलीन (2-प्रोफीनल)	टी एफ
एक्रीलोनीट्रिल	टी एफ
एल्डीकेयर	टी
एलाइल एल्कोहल (2 प्रोफेन-1-ओएल)	टी एफ
एलाइलामाइन	टी एफ
एमीनोयाइफिनाइल-4	टी
एमीटोन	टी
अमोनिया	टी एफ
अमोनियम नाइट्रेट्स	ई आर
उर्वरकों में अमोनियम नाइट्रेट्स	
अमोनियम सल्फेट	
एमाइल एसीटेट	टी एफ
एनाबेसीन	टी
एनीलीन	टी
एनीसाइडीन-पी	टी
एन्टीमोनी एण्ड कम्फाउंड्स	टी सी
एन्टीमोनी हाइड्राइड (स्टीबीन)	टी एफ
अर्सेनिक हाइड्राइड (आर्साइन)	टी
आर्सेनिक पेंटाक्साइड, आर्सेनिक ( ) एसिड एवं साल्ट्स	टी
आर्सेनिक ट्राइआक्साइड, आर्सेनियस (III) एसिड्स एवं साल्ट्स	टी
एज़ीनफास - इथाइल	टी
एज़ीनफास - मिथाइल	टी
बेरियम एजाइड	ई
बेंजीन	टी एफ
बेंजीडाइन	टी
बेंजीडाइन साल्ट्स	टी
बेन्जोइल पेरोक्साइड	टी ई
बेन्जाइल क्लोराइड	टी
बेरीलियम (पाउडर्स, कम्पाउंड्स)	टी
बी आई एस (2, 4, 6-ट्रिनिट्रोफिनाइल) अमाइन	टी ई
बी आई एस 12-क्लोरोइथाइलों सल्फाइड	टी
बी आई एस (क्लोरोमिथाइल) ईथर	टी
बी आई एस (टर्ट-बुटिलपेरोक्सी) ब्यूटेन-2, 2	आर
बी आई एस (टर्ट-बुटिलपेरोक्सी) साइक्लो हेक्साइन-1, 1	आर
बोरोल एण्ड कम्पाउंड्स	टी
ब्रोमाइन	टी

रसायन (कालम-1)	घातक वर्गीकरण (कालम-2)
ब्रोमोफार्म	टी
ब्यूटेडीन-1, 3	एफ
ब्यूटनोन-2	टी एफ
ब्यूटाइल अलकोहोल	टी एफ
ब्यूटाइल पैरोक्सीटेट-टर्ट	आर
ब्यूटाइल पैरोक्सीसोब्यूटाइटेट) टर्ट	आर
ब्यूटाइल पैरोक्सीसोप्रोपिल कारबोनेट, टर्ट	आर
ब्यूटाइल पैरोक्सीमेलीट, टर्ट	आर
ब्यलीलेमाइन	सी एफ
कैडमियम एण्ड कम्पांउड्स	टी
कैमियम आक्साइड (फ्यूम्स)	टी
कैमफर	एफ
कारबेरिल (सैविन)	टी
कार्बोफ्यूरन	टी
कार्बन डी सल्फाइड	टी एफ
कार्बन मोनोक्साइड	टी एफ
कार्बन टैट्राक्लोराइड	टी
कार्बोफिनोथियन	टी
सैल्यूलोज नाइट्रेट	ई एफ
क्लोरेट्स (विस्फोटकों में प्रयुक्त)	ई
क्लोरफिनविन्फोस	टी
क्लोरीन	टी
क्लोरीन थाक्साइड	सी
क्लोरोएसिटल क्लोराइड	टी एफ
क्लोरोबेन्जीन	
क्लोरोडीफिनाइल	टी
क्लोरोफॉम	टी
क्लोरोफोमिल-4, मोरफोलिन	टी
क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर	टी एफ
क्लोरोफीन	टी
क्लोरोसल्फोनिक एसिड	टी ई
क्लोरोट्रिनिट्रोबेन्जीन	
क्रोमियम एण्ड कम्पाउंड्स	टी
कोबाल्ट एण्ड कम्पाउंड्स	
कॉपर एण्ड कम्पाउंड्स	टी
क्रीमिडाइन	टी एफ
क्रोटोनेलडाइड	टी
क्यूमीन	टी
साइनोथोट	एफ
साइक्लोहेक्सेन	टी एफ
साइक्लोहेक्सेनन	टी
साइक्लोहेक्सीमाइड	टी एफ
साइक्लोपेन्टेडीन	ई
साइक्लोटेट्रामिथाइलइनेट्रानाइट्रेमाइन	ई
साइक्लोट्रीमिथाइलिन ट्राइनोट्रेमाइन)	टी
डी डी टी	टी
डीमिटोन	आर
डी-एन-प्रोपाइल पैरोक्साइडीकार्बोनेट	आर
-डी-सेक-ब्यूटाइल पैरोक्सीडाइ कार्बोनेट	टी
डियालीफोस	ई
डियाजोडिनिट्रोफिनोल	आर
डाइबेन्जील पैरोक्सीडीकार्बोनेट	

रसायन (कालम-1)	घातक वर्गीकरण (कालम-2)
डी क्लोरोवेन्जीन-ओ	टी
डी क्लोरोवेन्जीन-पी	टी
डी क्लोरोफिनोक्सी एसीटिक-2, 4 (2, 4-डी)	टी
डाइक्लोरोवास (डीडीवीपी)	टी
डीथाइल पैरोक्सी डाइकार्बोनिट	आर
डीथाइलेमाइन	टी
डीथाइलेमाइन इथेनोल	टी
डीथाइलीन ग्लाइकोल डिनट्रेट	ई
डी हाइड्रोपैरोक्सीप्रोपेन,-2,2	आर
डीइसोब्यूटाइरिल पैरोक्साइड	आर
डीइसोप्रोपाइलेमाइन	सी एफ
डीमेफोस	टी
डीमिथाइल फोर्मेमाइड	टी
डीमिथाइल फोसफोरेमीडोसीमिडिक एसिड	टी
डीमिथाइल सल्फेट	टी
डीमिथाइलेनाइन	टी
डीमिथाइलेलिन	टी
डीमिथाइलकार्बोमिल क्लोराइड	टी
डीमिथाइल नाइट्रोसेमिन	टी
डीनिट्रोबेन्जीन	टी
डीनीट्रोफिनाइल, साल्ट्स	टी ई
डीनीट्रोटोल्यून	टी
डीन्ट्रो-ओ-क्रीसोल	
डायोक्सेन	टी एफ
डाइफासिनोन	टी
डाइसुलफोटोन	टी
ऐपिक्लोरोहाइड्रिन	टी एफ
ई पी एन	टी
ईथियन	एफ
ईथाइल एसिटेट	एफ
इथाइल अलकोहोल	सी एफ
ईथाइल अमाइन	टी
ईथाइल ब्रूमाइड	टी
ईथाइल क्लोराइड	
ईथाइल ईथर	टी एफ
ईथाइल मरकाप्थिन	टी ई आर
ईथाइल नाइट्रेट	टी
ईथिलिन क्लोरोहाइड्रिन	सी एफ
ईथिलिन डरमाइन	टी
ईथिलिन डिब्रोमाइड (1, -2-डिब्रोमोथेन)	टी ई
ईथिलिन ग्लाइकोल डिन्ट्रेट	टी एफ आर
ईथिलिन आक्साइड	टी एफ
ईथिलेनेमाइन	टी
फ्लुजेटिल	टी
फ्लुडराइड	टी
फ्लुडरो-4-2 हाइड्रोक्सिब्युट्रिक एसिड एण्ड साल्ट्स, ईस्टर्स, इमाइड्स	टी
फ्लोरडेसिटिक एसिड एण्ड साल्ट्स, ईस्टर्स एमाइड्स	टी
फ्लोरडेसिडिक एसिड-4 एण्ड साल्ट्स, ईस्टर्स एमाइड्स	टी
फ्लोरडेसिटिक एसिड-4, एण्ड साल्ट्स ईस्टर्स, एमाइड्स	टी
फोरमैल्डेहाइड	टी
फरफ्युरल	टी
ग्लाइकोनिटाइल (हाइड्रोक्सियासेटोनिट्राइल)	टी
गिनिल-1-4-हाइड्रोसिमिनोगिनिल-1-टेट्राजिन	ई
हेप्टाक्लोर	

रसायन (स्तम्भ-1)	घातक वर्गीकरण (कालम-2)
हेक्साक्लोरोडाइबेन्जो-पी-डायक्सिन-1, 2,3,7,8,9	टी
हेक्सामिहाइक्फास्फोरेलाईड	टी
हेक्सामिथाइल-3,3,6,6,9,9,-1,2,4,5,-टेट्रोक्सिनलोनोनेट	आर
हेक्सानिट्रोसटिलविन-2,2,4,4,6,6,	ई
हाइड्राजाइन	टी एफ
हाइड्राजाइन नाइट्रेट	ई
हाइड्रोजन	एफ आर
हाइड्राजन क्लोराइड (तरल गैस)	टी
हाइड्रोजन साइनाइड	टी एफ
हाइड्रोजन फ्लोराइड	टी सी
हाइड्रोजन सेलेमाइड	टी
हाइड्रोजन सल्फाइड	टी एफ
आयोडीन	
आइसोबेनजान	टी
आइसोड्रीन	टी
आइसोफ्रोपाइलेमाइन	सी एफ
जुगलोन (5-हाइड्रोक्साइनाफियालीन-1,4-डायोनी)	टी
लैड (इनोइगेनिक फ्यूम्स एवं डस्ट्स)	
लेड 2,4,6-ट्रिन्ट्रिरेसोरसिनोक्साइड लेडस्टिफनेट	ई
लेड अजाइड	ई
लिनडेन	टी
मालटेक मेनिट्राइड	टी
मैंगनीज एवं कम्पाउंड्स	
मरकरी एल्मिल	
मरकरी फलामिनेट	ई
मरकरी मिथाइल	
मिथाइल एडिटेट	टी एफ
मिथाइल एरिलेट	एफ
मिथाइल अलकोहाल	सी एफ
मिथाइल अमाइन	
मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमेथिथेन)	टी
मिथाइल क्लोराइड	टी
मिथाइल कलोरोफोम	टी एफ
मिथाइल साइक्लो हेक्सेन	एफ
मिथाइल ईथिल रीटोन पैरोक्साइड	आर
मिथाइल आइसोब्यूटिल री टोन पैरोक्साइड	आर
मिथाइल आइसोथियानेट	टी एफ
मिथाइल स्टिरीन	टी एफ
मिथिलीन क्लोराइड	टी
मिथिलेनेबिस-4-4 क्लोरोएनीलाइन	टी
मेविनाहोस	टी
मुलिबेडनम एण्ड कम्पाऊंड्स	
मोर्फोलिन	सी एफ
एन-मिथाइल-एन,2,4,6,-एन टेट्रानिट्रोनिलिन	ई
नेफ्था (कोलतार)	एफ
नेफथालिन	टी
नेफ्थीलिमाइन-?	टी
निकल एण्ड कम्पाउंड्स	टी
निकल टेट्राकार्बोनिल	टी एफ
नाइट्रोनिलिन-पी	टी
नाइट्रोबेंन्जीन	टी
नाइट्रोक्लोरोबेंजीन	टी
नाइट्रोथेन	टी एफ

रसायन (कालम-1)	घातक वर्गीकरण (कालम-2)
नाइट्रोजन डायक्साइड	टी
नाइट्रो आक्साइड	टी
नाइट्रोग्लीसीन	टी ई
नाइट्रोप्रोफेन-1	टी एफ
नाइट्रोप्रोफेन-2	टी एफ
ओलीम	सी
डीथिल-ईथिलसल्फिनिलमिथाइल फासफोरोथाएट	टी
डीथिल-ईथिलसल्फिनिलमिथाइली फासफोरोथाएट	टी
डीथिल एस-इथिलथियोमिथाल फासफोरोथाएट	टी
डीथिल आइसोप्रोफिल मिमोमिथाइल फास्फोरोथिएट	
डीथिल प्रोफिल थियोमिथाइल फोफरोडाई थियोट	टी
आक्सीडाइसलफ्यूटन	टी
आक्सीजन (तरल)	
आक्सीजन डाइफ्लुराइड	टी
ओजोन	
पैराक्सोन (डीथिल-4-नाइट्रोफिनाइल फास्फेट)	टी
पैराथियन	टी
पैराथियन मेथाइल	टी
पेनसुलफाथियन	टी
पेन्टाबोरेन	टी एफ
पेनटाक्लोरोफिनायल	टी
पेनसुटेरिथराइटल टैटरानिटरेट	टी एल
पैरासिटिक एसिड	सी आर
पेरक्लोरोथायलिन	टी
पेरक्लोरोमैथाइल मरकॅपटन	
पेंटानडन, 2,4,मैथाइल	टी
फिनाल	टी
फोरेट	टी
फासफिटम	टी
फॉसजिन (कारबोनाइल क्लोराइड)	टी
फॉसफेमिडन	टी
फासफाइन (हाइड्रोजन फासफिडाइ)	एफ
फॉसफिड्स एण्ड कम्पाउंड्स	एफ
थैलिक एन हाइड्राइड	
पाइक्रिक एसिड 2,4,6-ट्राईनिट्रोफिनिडल	टी ई
प्रोमूरिट	टी
(1)3,4-डिक्लोरोफिनाइल) इट्रिजेनेथियोकार्बोनिलामाइड)	
प्रोपेनिसलटोन-3,1	टी
प्रोपेन-1,2-क्लोरोडॅ-1,3-डायल डाइमिटेट	टी
प्रोपाइल एसिटेट-एन	एफ
प्रोपाइल अलकोहल	एफ
प्रोपाइल न डिक्लोराइड	एफ
प्रोपाइन आक्साइड	टी
प्रोपाइलनमाइन	टी
पायराजोकसन	टी
पयरार्डुयाइन	टी एफ
क्वीनोन	—
सेलेनियम हेक्सा फ्लुओराइड	टी
सोडियम क्लोरेट	ई आर डी
सोडियम हाइड्राक्साइड	सी
सोडियम निट्रेट	टी डी
सोडियम पिक्रामेट	टी ई
सोडियम सेलेनाइट	टी

रसायन (कालम-1)	जोखिम का वर्गीकरण (कालम-2)
सल्फोटर	टी
सल्फर डाइक्लोराइड	टी
सल्फर ट्रायॉक्साइड	टी
सल्फ्युरिक एसिड	—
टैलूरियम	—
टैलूरियम हैक्साफ्लोराइड	टी
टैम्प	टी
टैट्राक्लोरडयाईबिजो-पी-डायोक्सिन-2,3,7, 8 (टीडीडीडी)	टी
टैट्राइथाइल लीड	टी
टैट्राहाइड्रोफ्यूरेन	टी एफ
टैट्रामैथाइलडाइसल्फोटेट्रामाइन	टी
टैट्रामैथाइल लीड	टी
टैट्रानाइट्रोमैथेन	टी
थैलियम एण्ड कम्पाउंड्स	टी
थायोनाजिन	एल
थायोनाइल क्लोराइड	टी
थाइरम	टी
टाइरपेट	टी एफ
टॉल्यून	टी
टॉल्यून-2,-2 डिटैड साइनेट	टी
टाल्य आइडिन-ओ	टी ई
ट्राई-1 साईक्लोहाइक्सलो स्टैनाइल-1-एल-1, 2, 4-थानील	टी
ट्राईयामिनड-1-3, 5-2, 4, 6-ट्राईनिट्रोमैनेजिन	टी
ट्राईक्लोरोएथिलिन	सी एफ
ट्राईक्लोरोमैथानेसल्फेनाइल	टी
ट्राईथाइलेनाइड	टी ई
ट्राईइथाइलेनेमेलेमाइन	टी ई
ट्राईनिट्रेडेनिलाइन	टी ई
ट्राईनिट्रोआनिसोल-2, 4-6	टी ई
ट्राईनिट्रोबेंजिन	टी ई
ट्राईनिट्रोबेंजायिक एसिड	टी-ई
ट्राईनिट्रेडेक्रिसोल	टी ई
ट्राईनिट्रोफेनिटोल 2, 4, 6	टी ई
ट्राईनिट्रोरिसोसेडिनयल-2, 4, 6 (स्टाइफैनिक एसिड)	टी ई
ट्राईनिट्रोसोबिचन	—
ट्राईआर्थोक्रिस्टल	टी
टर्पेनटाइन	टी
यूरेनियम एण्ड कम्पाउंड्स	टी
वैनेडियम एण्ड कम्पाउंड्स	टी एफ
विनाइल क्लोराइट	टी ई
विनाइल टॉल्यून	टी एफ
वार्फेरिन	टी
जाइलिन	टी
जाईलिडिन	
जिंक एण्ड कम्पाउंड्स	एफ
जिरकोनियम एण्ड कम्पाउंड्स	

सी — क्षरणशील
ओ — आक्सीकर
ई — विस्फोटक
आर — प्रतिक्रियाशील
एफ — ज्वलनशील
टी — विषैला

अध्याय 6

यातायात का नियंत्रण

138 मोटर साईकल के लिए संकेत और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय :—

(1) मोटर यान का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसरों पर करेगा जो धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) किसी मोटर साईकल का ड्राइवर, धारा 128 की उपधारा (1) में वर्णित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन करेगा।

139 अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना :—

किसी मोटर यान का ड्राइवर या कंडेक्टर वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र अच्छी हालत में होने का प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र, चालन अनुज्ञप्ति तथा कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। यदि सभी या उनमें से कोई दस्तावेज उसके पास नहीं हैं तो वह दस्तावेजों के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत करेगा और उसे उस अधिकारी को, जिसने वे दस्तावेज मांगे थे, मांग करने की तारीख से 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा।

अध्याय 7

पर-व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध मोटर यानों का बीमा :—

140 परिभाषाएं :—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "लेखा वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और आगामी वर्ष 31 मार्च, को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(2) "अनुमोदित सूची" से विदेशी बीमा कर्ताओं और उनके प्रत्याभूति-दाताओं की ऐसी सूची अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए रखा गया है,

(3) "प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई राज्य परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है जिसके स्वामित्व में मोटर यानों को धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन अनिवार्य बीमा से छूट दी गई है।

(4) "बैंक" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो, उधार देने या विनिधान के प्रयोजन के लिए, जनता से ऐसी धनराशि की जमा प्रतिगृहीत करती है जो मांग करने पर या अन्यथा प्रतिसंदेय है तथा जो चैक, ड्राफ्ट, आदेश से या अन्यथा प्रत्याहरणीय है,

स्पष्टीकरण :—कोई कम्पनी जो माल के विनिर्माण में लगी हुई है या कोई व्यवसाय करती है और जो जनता से धन राशि की जमा ऐसे विनिर्माता अथवा व्यवसायी के रूप में अपने कारबार के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए प्रतिगृहीत करती है, इस खण्ड के अर्थान्तर्गत बैंक नहीं समझी जाएगी।

(5) "विदेशी बीमा प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो इन नियमों के अनुपालन में विदेशी बीमाकर्ता द्वारा प्ररूप 52 में जारी किया गया है;

(6) "विदेशी बीमाकर्ता" से बीमा कारबार करने वाला ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो भारत से बाहर निगमित या अधिवसित है और जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

(7) "निधि" से नियम 150 के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(8) "सरकारी अभिप्रेत प्रतिभूति" से ऐसी सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में परिभाषित है;

(9) "प्रत्याभूतिदाता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसने इन नियमों के अनुसरण में किसी विदेशी बीमाकर्ता को प्रत्याभूत किया है इन नियमों के अनुसरण में किसी विदेशी बीमाकर्ता को प्रत्याभूत किया है और "प्रत्याभूति" "प्रत्याभूत" और "प्रत्याभूतिदेना" के तद्नुसार अर्थ हैं;

(10) "परिदर्शक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में मोटर यान लेकर आता है और अस्थाई रूप से जो निरंतर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं ठहरता है।

(क) अन्तर्देशीय बीमा

141. बीमा प्रमाणपत्र :—प्राधिकृत बीमाकर्ता, बीमा पालिसी के प्रत्येक धारक को ऐसे प्रत्येक यान की बाबत प्ररूप 54 में बीमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

142. कवर नोट :—(1) प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रत्येक कवर नोट प्ररूप 52 में होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कवर नोट इसके जारी किए जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और बीमाकर्ता कवर नोट की समाप्ति की तारीख से पूर्व बीमा पालिसी जारी करेगा।

143. प्रमाण-पत्र और कवर नोट का जारी किया जाना :—(1) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुपालन में बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

144. बीमा प्रमाणपत्र का अन्तरण :—जब कभी किसी विधिमान्य बीमा प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी मोटरयान के स्वामित्व का उससे संबंधित बीमा पालिसी सहित किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण किया जाता है तो, ऐसे यान की बीमा पालिसी यान के स्वामित्व के अन्तरण की तारीख से उस अन्य व्यक्ति के नाम स्वतः अन्तरित हो जाएगी और वह व्यक्ति, उक्त अन्तरण की तारीख से 14 दिन के भीतर, उस प्राधिकृत बीमाकर्ता को, जिसने यान का बीमा किया है, यान के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, यान के अन्तरण की तारीख, यान के पहले स्वामी और बीमा पालिसी की संख्या और तारीख के या बारे में सूचना देगा जिससे कि प्राधिकृत बीमाकर्ता अपने अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन कर सके।

145. विज्ञापन सामग्री का अपवर्जन :—इस अधिनियम के अध्याय 11 और इस अध्याय के अनुसरण में जारी किए गए किसी बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट पर न तो मुख पृष्ठ पर और न ही उसके पिछली ओर कोई विज्ञापन सामग्री दी जाएगी।

146. ऐसे प्रमाणपत्र या कवर नोट जो खो गए हैं नष्ट हो गए हैं पर फट गए हैं मैले हो गए हैं विरूपित अथवा विकृत हो गए हैं :—

(1) जहां कोई पालिसी धारक :—

(क) किसी बीमाकर्ता के पास घोषणा दाखिल करता है जिसमें वह यह घोषित करता है कि उसे ऐसे बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट खो गया है, नष्ट हो गया है, फट गया है, मैला हो गया है, विरूपित हो गया है, अथवा विकृत हो गया है तथा प्रमाणपत्र या कवर नोट के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने से संबंधित परिस्थितियों की ओर उनका पता लगाने के प्रयासों की पूर्ण विशिष्टियां देता है,

(ख) या ऐसे बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी किए गये बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट फटी हुई, मैली, विरूपित या विकृत दशा में प्राधिकृत बीमाकर्ता को लौटा देता है, और

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र या कवर नोट की बाबत बीमाकर्ता को बीस रुपये की फीस का संदाय करता है,

वहां प्राधिकृत बीमाकर्ता, यदि उसका युक्तियुक्त रूप से यह समाधान हो जाए कि ऐसा प्रमाणपत्र या कवर नोट खो गया है, या नष्ट हो गया है, और यह कि उसका पता लगाने के सभी युक्तियुक्त प्रयत्न किए गये है, या यह कि वह यथास्थिति नष्ट हो गया है या मैला हो गया है, विरूपित हो गया है, या विकृत हो गया है, तो वह उसके बदले बीमा या कवर नोट की दूसरी जारी करेगा जिस पर "दूसरी प्रति" शब्द स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा।

(2) जब कभी इस अभ्यावेदन करने पर कि प्रमाणपत्र या कवर नोट खो गया है, उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्रमाणपत्र या कवर नोट की दूसरी प्रति जारी कर दी जाती है, और बाद में धारक को मूल प्रमाणपत्र या कवर नोट मिल जाता है तो यथास्थिति, मूल प्रमाणपत्र या कवर नोट बीमाकर्ता को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

147. प्राधिकृत बीमाकर्ताओं के द्वारा अभिलेखों का रखा जाना प्रत्येक प्राधिकृत बीमाकर्ता उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक बीमा पालिसी की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियों का अभिलेख पांच अवधि तक रखेगा अर्थात् :—

(1) उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसे पालिसी जारी की गई है,

(2) किसी विनिर्दिष्ट मोटरयान से संबंधित पालिसी की दशा में ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और उस यान की संख्या तथा अन्य दशाओं में पालिसी के अन्तर्गत आने वाले यान का ब्यौरा :—

(3) वह तारीख जिसको पालिसी प्रवृत्त हुई है और उसके समाप्त होने की तारीख,

(4) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, बीमा पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की क्षतिपूर्ति की जाएगी,

(5) बीमा पालिसी के संबंध में जारी किए गए प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट के जारी करने की संख्या और तारीख,

(6) वह तारीख यदि कोई हो, जिसको बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट की दूसरी प्रति जारी की गई थी,

(7) या दूसरी प्रति के जारी किए जाने के पश्चात मूल बीमा प्रमाणपत्र मिल गया और तत्पश्चात इसमें बीमाकर्ता को अभ्यर्पित कर दिया गया और यदि ऐसा है तो किस तारीख को।

148. छूट प्राप्त यानों के अभिलेख :— ऐसे मोटर यान की दशा में, जो धारा 146 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी के स्वामित्वाधीन है और ऐसे मोटर यान की दशा में भी जो धारा 146 की उपधारा (3) में छूट प्राप्त है, ऐसे प्राधिकारियों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 53 में प्रमाणपत्र इस साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकेगा कि मोटर यान धारा 146 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा है।

(2) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने स्वामित्वाधीन या धारा 146 की उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त ऐसे मोटर यान का, जिसके संबंध में बीमा पालिसी अभिप्राप्त नहीं की गई है, और ऐसे यानों के संबंध में इन उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र का और उन व्यक्तियों के नामों तथा पतों का जिनको ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और ऐसे प्रमाणपत्रों में से किसी के रद्दकरण का अभिलेख रखेगा।

149. जानकारी का दिया जाना—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दस्तावेजों का अभिलेख रखने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, प्राधिकारी या प्राधिकृत बीमाकर्ता अनुरोध करने पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पालिसी अधिकारी को बिना किसी प्रभार के उसकी कोई भी विशिष्टियां देगा।

150. दावा अधिकरण को रिपोर्ट की प्रतियां दिया जाना—

(1) धारा 158 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट प्ररूप 54 में होगी।

(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो धारा 160 के अधीन प्रतिकर का दावा करने के पात्र व्यक्ति को आवश्यक जानकारी देने के लिए अपेक्षित हैं, अनुरोध प्राप्त करने की तारीख से सात दिन के भीतर और दस रुपए की फीस का संदाय किए जाने पर, प्ररूप 54 में जानकारी देगा।

151. निधि की स्थापना—धारा 146 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे दायित्व को, जो उस प्राधिकारी के किसी मोटरयान के उपयोग से उत्पन्न हो या जो उसके नियोजन में कोई व्यक्ति पर व्यक्ति के प्रति उपगत करे और जिसके अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उत्पन्न होने वाला दायित्व भी है, पूरा करने के लिए निधि की स्थापना करेगा।

152. निधि की रकम—(1) निधि की स्थापना कम से कम पांच लाख रुपए की प्रारंभिक राशि से की जाएगी और उक्त राशि बैंक या सरकार के पास जमा रखी जाएगी।

(2) उप नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकारी चालू हालत में अपने यानों की बाबत प्रत्येक लेखा वर्ष के प्रारंभ में निधि में प्रति यान कम से कम दो सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में "चालू हालत में यान" से प्राधिकारी के ऐसे सभी यान अभिप्रेत है जिनके लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय चलते रहने की संभावना है।

(3) जब निधि बीस लाख रुपए या यानों की संपूर्ण फ्लीट के लिए प्रति यान दो हजार पांच सौ रुपए की, इसमें से जो भी कम हो, राशि से अधिक हो जाती है तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट वार्षिक संदाय रोक दिया जाएगा. परन्तु यदि तत्पश्चात् निधि के जमाखाते में रकम बीस लाख रुपए या यानों के संपूर्ण फ्लीट के लिए प्रति यान दो हजार पांच सौ रुपए, इसमें से जो भी कम हो, से कम हो जाती है तो ऐसे वार्षिक संदाय को पुनः चालू कर दिया जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी की यह राय है कि बीस हजार रुपए या यानों की संपूर्ण फ्लीट के लिए प्रति यान दो हजार पांच सौ रुपए, इसमें से जो भी कम हो, की राशि पर्याप्त नहीं है तो वह, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, बीस लाख रुपए या प्रति यान दो हजार पांच सौ रुपए की रकम से अधिक वार्षिक संदाय करता रहेगा।

153. निधि का विनिधान—निधि के जमाखाते की रकम से प्राधिकारी बैंक में कम से कम पचास हजार रुपए की नकद जमा रखेगा और उसे बनाए रखेगा तथा निधि के जमा खाते में की शेष रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित कर दी जाएगी।

154. निधि में जमा के रूप में धारित प्रतिभूतियां—(1) ऐसी सभी सरकारी प्रतिभूतियां, जिनमें निधि को विहित किया गया है, प्राधिकारी द्वारा बैंक को अंतरित कर दी जाएगी।

(2) प्राधिकारी किसी भी समय नकद रकम या समान अथवा अधिक बाजार मूल्य की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों या दोनों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का विनियमन करने के लिए सक्षम होगा और प्राधिकारी के लिए बैंक सामान्य कमीशन प्रसारित करने के पश्चात् ऐसे विनियमन के लिए प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा। इस प्रकार विनियम की गई प्रतिभूतियां बैंक को भी अंतरित कर दी जाएगी।

155—जमा प्रक्रिया (1) जैसे ही निधि की स्थापना कर दी जाती है, बैंक प्राधिकारी को एक विवरण भेजेगा जिसमें वह प्राधिकारी की ओर से उसके द्वारा धारित आस्तियां विनिर्दिष्ट करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार के भूतल परिवहन विभाग या संबंद्ध राज्य सरकार को भी भेजेगा।

(2) जब कभी भी बैंक द्वारा धारित प्राधिकारियों की आस्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण एक ही प्रकार से और उन्हीं प्राधिकारियों को भेजा जाएगा।

156—जमा रकम पर ब्याज—निधि में प्रत्येक जमा या निधि में धारित प्रतिभूतियों पर वसूल किए गए ब्याज का संदाय बैंक द्वारा प्राधिकारी को किया जाएगा।

157—(1) रकम का निकाला जाना—(1) निधि से कोई भी रकम किसी ऐसे दायित्व को, जो प्राधिकारी के मोटर यान का उपयोग करने से उत्पन्न हो और जो वह प्राधिकारी या उसके नियोजन में कोई व्यक्ति पर व्यक्ति के प्रति उपगत करे और जिसके अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 से उत्पन्न होने वाला दायित्व भी है, पूरा करने के प्रयोजन के लिए ही निकाली जाएगी अन्यथा नहीं।

(2) प्राधिकारी, ऐसी शर्तों और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो वह इस निमित्त अधिरोपित करे, अपने किसी अधिकारी को उपनियम (1) में वर्णित प्रयोजन के लिए निधि से धनराशि निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकार पत्र की एक प्रति, जिसे प्राधिकारी के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया हो, बैंक को भेजी जाएगी जो उसमें अन्तर्विष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकार पत्र में नामित अधिकारी द्वारा ही राशि निकाले जाने की अनुज्ञा देगी।

158. दावों का किया जाना—प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंद्ध राज्य सरकार ऐसे दावों के, जो निधि से पूरे किए जाने हों, तय किए जाने के संबंध में, अनुरक्षण की जाने वाली प्रक्रिया की बाबत समय-समय पर जारी करे।

159. विदेशी बीमाकर्त्ताओं की सूची—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ताओं की, जिनके बारे में इस अध्याय के उपबंधनों के अनुसार प्रत्याभूति दी गई है, सूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुमोदित सूची कहा गया है) और साथ ही प्रत्येक दशा में प्रत्याभूतिदाता या प्रत्याभूतिदाताओं के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी तथा समय-समय पर अनुमोदित सूची में जोड़े जाने या उससे हटाए जाने को भी प्रकाशित करेगी।

(2) किसी भी विदेशी बीमाकर्ता का नाम अनुमोदित सूची में तभी जोड़ा जाएगा जब ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता के बारे में कम से कम एक बीमाकर्त्ता द्वारा प्रत्याभूति दी गई है और ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता का नाम जिसका कम से कम एक प्रत्याभूतिदाता भी नहीं रह गया है, सूची से हटा दिया जाएगा।

160—विदेशी बीमाकर्ता का प्रत्याभूतिदाता :—

(1) कोई ऐसा बीमाकर्ता जो किसी विदेशी बीमाकर्ता के बारे में प्रत्याभूति देना चाहता है, प्ररूप 55 में केन्द्रीय सरकार को उसके लिए आवेदन करेगा।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन सही है और यह समीचीन है कि विदेशी बीमाकर्त्ता को अनुमोदित सूची में रखा जाए अथवा जहां विदेशी बीमाकर्त्ता का नाम अनुमोदित सूची में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है, यह कि बीमाकर्त्ता को विदेशी बीमाकर्त्ता के प्रत्याभूतिदाता के रूप में अनुमोदित सूची में जोड़ दिया जाए, तो वह अनुमोदित सूची में विदेशी बीमाकर्त्ता का नाम तब जोड़ सकेगी जब वह उसमें पहले ही सम्मिलित नहीं किया गया है और ऐसे बीमाकर्त्ता को ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता के प्रत्याभूतिदाता के रूप में सम्मिलित कर सकेगी।

(3) ऐसा प्रत्याभूतिदाता, जो किसी विदेशी बीमाकर्ता के बारे में प्रत्याभूति देना छोड़ देना चाहता है प्ररूप 56 में केन्द्रीय सरकार को कम से कम दो मास की सूचना देगा और जहां ऐसी सूचना दी गई है, वहां प्रत्याभूतिदाता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से विदेशी बीमाकर्त्ता के बारे में प्रत्याभूति देना छोड़ दिया है।

परन्तु ऐसा छोड़ने की तारीख के पूर्व नियम 169 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार पृष्ठांकित या नवीकृत सभी विदेशी बीमा प्रमाणपत्रों की बाबत, बीमाकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता का जिसने प्रमाणपत्र जारी किया है, प्रत्याभूतिदाता बना हुआ है मानो ऐसे प्रत्याभूति दाता ने इसका प्रत्याभूतिदाता होना छोड़ा नहीं है।

(4) यदि किसी समय कोई प्रत्याभूतिदाता बीमाकर्त्ता नहीं रह जाता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी सूचना देने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत होती हो, ऐसे प्रत्याभूतिदाता के नाम अनुमोदित सूची से जब कभी ऐसा प्रतीत हो, हटा सकेगी।

परन्तु अनुमोदित सूची में से प्रत्याभूतिदाता के नाम के हटाए जाने की तारीख के पूर्व नियम 161 के (2) के उपबंधों के अनुसरण में पृष्ठांकित सभी विदेशी बीमा प्रमाण-पत्रों की बात ऐसे प्रत्याभूतिदाता के बारे में, जो बीमाकर्त्ता नहीं रहा है, यह समझा जाएगा कि वह विदेशी बीमाकर्त्ता के बारे में प्रत्य भूतिदाता बना हुआ है मानो ऐसे प्रत्या भूतिदाता ने बीमाकर्त्ता होना छोड़ा नहीं है और मानो उसका नाम सूची से नहीं हटाया गया है।

161. विदेशी बीमा प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन—(1) ऐसा परिदर्शक जो विदेशी बीमा प्रमाण पत्र को पृष्ठांकित या पुनः पृष्ठांकित कराना चाहता है, प्ररूप 57 में ऐसा प्रमाण पत्र प्रविष्टि पत्तन या भूमि सीमाशुल्क पोस्ट पर सीमा शुल्क कलक्टर के समक्ष अथवा ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिए या इस अध्याय के अनुसार प्रमाण पत्र पर पहले ही किए गए किसी पृष्ठांकन के नवीकरण के प्रयोजन के लिए पेश करेगा।

(2) यदि ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी बीमा प्रमाण पत्र इस अध्याय के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, भारत में ऐसे प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्त नहीं हुई है, ऐसा प्रमाण पत्र अनुमोदित सूची के विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया है और प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूतिदाता को अनुमोदित सूची में विदेशी बीमाकर्ता के प्रत्याभूतिदाता के रूप में दिखाया गया है तो वह प्ररूप 58 में उस पर पृष्ठांकन करेगा।

(3) किसी पृष्ठांकन की विधिमान्यता की या पूर्वोक्त रूप में किए गए पृष्ठांकन के नवीकरण की अवधि किसी भी दशा में ऐसी तारीख के परे नहीं बढ़ाई जाएगी जिसको विदेशी बीमा प्रमाण पत्र भारत में प्रभावी नहीं रहता है।

परन्तु जब कोई पर्यटक भारत में अपने ठहरने के दौरान नया विदेशी बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तब उस पर किए गए पृष्ठांकन की विधिमान्यता की अवधि ऐसे पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों की, जो मूल प्रमाण पत्र पर किए जाते हैं, विधिमान्यता की अवधि में जोड़ने पर, कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

162--विदेशी बीमा प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता :

नियम 161 के उपबंधों के अनुसार पृष्ठांकित किया गया विदेशी बीमा प्रमाण पत्र इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्याभूतिदाता द्वारा जारी किया गया बीमा प्रमाण पत्र हो और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह अधिनियम के अध्याय 11 की अपेक्षाओं के अनुरूप है और ऐसी पालिसी के बारे में भी जिससे वह संबंधित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे प्रत्याभूतिदाता द्वारा जारी की गई है और वह अधिनियम के अध्याय 11 की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

163--प्रत्याभूतिदाता द्वारा अभिलेखों का रखा जाना :

प्रत्येक प्रत्याभूतिदाता, ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता द्वारा, जिसके बारे में उसने प्रत्याभूति दी है, अपनी प्रत्याभूति के अधीन जारी किए गए विदेशी बीमा प्रमाण पत्र की बाबत और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्याभूतिदाता नहीं रहा है, ऐसे विदेशी बीमाकर्त्ता द्वारा, जिनके बारे में उसने पूर्वगामी पांच वर्षों में किसी समय प्रत्याभूति दी है, अपनी प्रत्याभूति के अधीन जारी किए गए विदेशी बीमा प्रमाण पत्र की बाबत, ऐसी पालिसियों से संबंधित जिनके संबंध में विदेशी बीमा प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, ऐसी विशिष्टियों का अभिलेखन रखेगा जो पालिसियों की बाबत नियम 147 के अधीन बीमाकर्त्ताओं द्वारा रखी जानी अपेक्षित है और उन अभिलेखों में ऐसे आवश्यक परिवर्तन, जो उन्हें अद्यतन बनाए रखने के लिए अपेक्षित है, उतनी शीघ्रता से किए जाएंगे जितना परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से संभव हो।

अध्याय-8

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया :—

164. धारा 208 के प्रयोजन के लिए धारा 208 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अपराध निम्नलिखित होंगे—

(क) निरर्हता की अवधि के दौरान मोटर यान चलाना (धारा-23)

(ख) उस समय रुकने में असफल रहना जब यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है (धारा-132)

(ग) पृष्ठांकन की विशिष्टियां दिए बिना चालन-अनुज्ञप्ति प्राप्त करना या उसके लिए आवेदन करना (धारा—182)

(घ) खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना (धारा—184)

(ङ) मत्तता या औषधि के असर में होते हुए मोटरयान चलाना (धारा—185)

(च) धारा 184 या धारा 185 के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना (धारा—188)

(छ) किसी प्रकार की अप्राधिकृत दौड़ या गति के परीक्षण में भाग लेना (धारा—189)

(ज) चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करना या परिवर्तित अनुज्ञप्ति का प्रयोग करना।

(झ) कारावास से दंडनीय अन्य अपराध जिसके किए जाने में मोटर यान का प्रयोग किया गया था।

[सं. आर टी-11014/1/89-टी ए जी]

(बी. आर. चव्हाण)

संयुक्त सचिव (टी)

प्ररूप

नियम 2 (ख) देखिए।

प्ररूप

नियम 5, 7, 10 (क), 14 (घ) देखिए।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति या किसी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदक की बाबत चिकित्सीय प्रमाणपत्र।

भाग—I

आवेदक द्वारा भरा जाना है।

5 × 6 सेन्टीमीटर आकार के फोटो के लिए स्थान

1. आवेदक का नाम
2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. स्थायी पता
4. अस्थायी पता
   सरकारी पता
   (यदि कोई है)
5. जन्म की तारीख
6. पहचान चिन्ह (1)
   (2)

आवेदक की शारीरिक समर्थता के बारे में घोषणा :—

(क) क्या आप अपस्मार, या बेहोशी के असामयिक दौरा या किसी भी कारण से सिर चक्कर से पीड़ित है। —हां/नहीं—

(ख) क्या आप 25 मीटर की दूरी पर दिन की अच्छी रोशनी में (यदि आप चश्मा लगाते हैं तो उसे लगाकर) हर आंख से विभेद करने में समर्थ है। —हां/नहीं—

(ग) क्या आप दोनों में से कोई हाथ या पैर खो चुके है या क्या आपकी बाहों या पैरों में से किसी के संचालन, नियंत्रण या मांस पेशियों की शक्ति में कोई कमी है। —हां/नहीं—

(घ) क्या आप लाल और हरे रंजक रंगों में आसानी से भेदकर सकते है। —हां/नहीं—

(ङ) क्या आप रतौंधी से पीड़ित है। —हां/नहीं—

(च) क्या आप इतने बधिर है कि सामान्य, ध्वनि संकेत सुन पाने में (और यदि आवेदन हल्के मोटर यान के चालन के लिए है तो उस दशा में श्रवण सहाय सहित या उसके बिना) असमर्थ है। —हां/नहीं—

(छ) क्या आप किसी अन्य ऐसे रोग या निःशक्तता से पीड़ित है जिसके कारण आपके मोटर यान चालन से जनता को खतरा का एक स्रोत बन जाने की संभावना है। यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें। —हां/नहीं—

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियां और इसमें की गई घोषणा सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : उस आवेदक को, जो प्रश्न (क), (ग), (ङ), (च) और (छ) का उत्तर 'हां' में देता है या प्रश्न (ख) और (घ) में से किसी का उत्तर "नहीं" में देता है, अपने उत्तर को पूर्ण विशिष्टियों सहित सरल करना चाहिए और उससे/उनसे संबंधित और जानकारी देने की अपेक्षा की जा सकती है।

भाग 2

(राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम

2. की पत्नी/का पुत्र/की पुत्री

3. स्थायी पता

4. अस्थायी पता

5. जन्म की तारीख

6. पहचान चिह्न (1)

(2)

7. (क) क्या आवेदक, आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपस्मार, भ्रमि या किसी ऐसे मानसिक रोग के अध्यधीन है जिससे उसकी चालन कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। —हां/नहीं—

(ख) क्या आवेदक किसी हृदय या फेफड़े के विकार से पीड़ित हैं जो चालक के रूप में उसके कर्तव्यों के अनुपालन में बाधा डाल सकता है। —हां/नहीं—

(ग) क्या दृष्टि में कोई दोष है। यदि ऐसा है तो उपयुक्त चश्मे द्वारा सही किया गया है। —हां/नहीं—

(घ) क्या आवेदक आसानी से लाल और हरे रंजक रंगों में विभेद कर सकता है। —हां/नहीं—

(ङ) क्या आवेदक ऐसी मात्रा तक बधिरपन से पीड़ित है जिससे सामान्य ध्वनि संकेतों को सुनने से उसे निवारित करेगा। —हां/नहीं—

(च) क्या आवेदक रतौंधी से पीड़ित है। —हां/नहीं—

(छ) क्या आवेदक में कोई अंग विकार या अंग की हानि है जिससे चालक के रूप में उसके दक्षता पूर्वक कर्तव्य पालन में विघ्न पैदा होगी। यदि ऐसा है तो विस्तृत रूप में कारण बताएं। —हां/नहीं—

(ज) क्या उसमें अलकोहल, तम्बाकू या औषधि के अत्यधिक प्रयोग का आदी होने का कोई संकेत दिखाई पड़ता है। —हां/नहीं—

(झ) क्या वह किसी भी कारण से बेहोशी के दौरे से पीड़ित है। —हां/नहीं—

(ञ) क्या वे 25 मीटर की दूरी पर दिन की अच्छी रोशनी में दोनों से में प्रत्येक आंख से मोटर कार नम्बर प्लेट का विभेद करने में समर्थ है। —हां/नहीं—

(ट) क्या वह दोनों में से किसी भुजा या पैर के संचालन, नियंत्रण या मांसपेशियों की सक्ती में किसी खराबी से पीड़ित है। —हां/नहीं—

(ठ) आवेदक की ऊंचाई क्या है। क्या आप समझते हैं कि उसकी ऊंचाई, चालन के समय सड़क पर साफ दृष्टि रखने में उसके लिए अहितकर होगी। —हां/नहीं—

(ड) क्या वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। —हां/नहीं—

(ढ) क्या वह किसी ऐसे अन्य रोग या निःशक्तता से पीड़ित है जिसके कारण उसके मोटरयान चालन से जनता को खतरा का स्रोत बन जाने की संभावना है। —हां/नहीं—

(ण) क्या वह आपकी राय में—

(1) शारीरिक स्वास्थ्य

(2) नेत्र दृष्टि,

(3) मानसिक योग्यता; तथा

(4) श्रवण योग्यता,

के संबंध में आमतौर पर ठीक है। —हां/नहीं—

(त) आवेदक का रक्त ग्रुप

(थ) आवेदक का आर एच संघटक

मैंने आवेदक की जांच कर ली है और मेरी यह राय है कि वह निम्नलिखित कारणों से चालन अनुज्ञप्ति का धारक होने के लिए उपयुक्त नहीं है।

तारीख

हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी का नाम और पदाभिधान

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने आवेदक ——————————की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि अभ्यर्थी की जांच करते समय मैंने अभ्यर्थी की दूरदृष्टि और श्रवण योग्यता, भुजाओं, पैरों, हाथों और दोनों अग्रांगों के जोड़ों के संबंध में विशेष ध्यान दिया है और वह चिकित्सीय रूप में चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए ठीक है।

हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी का नाम और पदाभिधान

तारीख :

मोहर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण : (1) चिकित्सा अधिकारी फोटोग्राफ पर अपने हस्ताक्षर ऐसी रीति से करेगा कि उसके हस्ताक्षर का एक भाग फोटोग्राफ पर हो और एक भाग प्रमाणपत्र पर हो।

(2) उस राजपत्र की विशिष्टियां जहां उसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (3) के प्रति निर्देश से अधिसूचित हो की गई है और सूची का क्रम संख्यांक जहां पर उसका नाम है।

प्ररूप सं० 2.

(नियम 10 देखिए)

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने या नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

फोटोग्राफ के लिए स्थान

सेवा में

अनुज्ञापन अधिकारी,

मैं निम्नलिखित वर्णन के एक मोटर यान को, नौशिखिया के रूप में चलाने के लिए स्वयं को प्राधिकृत करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल

(ग) अशक्त यान गाड़ी

(घ) हल्का मोटर यान

(ङ) मध्यम यान

(च) मध्यम यात्री मोटर यान

(छ) भारी माल यान

(ज) भारी यात्री मोटर यान

(झ) रोड रोलर

(ञ) निम्नलिखित वर्णन का मोटर यान

आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां

1. पूरा नाम

2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

3. स्थायी पता
(सबूत संलग्न किया जाए)

4. अस्थायी पता/सरकारी पता (यदि कोई है)

5. जन्म की तारीख
(आयु का सबूत संलग्न किया जाए)

6. शैक्षिक योग्यता

7. पहचान चिन्ह (1)
(2)

8. रक्त ग्रुप——————————
आर एच फैक्टर————————

9. मैं————————————से
मोटर साइकिल/
हल्का मोटर यान/
मध्यम यात्री मोटर यान/
मध्यम माल यान
को चलाने के लिए प्रभावी
चालन अनुज्ञप्ति का धारक हूं।

10. आवेदक द्वारा पूर्व धारित किसी चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां। क्या इसे रद्द किया गया था, ?
यदि हां, तो किस कारण से ?

11. उस यान के, जिसके लिए आवेदक आवेदन करता है, वर्णन की बाबत आवेदक द्वारा पूर्व धारित किसी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां

12. क्या आप किसी चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निर्हित हुए है ? यदि ऐसा है तो किन कारणों से?...

13. मैं अपने हाल के फोटोग्राफ की तीन प्रतियां संलग्न करता हूं (पांच सें० मी०×छह सें० मी० आकार के फोटोग्राफ होने चाहिए)

14. मैं डा० ————————————————द्वारा जारी किया गया, तारीख————————
का स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं।

15. मैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए अपने पूर्ववर्ती आवेदन के साथ अपने माता पिता/संरक्षक की लिखित अनुमति संलग्न करता हूं (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

16 मैं ————————————————द्वारा जारी किया गया चालन प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं।
(ड्राइविंग स्कूल का नाम और पता)

17. मैंने ————————————————रु० की विहित फीस का संदाय कर दिया है।

18. मैं, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से छूट प्राप्त हूं।

19. मैं, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 12 के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त हूं

जो लागू न हो काट दें।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के दूसरे हस्ताक्षर

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उप धारा (2) के अधीन घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कु०..............................जो..............................का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री, जो अवयस्क है जो मेरी देख-भाल में है, और मैं उसके चालन के लिए दायित्व को स्वीकार करता हूं/करती हूं। यदि किसी बाद की तारीख को मैं चालन के लिए दायित्व को स्वीकार न करने का विनिश्चय करता हूं/करती हूं तो मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के रद्द करण के लिए लिखित रूप में सूचित करूंगा/करूंगी मैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूं/देती हूं।

हस्ताक्षर
माता-पिता/संरक्षक
नाम और पूरा पता

नातेदारी—————

(अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने हैं)

कार्यालय प्रयोग के लिए

आवेदक केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से और नियम 11 (2), के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त है।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी की जाए।

आवेदक का केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11(1) के प्रति निर्देश से परीक्षण किया गया था। उसने परीक्षण पास कर लिया है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।* वह परीक्षण में असफल हो गया है। (कारणों का विनिर्देश किया जाए)

शिक्षार्थी को अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया जाए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत
अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–3
[नियम 3(क) 13 देखिए]
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति

तारीख

फोटोग्राफ के लिए स्थान

अनुज्ञप्ति सं०

1. नाम
2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. जन्म की तारीख
4. रक्त ग्रुप और आर० एच० फैक्टर
5. वर्तमान पता—स्थायी
   अस्थायी/सरकारी पता (यदि कोई है)
6. पहचान चिह्न (1)
   (2)

एक शिक्षार्थी के रूप में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित वर्ग के मोटर यान को भारत में सर्वत्र चलाने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है।

अनुज्ञप्ति धारक ने, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण और नियम 11(1) में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है।

अनुज्ञप्ति धारक, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से और नियम 11(2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त है।

यह अनुज्ञप्ति ——————————से——————————तक विधिमान्य है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

चेतावनी:—

इस अनुज्ञप्ति के धारक का ध्यान, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की ओर आकर्षित किया जाता है जो उसे मोटर यान को चलाने के लिए तब तक प्रतिषिद्ध करता है जब तक कि उसके पास यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति न हो और प्रत्येक दशा में "L" प्लेट यान के आगे और पीछे दोनों ओर न लगी हुई हो।

प्ररूप-4

(नियम 4 देखिए)

मोटर यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप

पांच सें॰ मी॰ और छह सें॰ मी॰ के फोटोग्राफ के लिए स्थान

सेवा में,

अनुज्ञापन अधिकारी

मैं निम्नलिखित वर्णन के यानों को चलाने के लिए मुझे समर्थ बनाने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूं—

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल

(ग) अशक्त यात्री गाड़ी

(घ) हल्का मोटर यान

(ङ) मध्यम माल यान

(च) मध्यम यात्री मोटर यान

(छ) भारी माल यान

(ज) भारी यात्री मोटर यान

(झ) रोड़ रोलर

(ञ) निम्नलिखित वर्णन का मोटर यान

वे विशिष्टियां जो आवेदक द्वारा भरी जानी है—

1. नाम

2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

3. स्थायी पता (सबूत संलग्न किया जाए)

4. अस्थायी पता/सरकारी पता इत्यादि कोई हो)

5. जन्म की तारीख (सबूत संलग्न किया जाए)

6. शैक्षिक योग्यताएं

7. पहचान चिन्ह

1—

2—

8. रक्त ग्रुप और आर॰ एच॰ फैक्टर

9. क्या आपने पहले चालन अनुज्ञप्ति ली है, यदि हां तो ब्यौरे दें

10. उस प्रत्येक दोषसिद्धि की विशिष्टियां और ब्यौरा जिन्हें आवेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किए जाने का आदेश किया गया है।

11. क्या आप चलाने के लिए किसी अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने से निरर्हित किए गए है? यदि ऐसा है तो किस कारण से ?

12. क्या आपका चालन परीक्षण लिया गया है जिससे कि उस यान को, जिसकी बाबत चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, चलाने की आपकी उपयुक्तता का योग्यता का पता लग सके। यदि ऐसा है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:—

परीक्षण की तारीख	परीक्षण प्राधिकारी	परीक्षण का परिणाम
1.		
2.		
3.		
4.		

13. मैं पांच सें० मी० और छह सें० मी० आकार के अपने हाल के फोटोग्राफ की तीन प्रतियां संलग्न करता हूं। (जहां पटलित कार्ड प्रयोग किया जाता है, वहां फोटोग्राफ अपेक्षित नहीं है।)

14. मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी ——————————द्वारा जारी किया गया तारीख—————————— की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति सं० ——————————संलग्न करता हूं।

15. मैं ——————————द्वारा जारी किया गया तारीख ——————————का चालन प्रमाण पत्र सं०——————————संलग्न करता हूं।

16. मैंने शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन के साथ, माता/पिता/संरक्षक की लिखित सहमति प्रस्तुत कर दी है।

17. मैंने शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है। मैं स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं।

18. मैं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से छूट प्राप्त हूं।

19. मैं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11(2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त हूं।

20. मैंने रुपये की फीस का संदाय कर दिया है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

तारीख :

चालन योग्यता के परीक्षण का प्रमाण पत्र

आवेदक ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15 के अधीन विहित परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है। परीक्षण ..... तारीख ..... को ..... (यहां यान के रजिस्ट्रीकरण चिह्न और उसके वर्णन की प्रविष्टि करें) को किया गया था।

आवेदक परीक्षण में असफल रहा है (कमी के ब्यौरे सूचीबद्ध किए जाएं)

परीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पदाभिधान
आवेदक के दो नमूना हस्ताक्षर

तारीख

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-5

[नियम 14 (ङ), 17 (1) (ग) और 27(घ)]

ड्राइविंग स्कूल या स्थापन द्वारा जारी किया गया चालन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... के पुत्र/की पत्नी/की पुत्री हैं इस विद्यालय में .... को प्रविष्ट किए गए थे/की गई थीं और उनका नाम हमारे रजिस्टर में प्ररूप 14 में क्रम संख्यांक .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और उन्होंने .... से .... तक की अवधि के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार .... (यान के वर्ग का उल्लेख करें) के चालन का प्रशिक्षण समाधानप्रद रूप में पूरा कर लिया है।

मैं उनकी/उसकी शारीरिक उपयुक्तता और दायित्व बोध से संतुष्ट हूं।

हस्ताक्षर
नाम और पद
ड्राइविंग स्कूल का नाम और
पता तथा अनुज्ञप्ति संख्यांक
और उसके जारी किए जाने की तारीख

प्ररूप-6

[नियम 16(1) देखिए]

(छह सें. मी. × आठ सें. मी. के आकार में पुस्तक रूप में मुद्रित किया जाना है)

चालन अनुज्ञप्ति का प्ररूप

अनुज्ञप्ति धारक का नाम

का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

पांच सें. मी. × और छह सें. मी. आकार का फोटोग्राफ नाम फोटोग्राफ के आर-पार लिखा जाए।

पांच सें. मी. और छह सें. मी. आकार के फोटोग्राफ के लिए स्थान

अनुज्ञप्ति धारक के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर और उसके हस्ताक्षर का एक भाग फोटोग्राफ पर और एक भाग चालन अनुज्ञप्ति पर होना चाहिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदाभिधान

चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक ....

जारी किए जाने की तारीख ....

नाम

का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

अस्थायी पता/सरकारी पता (यदि कोई हो)

स्थायी पता ....

जन्म की तारीख ....

शैक्षिक योग्यताएं ....

रक्त ग्रुप ....

आर. एच. संघटक सहित ....

इस अनुज्ञप्ति के धारक को निम्नलिखित वर्णन के यानों को भारत में सर्वत्र चलाने की अनुज्ञप्ति दी जाती है।

बिना गियर वाली मोटर साइकिल

गियर वाली मोटर साइकिल

अशक्त यानी गाड़ी

हल्का मोटर यान

मध्यम माल यान

मध्यम यात्री मोटर यान

भारी माल यान

भारी यात्री मोटर यान

निम्नलिखित वर्णन का मोटर यान

परिवहन यान से भिन्न मोटर यान को चलाने की अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।

परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति .... से .... तक विधिमान्य है।

उस प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान जिसने चालन परीक्षण लिया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदाभिधान

परिवहन यान को चलाने का प्राधिकरण पत्र

संख्यांक तारीख

.... से परिवहन यान को चलाने के लिए प्राधिकृत बैज संख्यांक

हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान

उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम पदाभिधान जिसने चालन परीक्षण लिया है।

अन्य वर्गों के यानों को जोड़ने के लिए स्थान

संख्यांक .... तारीख ....

निम्नलिखित वर्ग या वर्गों के मोटर यानों को चलाने के लिए भी प्राधिकृत।

उस प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान जिसने चालन परीक्षण लिया है।
तारीख ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान

चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए स्थान

परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति नवीकृत की जाती है।

————से————तक

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

..........से..........तक

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परिवहन यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति नवीकृत की जाती है

..........से..........तक

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

..........से..........तक

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन के लिए स्थान

तारीख	धारा और नियम	जुर्माना या अन्य दंड	पृष्ठांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिए स्थान

तारीख	कार्यवाही संख्यांक और तारीख	निरर्हता अवधि ....से..........तक	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 7

[नियम 16(2) देखिए]

चालन अनुज्ञप्ति का प्ररूप (पटलित प्रकार का कार्ड)

चालन अनुज्ञप्ति सं :

जारी करने की तारीख ....

नाम :

का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री :

पता :

जन्म की तारीख :

आर. एच. फैक्टर के साथ रक्त समूह :

निम्नलिखित वर्णन के यान भारत में सर्वत्र चलाने के लिए अनुज्ञप्त है :—

....
....
....

परिवहन यान से भिन्न मोटर यान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति..........से..........तक विधिमान्य है :

परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति..........से..........तक विधिमान्य है।

फोटोग्राफ

अनुज्ञप्ति धारक के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पहली बार चालन अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख :
यान का वर्ग :
उस प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान जिसने चालन परीक्षण लिया था :
तारीख जिसको अतिरिक्त यान सम्मिलित किए गए :
ऐसे यानों का वर्ग :

उस प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान जिसने
चालन परीक्षण लिया था :

बैज संख्यांक . . . . परिवहन यान को चलाने के प्राधिकार पत्र का संख्यांक और तारीख

. . . .

. . . .

प्ररूप—8

[नियम 17 (1) देखिए]

चालन अनुज्ञप्ति में यान के नये वर्ग जोड़ने के लिए आवेदन

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी——————————————————संलग्न अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित वर्ग/वर्गों के मोटर यानों के जोड़ने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूं :—

(क) बिना गियर वाली मोटर साईकिल

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल

(ग) अशक्त यानी गाड़ी

(घ) हल्के मोटर यान

(ङ) मध्यम माल यान

(च) मध्यम यात्री मोटर यान

(छ) भारी माल यान

(ज) भारी यात्री मोटर यान

(झ) रोड रोलर

(ञ) निम्नलिखित वर्णन के मोटर यान :
मैं,—

(क) प्ररूप 1 में चिकित्सीय प्रमाण पत्र

(ख) प्ररूप 3 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति

(ग) प्ररूप 6/7 में चालन अनुज्ञप्ति

(घ) प्ररूप 5 में चालन प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं। आवेदन परिवहन यान चलाने के लिए है।

(ङ) मैंने———————————रुपये की फीस का संदाय कर दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर
या अंगूठा निशान

तारीख———————————

चालन योग्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र

आवेदक केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 15 में विनिर्दिष्ट परीक्षण में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो गया है।———————————

(यहां यान का वर्णन करें)

पर तारीख———————————को परीक्षण किया गया था।

परीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदाभिधान

प्ररूप—9

[नियम 18(1) देखिए]

चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

पांच सें. मी. और छह सें. मी. आकार के फ़ोटोग्राफ़ के लिए स्थान

1. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी———————————
श्री———————————का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री हूं, अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूं/रही हूं जो इसके साथ संलग्न है तथा जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं :—

(क) संख्यांक———————————
(ख) जारी करने की तारीख———————————
(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी———————————
(घ) अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति का पिछली बार नवीकरण किया गया था
नवीकरण का संख्यांक और तारीख———————————
(ङ) चलाने के लिए प्राधिकृत यान का वर्ग———————————
(च) चालन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख———————————
(1) परिवहन यान———————————
(2) परिवहन यान से भिन्न यान———————————

मेरा वर्तमान पता———————————
———————————है ।

यदि यह पता अनुज्ञप्ति में दर्ज नहीं है तो मैं———————————
(पता)

को इस प्रकार दर्ज करना चाहता हूं/नहीं चाहता हूं

यदि अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं की गई है तो कारण बताएं कि वह क्यों उपलब्ध नहीं है———————————
यदि अनुज्ञप्ति का समाप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर नवीकरण नहीं किया गया था, तो विलम्ब के कारण ।
अनुज्ञप्ति का नवीकरण किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामंजूर नहीं किया गया है ।
मुझे चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है। मेरी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत नहीं की गई है ।
मैं चिकित्सा आरोग्यता प्रमाण पत्र प्ररूप 1 में संलग्न करता हूं ।
मैं अपने हाल ही के फ़ोटोग्राफ़ (5 सें. मी. और 6 सें. मी.) की तीन प्रतियां संलग्न करता हूं ।
मैंने———————————रुपये की फ़ीस का संदाय कर दिया है ।
मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगूठा निशान
नाम———————————
पता———————————

तारीख :

प्ररूप—10

[नियम 23(1) देखिए]

चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर

1. (क) चालन अनुज्ञप्ति संख्या और प्रारंभिक रूप से जारी किए जाने की तारीख ।
(ख) वह अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी ।
(ग) उस अधिकारी का नाम और पदाभिनाम जिसने चालन परीक्षण लिया है और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा परीक्षण उत्तीर्ण करने की तारीख
2. चालन अनुज्ञप्तिधारक का नाम, पता और अन्य विशिष्टियां :—

(क) धारक का नाम (यदि अवयस्क हो तो उसके संरक्षक का नाम)
(ख) जन्म की तारीख
(ग) शैक्षिक अर्हताएं
(घ) स्थायी पता
(ङ) [illegible]
[illegible]

(च) पतों में बाद में किए गए परिवर्तन

(छ) यान का वह वर्ग और प्रकार जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है।

(ज) तारीख सहित जोड़े गए यान (यदि कोई हो)

(झ) अनुज्ञप्ति की समाप्ति और पुनः नवीकरण की तारीख उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के ब्यौरे सहित जिसने पिछली बार अनुज्ञप्ति नवीकृत की थी।

(ञ) चालन अनुज्ञप्ति की तारीख के सम्बन्ध में निर्हताएं, जुर्माना, रद्दकरण आदि के ब्यौरे

प्ररूप—11

[नियम 24(1), नियम 24(4) और नियम 25 (देखिये)]

मोटर ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप

अनुज्ञप्ति सं. ————————

मोटर यान अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उपबंधों के अधीन रहते हुए

———————————— द्वारा ————————————

(अनुज्ञप्ति धारक का नाम और पता) (स्कूल परिसर)

———————————— ———————————— नाम

से ज्ञात स्कूल को नीचे विनिर्दिष्ट मोटर यानों के चलाने का शिक्षण देने के लिए स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है:—

(क) मोटर साइकिल

(ख) अशक्त यात्री गाड़ी

(ग) हल्का मोटर यान

(घ) मध्यम माल यान

(ङ) मध्यम यात्री मोटर यान

(च) भारी माल यान

(छ) भारी यात्री मोटर यान

(ज) निम्नलिखित वर्णन के मोटर यान :

यह अनुज्ञप्ति———————— ————————से ———————————— ——तक

विधिमान्य है।

तारीख———— ———————— 19 अनुज्ञापन प्राधिकारी————————————

इस अनुज्ञप्ति का———————————————से ————————————तक

नवीकरण किया जाता है।

————————————

अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्ररूप—12

[नियम 24 (2) देखिए)

मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,

————————————

————————————

अधोहस्ताक्षरी मोटर यान चालन में शिक्षण देने का कारोबार चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है :—

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री :
3. पता :
4. स्थान जहां आवेदक कारोबार प्रारंभ करना चाहता है :
5. उपलब्ध सुविधाओं की प्रकृति और सीमा जिसके अंतर्गत पुस्तकों, फिल्मों, [illegible] आदि भी हैं।
6. शिक्षण देने के लिए लगाए गए कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं :
7. ऐसे इंजनों और चेसिस के संयोजन और कार्यकरण की बाबत शिक्षण देने के लिए उपलब्ध इंजनों तथा चेसिस का मेक और मोडल :
8. उन यानों के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जिनका चालन शिक्षण देने में उपयोग किया जाता है :
9. मैंने———————— ————————रुपए की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप—13

[नियम 24(2) और नियम 25 देखिए]

मोटरयानों के चालन में शिक्षण देने के कारबार में लगाए जाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,

अधोहस्ताक्षरी मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारबार चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करता है।

1. आवेदक का पूरा नाम :—
2. ——का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री :
3. पता :
4. कारबार का स्थान :
5. विद्यमान अनुज्ञप्ति सं. :
6. जारी किए जाने की तारीख :
7. विधिमान्यता की अवधि :
8. क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पूर्व किया गया है, यदि नहीं, तो विलंब के कारण :
9. क्या पूर्व अनुज्ञप्ति किसी कारणवश निलंबित रद्द की गई थी, उसके ब्यौरे जैसे कि निलंबन की तारीख, ऐसे निलंबन/रद्दकरण के कारण। निलंबन/रद्दकरण के प्रतिसंहृत की तारीख।
10. मैंने————————रुपए की फीस का संदाय कर दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख————————

प्ररूप—14

[नियम 27(क) और (ग) देखिए]

ड्राइविंग स्कूल स्थापन में प्रशिक्षणार्थियों का अभ्यावेशन दर्शित करने वाला रजिस्टर

————————वर्ष के लिए रजिस्टर

1. अभ्यावेशन संख्या :
2. प्रशिक्षणार्थी का नाम उसके फोटो सहित :
3. ————का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री :
4. पता : ————————
   (क) स्थायी पता ————————
   ————————
   (ख) अस्थायी पता/कार्यालय का पता (यदि कोई हो) ————————
5. जन्म की तारीख ————————
6. यान का वह वर्ग जिसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है ————————
7. अभ्यावेदन की तारीख ————————
8. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति संख्यांक और उसकी समाप्ति की तारीख ————————
9. पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख ————————
10. चालन क्षमता के परीक्षण को उत्तीर्ण करने की तारीख
11. चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक और जारी करने की तारीख और वह अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है ————————
12. टिप्पणियां

13. अनुज्ञप्ति धारक/शिक्षक के हस्ताक्षर ____________________

प्ररूप 15

[नियम 27(ज) देखिए]

प्रशिक्षणार्थी द्वारा चालन में बिताए गए घंटों को दर्शित करने वाला रजिस्टर

स्कूल/स्थापन का नाम ____________________

प्रशिक्षणार्थी का नाम ____________________

अभ्यावेशन की तारीख ____________________

अभ्यावेशन संख्यांक ____________________

तारीख	वास्तविक चालन में बिताए गए घंटे ________ से ________ तक ________ घंटे	यान का वर्ग	शिक्षक के हस्ताक्षर	प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप 16

[नियम 24(1) देखिए]

व्यवसाय प्रमाणपत्र देने या नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

____

____

मैं/हम ____________________ व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने/नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

1. आवेदक का नाम ____________________
2. ________ का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री ____________________
3. आवेदक का पूरा पता (सबूत संलग्न किया जाए) ____________________
4. क्या आवेदक मोटर यानों का विनिर्माता व्यौहारी है, यानों का अनुमोदित मरम्मतकर्ता है, यानों के बाडी निर्माण में लगा है, यानों के अवक्रय/पट्टा/आडमान के कारबार में लगा है। ____________________
5. अपेक्षित प्रमाणपत्रों का संख्यांक ____________________
6. मोटरयानों का वर्ग जिनकी बाबत प्रमाणपत्र अपेक्षित है ____________________
7. फीस की रकम ____________________
8. यदि आवेदन नवीकरण के लिए है तो उस व्यवसाय प्रमाणपत्र सं., जारी करने की तारीख और समाप्ति की तारीख को उपदर्शित करें, जिसके नवीकरण की अपेक्षा की गई है।

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा अपेक्षित व्यवसाय प्रमाणपत्र वास्तविक व्यापार प्रयोजनों के लिए है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 17

[नियम 35(1) देखिए]

व्यवसाय प्रमाणपत्र का प्ररूप

(70 मिलीमीटर व्यास के आकार में मुद्रित किए जाएंगे)

व्यवसाय प्रमाणपत्र

1. प्रमाणपत्र का क्रम संख्यांक :
2. प्रमाणपत्र के धारक का पूरा नाम और पता
3. प्रमाणपत्र के संबंध में दिया गया व्यवसाय संख्यांक :
4. मोटरयान के वर्ग जिनके संबंध में प्रमाणपत्र का उपयोग किया जाएगा :
5. प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख :
6. संदत्त फीस की राशि :
7. जारी करने के कार्यालय का स्टाम्प और तारीख :

केन्द्र :

तारीख : भारत में सर्वत्र विधिमान्य

प्रदेश/राज्य का
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

अनुसूची

प्रमाणपत्र के लिए फोल्डर का प्ररूप

फोल्डर, धातु का होगा तथा मौसमरोधी होगा। यह वृत्ताकार होगा तथा निम्नलिखित विमाओं के अनुरूप होगा :—

गोलाकार पैटर्न क्रास बार के बिना प्रमाणपत्र दें :-

मानक पैटर्न के प्रमाणपत्र को जब दो वृत्तों में बाहरी पंक्ति के साथ-साथ काटा जाए तो समुचित मोटाई की धातु की चादर की ट्रे में ठीक से फंस जाएगा, जिसका मुड़ा हुआ किनारा, अनुज्ञप्ति की पकड़ करने के लिए पर्याप्त गहराई तक होगा तथा उसके ऊपर पारदर्शक सफेद कांच लगा होगा।

छल्ले का ढक्कन :—धातु की चादर का एक गोलाकार छल्ला, नीचे ट्रे में फंसाने के लिए, विहित स्थान या पेंच तथा बोल्ट या अन्यथा से लगाने के लिए अपनाया जाएगा। छल्ले के ढक्कन और कांच के ढक्कन तथा ट्रे के खड़ की पैकिंग व्यवस्था की जाएगी जिससे कि पूरा वाहक मौसम रोधी हो जाए।

विमाएं :—छल्ले के ढक्कन के भीतर के छिद्र से पूरा प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा जिसके भीतर प्रमाणपत्र का आन्तरिक वृत्त भी पढ़ा होगा और उसका व्यास 10 सेंटीमीटर होगा।

प्ररूप 18

[नियम 37(1) देखिए]

व्यवसाय प्रमाणपत्र के गुम होने या नष्ट होने की सूचना तथा दूसरी प्रति के लिए आवेदन।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

मुझे/हमें जारी किया गया व्यवसाय प्रमाणपत्र, जिसका संख्यांक------------है और जो तारीख------------तक विधिमान्य था, निम्नलिखित परिस्थितियों में विकृत हो गया है/गल गया है/गुम हो गया है/नष्ट हो गया है और नीचे विनिर्दिष्ट कारणों से मेरे/हमारे कब्जे में नहीं है।

मैं/हम विकृत/गले हुए व्यवसाय प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित करता हूं/करते हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार नियमों के उपबन्धों के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र को न तो निलम्बित किया गया है और न ही रद्द किया गया है और उपर्युक्त प्रमाणपत्र अब किसी और के उपयोग में नहीं है। यदि व्यवसाय प्रमाणपत्र मुझे मिलता है या मुझे दिया गया है तो मैं उसे अभ्यर्पित करने का वचन देता हूं।

मैं ———————————— रुपए की फीस जमा करता हूं। और अनुज्ञापत्र प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता हूं

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर और अंगूठा चिन्ह
पता ————————————
————————————

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 20

(नियम 47 देखिए)

किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
————————————
————————————

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में
रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम,

2. ———————————— की पत्नी/का पुत्र/की पुत्री

3. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु (आयु का सबूत संलग्न किया जाए) ————————

4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति का स्थायी पता (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए) ————————

5. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का अस्थायी पता ————————

6. विनिर्माता या व्यौहारी का नाम और पता जिससे यान का क्रय किया गया था। ————
(विनिर्माता द्वारा जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र तथा सड़क पर सही चलने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए) ————————

यदि सेना का भूतपूर्व यान या आयातित यान है तो सबूत संलग्न करें। यदि स्थानीय रूप से विनिर्मित ट्रेलर/अर्धट्रेलर है तो राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाइन संलग्न करें और कार्यवाही संख्यांक और अनुमोदन की तारीख नोट करें।

7. यान का वर्ग

(यदि मोटर साइकिल है तो गियर वाली है या बिना गियर की है)

8. मोटर यान—

(क) नया यान है ;

(ख) सेना का भूतपूर्व यान है;

(ग) आयातित यान है।

9. बाडी का प्रकार

10. यान का प्रकार

11. विनिर्माता का नाम

12. विनिर्माण का वर्ष

13. सिलेंडरों की संख्या

14. अश्व शक्ति

15. घन धारिता

16. विनिर्माता का वर्गीकरण यदि ज्ञात नहीं है तो पहिये का आधार

17. चेसिस संख्यांक
(पेंसिल का चिन्ह लगायें)

18. इंजन संख्यांक

19. बैठने के स्थान (चालक सहित)

20. इंजन में उपयोग किया गया ईंधन

21. लदान रहित भार

22. पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकृत संख्यांक (यदि कोई हो)

23. बाडी, बाजू तथा अपलिरों का रंग/कि रंग
मैं घोषणा करता हूं कि यान भारत में किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है।
अतिरिक्त विशिष्टियां जो मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान की दशा में हों भरी जानी है।

24. टायरों की संख्या, वर्णन और आकार--

(क) अगली धुरी

(ख) पिछली धुरी

(ग) कोई अन्य धुरी

(घ) टेंडेम धुरी

25. सकल यान भार--

(क) विनिर्माता द्वारा यथा प्रमाणित ----------------कि.ग्रा.

(ख) रजिस्ट्रीकरण किया जाने वाला ----------------कि.ग्रा.

26. अधिकतम धुरी भार--

(क) अगली धुरी ----------------किलोग्राम

(ख) पिछली धुरी ----------------किलोग्राम

(ग) कोई अन्य धुरी ----------------किलोग्राम

(घ) टेंडेम धुरी ----------------किलोग्राम

27. (क) समग्र लम्बाई

(ख) समग्र चौड़ाई

(ग) समग्र ऊंचाई

(घ) प्रलंबन।

उपरोक्त विशिष्टियां, दृढ़ ढांचे वाले ऐसे मोटर यान के लिए, जो दो या दो से अधिक धुरी वाला है, संलग्न यान के लिए जो तीन या तीन से अधिक धुरी वाला है, या जहां तक लागू हों, ट्रेलर के लिए, भरी जाएंगी। जहां किसी संलग्न मोटर यान के साथ दूसरा ट्रेलर या अतिरिक्त ट्रेलर रजिस्टर किए जाने हैं वहां ऐसे प्रत्येक ट्रेलर के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :--

28. बांडी का टाइप

29. लदान रहित भार

30. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या, विवरण और भार--------------- ---------------

31. प्रत्येक धुरी के बारे में अधिकतम धुरी भार

32. यान, अधिनियम के अध्याय 11 के---------------------------------------का (कम्पनी का नाम) बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट सं.------ अधीन विधिमान्य बीमा प्रमाणपत्र----------------------तारीख----------------के अन्तर्गत आता है।-------------से-------------तक विधिमान्य

33. यान, बीमे से छूट प्राप्त है/सुसंगत आदेश संलग्न है।

34. मैंने-------------------रुपए की विहित फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पण :--ऊपर वर्णित मोटर यान--

(i) ---------------के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार के अधीन रहते हुए है।

(ii) -----------------------के पक्ष में आडमान से के अधीन रहते हुए है।

(iii) अवक्रय करार या पट्टा करार के अधीन धारित नहीं है या आडमान के अधीन नहीं है।

जो लागू न हो उसे काट दें--यदि यान किसी ऐसे करार के अधीन है तो ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिसके साथ ऐसा करार किया गया है, किए जाएंगे।

स्वामी के हस्ताक्षर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके साथ अवक्रय करार, पट्टा करार या आडमान किया गया है।

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर

(1) ----------------------------

(2) ----------------------------

(3) ----------------------------

प्रमाणपत्र

यान का निरीक्षण किया

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां सही हैं और यह कि यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है।

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम------------------
पदाभिधान------------------

(कार्यालय पृष्ठांकन के लिए)

निर्देश सं.------------------------------------

------------------------------ का कार्यालय
तारीख------------------------------

------------------------------यान, जिसकी चैसिस सं.------------------------------
और इंजिन सं.------------------------------है, को रजिस्ट्रीकरण संख्यांक------------------------------
------------------------------दिया गया है, और उसे------------------------------
के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और यान------------------------------ के
साथ अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

सेवा में,

(वित्तपोषक का नाम और पता)
रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या
उचित पावती के अधीन परिदत्त।

प्ररूप सं. 21
[नियम 47(क) और (ख) देखिए]
विक्रय प्रमाण-पत्र

(मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए विनिर्माता/व्यौहारी या (सेना को नीलामी वाले यानों की दशा में) रक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि------------------------------
(यान का ब्रांड नाम)
का, हमारे द्वारा------------------------------
क्रेता (तारीख)
को जो श्री------------------------------ का पुत्र/की
क्रेता का नाम
पत्नी/की पुत्री है।
पते (स्थायी)
(अस्थायी) पर परिदत्त किया गया है।
यान------------------------------के साथ/अवक्रय/करार/पट्टा करार/आडमान के
अधीन धारित है।

यान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

1. यान का वर्ग:
2. विनिर्माता का नाम
3. चैसिस संख्यांक
4. इंजन संख्यांक
5. अश्वशक्ति या घन धारिता
6. उपयोग किया जाने वाला ईंधन

7. सिलेंडरों की संख्या
8. विनिर्माण का वर्ष
9. बैठने के स्थान (चालक सहित) :
10. लदान रहित भार
11. अधिकतम धुरी भार और टायरों की संख्या तथा वर्णन (परिवहन यान की दशा में)—
(क) अगली धुरी
(ख) पिछली धुरी
(ग) कोई अन्य धुरी
(घ) टेंडेम धुरी
12. बाडी का/के रंग
13. सकल यान भार
14. बाडी का टाइप

विनिर्माता/व्यौहारी या रक्षा विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 22

(नियम 47(छ) और नियम 127 देखिए)

सड़क पर सही चलने का प्रमाणपत्र

(विनिर्माता द्वारा जारी किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————(यान का ब्रांड नाम), जिसकी चेसिस संख्यांक—————————————और इंजिन संख्यांक——————————है, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप है।

विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप 23

(नियम 48 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकृत संख्यांक——————————

यान का संक्षिप्त वर्णन

(अर्थात् फिएट, एमबेसेडर/मारुति कार, टाटा माल यान, अशोक लेलेंड माल यान, ट्रेलर, गियर वाली या बिना गियर वाली मोटर साइकिल, साइड कार सहित मोटर साइकिल आदि)——————————

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम——————————————का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री——————————

पूरा पता (स्थायी) ——————————

पूरा पता (अस्थायी) ——————————

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख——————————

ब्यौरेवार वर्णन

1. यान का वर्ग ——————————
मोटर यान—— ——————————
(क) नया यान है ——————————
(ख) सेना का भूतपूर्व यान है ——————————
(ग) आयातित यान है ——————————
(घ) अन्य राज्यों से आया है

2. निर्माता का नाम

3. बाडी का टाइप

4. विनिर्माण का वर्ष

5. सिलिंडरों की संख्या

6. चेसिस संख्यांक

7. इंजन संख्यांक

8. इंजन में उपयोग किया जाने वाला ईंधन ————————————————

9. अश्व शक्ति (बी.एच.पी.) ————————————————

10. घन धारिता ————————————————

11. निर्माता द्वारा किया गया वर्गीकरण ————————————————

12. व्हील बेस ————————————————

13. बैठने के स्थान (चालक सहित) ————————————————

14. लदान रहित वजन ————————————————

15. बॉडी, बाजू और अग्रसिरों का/के रंग ————————————————

16. सकल यान भार ————————————————

(क) विनिर्माता द्वारा यथा प्रमाणित ————————————————किलोग्राम

(ख) यथा रजिस्ट्रीकृत ————————————————किलोग्राम

17. टायरों की संख्या, वर्णन और आकार—

(क) अगली धुरी

(ख) पिछली धुरी

(ग) कोई अन्य धुरी

(घ) टैंडम धुरी

18. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार :—

(क) अगली धुरी—————— (किलोग्राम)

(ख) पिछली धुरी—————— (किलोग्राम)

(ग) कोई अन्य धुरी——————(किलोग्राम)

(घ) टैंडम धुरी——————(किलोग्राम)

अनुकल्पिक या अतिरिक्त अर्ध ट्रेलर या किसी संलग्न यान के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्ध ट्रेलरों की अतिरिक्त विशिष्टियां

19. बाडी का टाइप

20. लदान रहित भार

21. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या, वर्णन और आकार

22. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार (प्रत्येक धुरी के संबंध में)

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर ———————————————— जो चिपकाए और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

यह प्रमाणपत्र ———————————————— तक विधिमान्य है।

तारीख————————

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण :— ऊपर वर्णित मोटर यान———

(i) ———; ————————के साथ किए गए अवक्रय करार के अधीन है।

(ii) ————————के साथ किए गए पट्टा करार के अधीन है।

(iii) ————————के पक्ष में किए गए आडमान के अधीन है।

(iv) अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित नहीं है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख————————

यह प्रमाणपत्र——————————————————————से
——————————————————19————————तक
——————————————————19————————तक
——————————————————19————————तक
——————————————————19————————तक

नवीकृत किया जाता है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

टिप्पणः— (i) यह पुस्तक के रूप में होगा जिसमें स्वामित्व का अन्तरण, पते का परिवर्तन अवक्रय पृष्ठांकन, अवक्रय प्रविष्टियों का रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन, उसका निलम्बन और रद्दकरण आदि अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

(ii) जो लागू न हो उसे काट दें।

(iii) जब कभी स्वामित्व के अन्तरण को अभिलिखित किया जाता है तब रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर चिपकाए और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

प्ररूप 24

(नियम 49 देखिए)

मोटर यानों का रजिस्टर

विशिष्टियां	ब्यौरे	रजिस्ट्रीकृत स्वामी/स्वामित्व के अन्तरण पत्ते के परिवर्तन की विशिष्टियां		अवक्रय करार/पट्टा करार और आडमान की विशिष्टियां		दी गई छूट जारी किए गए निरीक्षेम प्रमाण-पत्र निलम्बन रद्दकरण जारी की गई दूसरी प्रति, वित्तपोषक के नाम में जारी किए गए नए प्रमाणपत्र, परिवर्तन अन्य राज्य को यान के ले जाए जाने आदि की प्रविष्टियां	टिप्पणियां
		नाम----- पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री, ——— वर्तमान पता ———	नमूना हस्ताक्षर जो चिपकाए गए और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हों तथा उसकी शासकीय मुद्रा	वित्तपोषक के पूरे नाम और पत्ते सहित ऐसे करार का पृष्ठांकन जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो	ऐसे करार का रद्दकरण जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।		
1	2	3	4	5	6	7	8

1. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
3. स्वामी का नाम
   पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री
4. पूरा पता (स्थायी/अस्थायी)
5. पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अर्थात
   (क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम
   (ख) समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
   (ग) रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख
   (घ) क्या अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित है
   (ङ) यदि हां तो वित्तपोषक की विशिष्टियां आदि

1	2	3	4	5	6	7	8
6. मोटर यान— (क) नया मोटर यान है (ख) सेना का भूतपूर्व यान है (ग) आयातित यान है।							
7. यदि मोटर साइकिल गियर वाली है या बिना गियर वाली है तो उस यान का वर्ग							
8. निर्माता का नाम							
9. बाडी का टाइप							
10. विनिर्माण का वर्ष							
11. सिलिंडरों की संख्या							
12. चैसिस संख्यांक— पेंसिल चिन्ह लगाने के पश्चात् और वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा							
13. इंजन संख्यांक							
14. इंजन में उपयोग किया जाने वाला ईंधन							
15. अश्व शक्ति							
16. घन धारिता							
17. निर्माता द्वारा किया गया वर्गीकरण							
18. व्हील बेस							
19. बैठने के स्थान (चालक सहित)							
20. बाडी, बाजू और अग्र सिरों का/के रंग							
21. लदान रहित भार							
22. सकल यान भार— (i) विनिर्माता द्वारा यथच प्रमाणित (ii) यथा रजिस्ट्रीकृत							
23. मोटर केब से भिन्न परिवर्तन यानों के संबंध में अतिरिक्त विशिष्टियां— 1. टायरों की संख्या, वर्णन और आकार— अगली धुरी————किलोग्राम पिछली धुरी————किलोग्राम कोई अन्य धुरी———किलोग्राम टेंडम धुरी————किलोग्राम 2. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार अगली धुरी————किलोग्राम पिछली धुरी————किलोग्राम कोई अन्य धुरी————किलोग्राम टेंडम धुरी————किलोग्राम							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. आनुकल्पिक या अतिरिक्त अर्ध ट्रेलर या किसी संलग्न यान के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्ध-ट्रेलरों की अतिरिक्त विशिष्टियां								
1. बाडी का टाइप								
2. लदान रहित भार								
3. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या, वर्णन और आकार								
4. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार (प्रत्येक धुरी के संबंध में)								
25. ——————द्वारा (बीमा कम्पनी का नाम और पता (जारी किए गए/गया बीमा प्रमाणपत्र/कवर नोट सं ——————तारीख—————से——————तक विधिमान्य								
26. मोटरयान कर की दर								
27. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता ——————से—————— तक नवीकरण —————— ——से——————तक								
28. उस निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम जो रजिस्ट्रीकरण के लिए ठीक हालत में होने वाले के रूप में यान को प्रमाणित करता है।								
29. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदाभिधा और हस्ताक्षर								

प्ररूप सं. 19

(नियम 43 देखिए)

व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

तारीख	व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्यांक और यदि यान रजिस्ट्रीकृत है तो यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक भी	मोटर यान का वर्णन	प्रयोजन जिसके लिए बाहर भेजा गया	चालक का नाम अनुज्ञप्ति सं० और पता और क्या वह व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक का कर्मचारी है	परिसर छोड़ने के घंटे	परिसर पर वापस आने के घंटे	स्तंभ 6 और 7 में वर्णित घंटों के बीच तय की गई मील दूरी	धारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम
1		2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप –25

[नियम 52 (1) देखिए]

परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

____

____

मैं __________ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं जो संलग्न है और उसकी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:–

(क) रजिस्ट्रीकृत संख्यांक________________

(ख) दिए जाने की तारीख________________

(ग) समाप्ति की तारीख ________________

(घ) वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया/अन्तिम बार नवीकृत किया गया था ________________

मेरा वर्तमान पता इस प्रकार है________________

यदि यह पता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट नहीं किया गया है तो मैं चाहता हूं/नहीं चाहता हूं कि यह पता इसमें इस प्रकार प्रविष्ट किया जाए।

प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इंकार नहीं किया गया है:—

मैं यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया गया है।

1. यान का वर्ग __________

2. मोटर यान–

(क) नया यान __________

(ख) सेना का भूतपूर्व यान है __________

(ग) आयातित यान है __________

3. बाडी का टाईप __________

4. निर्माता का नाम __________

5. विनिर्माण का वर्ष __________

6. सिलिंडरों की संख्या __________

7. घन धारिता / अश्व शक्ति __________

8. निर्माता द्वारा किया गया वर्गीकरण __________

9. चैसिस संख्यांक ____ पेंसिल का चिह्न लगाएं

10. इंजन संख्यांक__________

11. बैठने के स्थान (चालक सहित)

12. लदान रहित भार __________

13. उपयोग किया जाने वाला ईंधन__________

मैं बीमा प्रमाणपत्र देखने और वापस किए जाने के लिए संलग्न करता हूं।

मैंने __________ रुपए की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख__________

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: उपर वर्णित मोटर यान, अवक्रय करार, पट्टा करार या आडमान के अधीन नहीं है।

यान:—

*(1) __________ के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार के अधीन है।

*(2) __________ के पक्ष में किए गए आडमान के अधीन है।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर

1.

2.

3.

प्रमाणपत्र

यान का निरीक्षण किया—यान का चैसिस संख्यांक और इंजन संख्यांक सत्यापित किया।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां और यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में घोषित तत्संबंधी विशिष्टियां सही हैं और यह कि यान मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ——————

पदाभिधान ——————

प्ररूप 26

(नियम 53 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए आवेदन

(यदि यान अवक्रय करार/आडमान पट्टा करार के अधीन धारित है तो दो प्रतियों में किया जाए और दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित दूसरी प्रति के जारी किए जाने के साथ ही वित्तपोषक को वापस की जाए)

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी——————

महोदय,

मेरे हमारे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिह्न —————— है, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया है/नष्ट हो गया है। पूर्ण रूप से अपलिखित हो गया है/गल गया है/फट गया है/विकृत हो गया है।

——————

——————

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी से यान का रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, निलम्बित या रद्द नहीं किया गया है और ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियां सही है।

मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं करते हैं।

अपलिखित/गला हुआ/फटा हुआ/विकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है।

यान अवक्रय करार/पटटा करार/आडमान के अधीन धारित नहीं है।

मैंने / हमनें ऐसे खोने की रिपोर्ट तारीख —————— को —————— पुलिस थाने में कर दी है।

तारीख——————

पूरे पते सहित आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

जो लागू न हो उसे काट दें।

यान —————— के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित है और वित्तपोषक से प्राप्त "निराक्षेप प्रमाणपत्र" संलग्न है।

(जहां "निराक्षेप प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है वहां आवेदक धारा 51 की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार घोषणा करेगा)

स्वामी के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता

स्वामी के नमूना हस्ताक्षर :

1.

2.

टिप्पण 1 — परिस्थितियों की पूर्ण विशिष्टियां, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में दी जाए।

2. जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय पृष्ठांकन के लिए

संख्यांक —————— तारीख —————— को कार्यालय —————— को किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार आ। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, ऊपर अनुरोध किए गए रूप में, के नोट सहित जारी की जाती है और मूल रजिस्ट्रीकरण अभिलेख के प्ररूप 24 में उसे नोट कर लिया गया है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

——————

——————

(वित्तपोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के अधीन परिदत्त।

प्ररूप 27

(नियम 54 देखिए)

दूसरे राज्य को किसी मोटर यान को ले जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन

(यदि यान अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित है तो दो प्रतियों में किया जाए और दूसरी प्रति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित, नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशित किए जाने के साथ ही वित्तपोषक को वापस की जाए)

सेवा में

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

———————

मैं/हम —— की पत्नी/का पुत्र/की पुत्री मोटर यान संख्यांक ——————————— चैसिस संख्यांक ———————————————— इंजन संख्यांक ———————————————— यान का टाईप ———————————— का/के रजिस्ट्रीकृत स्वामी हूं/हैं; यान ———————————————— राज्य में रजिस्ट्रीकृत है। मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने तारीख ———————————— से उक्त मोटर यान इस राज्य में रखा है और मैं/हम उक्त मोटर यान को नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण तारीख तक विधिमान्य है और यह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निलम्बित या रद्द नहीं किया गया है।

मैं/हम इस मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।

मैं/हम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का "निराक्षेप प्रमाणपत्र" संलग्न करता हूं/करते हैं।

यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का "निराक्षेप प्रमाणपत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 47 की उप धारा (i) की अपेक्षानुसार घोषणा फाईल करनी होगी।

* यान अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन नहीं है।

यान ———————————— के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन है और मैं/हम वित्तपोषक से प्राप्त निराक्षेप प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं/करते हैं

यदि वित्तपोषक का "निराक्षेप प्रमाणपत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 51 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार घोषणा फाईल करनी होगी।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

*जो लागू नहीं उसे काट दें।

कार्यालय पृष्ठांकन

संख्यांक————

तारीख————

का कार्यालय

यान संख्यांक ———————————— को इस राज्य में लाए जाने पर नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न ———————————— तारीख

(यहां रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रविष्ट करें)

को समनुदेशित किया गया है।

तारीख————

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

सेवा में,

————————

————————

वित्त पोषक का नाम और पता।

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या

जो पावती के अधीन परिदत्त।

प्ररूप 28

[(नियम 54, नियम 55(1), (2) और (4) देखिए)]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित दूसरी प्रति और तीसरी प्रति क्रमशः यान के स्वामी को और उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में यान ले जाया जाता है वापस की जाए।)

भाग—1

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

मैं/हम यान का-------------------रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता में अन्तरण करने का आशय रखता हूं/रखते हैं।

मैं/हम यान का श्री/श्रीमती/कुमारी-----------------------------को जो---------------------राज्य के--------------------रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता में निवास करता है/करती है, विक्रय करने का आशय रखता हूं/रखते हैं। अतः मैं/हम अपने स्थान के लिए "निराक्षेप प्रमाणपत्र" देने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं, यान की विशिष्टियां नीचे दी जाती हैं:—

1. नाम और पता :
2. ---------------------------का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक :
4. यान का वर्ग :
5. वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसने मूल रूप से यान को रजिस्ट्रीकृत किया था :
6. इंजन संख्यांक :
7. चेसिस संख्यांक—पेंसिल चिन्ह लगाएं :
8. राज्य में ठहरने की अवधि :
9. वह अवधि जिस तक मोटर यान कर का संदाय किया गया है :
10. क्या कर के लिए कोई मांग लम्बित है, यदि हां तो, ब्यौरे दें :
11. क्या यान किसी चोरी के मामले में अन्तर्वलित है, यदि हां तो, ब्यौरे दें :
12. क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53, धारा 54 या धारा 55 के अधीन कोई कार्रवाई किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, यदि हां तो, ब्यौरे दें :
13. क्या यान प्रतिषिद्ध माल के परिवहन के किसी मामले में अन्तर्वलित है, यदि हां तो, ब्यौरे दें :

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त विवरण सही है।

यान के स्वामी के हस्ताक्षर

तारीख-----------------------

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

भाग—2

सं.-------------------तारीख---------------------------का कार्यालय

"निराक्षेप प्रमाणपत्र" के लिए आवेदन की प्राप्ति के लिए अभिस्वीकृति

यान संख्यांक-----------------के संबंध में "निराक्षेप प्रमाणपत्र" दिये जाने के लिए---------------------(नाम और पता) से तारीख ---------------------------का आवेदन तारीख---------------------को प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख-----------------------

कार्यालय मुद्रा-----------------------

सेवा में,

(यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी)

भाग—3

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन "निराक्षेप प्रमाणपत्र" को मंजूर करना/इंकार करना)

*(1) उस यान के संबंध में, जिसकी ब्यौरेवार विशिष्टियां पिछले पृष्ठ पर अभिलिखित की गई हैं, "निराक्षेप प्रमाणपत्र" मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 48(3) के अधीन दिया जाता है।

*(2) उस मोटर यान के संबंध में, जिसकी ब्यौरेवार विशिष्टियां पिछले पृष्ठ पर अभिलिखित की गई है, "निराक्षेप प्रमाणपत्र" के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 48(3) के अधीन इंकार किया जाता है। उसके लिए कारण निम्नलिखित हैं:—

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

पता---------------------------

तारीख

*जो लागू न हो उसे काट दें।

सेवा में,

(रजिस्ट्रीकृत स्वामी)--रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के अधीन परिदत्त

---रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रति।

प्ररूप सं. 29

[नियम 55(1) देखिए]

मोटरयान के स्वामित्व के अन्तरण के नोटिस का प्ररूप (दो प्रतियों में किया जाएगा और दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित स्वामित्व के अन्तरण की प्रविष्टियां करने के ठीक पश्चात् अंतरक को भेजी जाएंगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

--------------------------(जिसकी अधिकारिता में अंतरिती निवास करता है)

मैं/हम,------------------------------ने, जो---------------------------के निवासी हूं/हैं आज----------------(तारीख, मास और वर्ष) को अपना यान सं.------------------मेक----------------------चेसिस सं.--------------------इंजन सं.------------------------ श्री/श्रीमती--जो---------------------------का पुत्र/की पुत्री/पत्नी/है, को जो---------------

(नाम)

--(मकान सं.) (गली), ग्राम/कस्बा जिला और राज्य का निवासी है, विक्रीत और परिदत्त कर दिया है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र/ उसको/उनको दे दिए गए हैं।

रजिस्ट्रीकृत स्वामी (अंतरक) के हस्ताक्षर

तारीख :

1. प्रतिलिपि--(अंतरिती)

उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रतिलिपि जिसकी अधिकारिता में अंतरक निवास करता है।

टिप्पण :

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा।

कार्यालय पृष्ठांकन

सं.------------------------------तारीख------------------------------------का कार्यालय

यान का स्वामित्व--------------------------(तारीख) से-----------------------को अंतरित कर दिया गया है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

(कार्यालय की मुद्रा)

सेवा में,

(अंतरक)

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 30

[(नियम 55(2) और (3) देखिए]

मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण की रिपोर्ट

भाग-1

अंतरक के प्रयोग के लिए

(जब यान अवक्रय/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित है) तो इसे दो प्रतियों में दिया जाएगा और (दूसरी प्रति साथ ही रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व का अंतरण प्रविष्ट करने के पश्चात् वित्तपोषक को भेज दी जाएगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

अंतरक का नाम :

------------------------------का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री---

पूरा पता--

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने————————(तारीख, मास और वर्ष) को मेरा/अपना मोटर यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ————————है,——श्री————————को————————जो का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री है, बेच दिया है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसको/उनको दे दिया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित या रद्द कर दिया गया है/नहीं किया गया है।

**मैं रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया "अनापत्ति प्रमाणपत्र" संलग्न करता हूं। यदि रजिस्ट्रीकर्ता का "अनापत्ति प्रमाणपत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो अंतरक को अपने आवेदन के साथ धारा 50 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एक घोषणा फाइल करनी चाहिए।

अंतरक के हस्ताक्षर

तारीख————————

**निलंबन का रद्दकरण का ब्यौरा।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग—2—अंतरिती के प्रयोग के लिए

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

————————

अंतरिती का नाम

————————का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

————————पूरा पता

(पते का सबूत संलग्न किया जाए)

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने आज तारीख ————————(तारीख मास और वर्ष) को मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. ————————है, ————————से क्रय कर लिया है और यह

(नाम और पूरा पता)

अनुरोध करता हूं/करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यान के ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र, में, जो संलग्न है, यान के स्वामित्व के अंतरण की बावत आवश्यक प्रविष्टियां मेरे/हमारे नाम में अभिलिखित करें।

बीमा प्रमाणपत्र भी संलग्न है।

अंतरिती के हस्ताक्षर

अंतरिती के नमूना हस्ताक्षर:

1.

2.

अवक्रय / आडमान / पट्‌ट करार अधीन करते हुए मोटर यान की दशा में वित्तपोषक की सहमति।

मैं / हम, जो ————————मोटरयान की बाबत अवक्रय / आडमान / पट्‌ट करार के पक्षकार हैं, ————————को, जिनसे मैंने / हमने अवक्रय / आडमान / पट्‌ट करार किया है, उक्त यान के स्वामित्व के अंतरण के लिए सहमति देता हूं / देते हैं।

वित्तपोषक के हस्ताक्षर

तारीख ————————

कार्यालय पृष्ठांकन

————————का कार्यालय

सं. ————————तारीख————————यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर ————————(तारीख) यान के स्वामित्व के अंतरण को ————————से अभिलिखित कर दिया गया है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

सेवा में,

(वित्तपोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सम्यक पावती के अधीन परिदत्त किया गया।

प्ररूप सं. 31

[नियम 56 (2) देखिए]

यान के कब्जे के उत्तराधिकारी व्यक्ति के नाम में स्वामित्व के अंतरण का आवेदन और सूचना ।

(यदि यान अवक्रय या पट्टा/आडमान/करार के अधीन धारित है तो इसे दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरी प्रति साथ ही रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व का अंतरण करने के पश्चात वित्तपोषक को भेज दी जाएगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

1. यान रजिस्ट्रीकरण संख्यांक:
   मेक और माडल
   चेसिस संख्या
   इंजन संख्या
   यान का टाईप
2. मृत रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम:
3. यान के कब्जे के उत्तराधिकारी व्यक्ति का नाम :
   ————का पुत्र / की पत्नी/की पुत्री/पूरा डाक पता:
4. मृत रजिस्ट्रीकृत स्वामी के साथ नातेदारी
5. उत्तराधिकार का सबूत

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है। यान का स्वामित्व मेरे नाम में अंतरित करने की कृपा करें।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

उस मोटरयान की दशा में सहमति, जो अवक्रय / पट्टा / करार / आडमान के अधीन धारित है।

मैं / हम, जो ऊपर विनिर्दिष्ट मोटर यान की बात अवक्रय/ करार /पट्टा / करार / आडमान का पक्षकार हूं के पक्षकार हैं, उपरोक्त नामित आवेदक के नाम में उक्त मोटर यान के स्वामित्व के अंतरण के लिए सहमति देता हूं देते हैं, जिसके साथ मैंने /हमने /अवक्रय /पटटा आडमान/करार किया है।

तारीख वित्तपोषक के हस्ताक्षर

कार्यालय पृष्ठांकन

संख्यांक———————————————तारीख ————— ——————का कार्यालय

यान के अंतरण को यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और कार्यालय के रजिस्ट्रीकरण संबंधी अभिलेख में ———————————— (तारीख) से अभिलिखित कर दिया गया है:

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

सेवा में,

(वित्तपोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्री डाक द्वारा या सम्यक पावती के अधीन परिदत्त किया गया।

जो लागू न हो उसे काट दीजिए

प्ररूप सं. 32

(नियम 57 देखिए)

क्रय किए गए या लोक नीलामी अर्जित मोटर यान की दशा में स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

मैं / हम ——————का पुत्र / की पत्नी / की पुत्री ——————————(पूरा पता सबूत सहित) ने यान सं. —————— चेसिस सं —————————————इंजन सं. ——————————मेक ——————————माडल यान का टाइप के द्वारा या सरकार की ओर से संचालित लोक नीलामी में क्रय या अर्जित किया है।

मैं / हम वे दस्तावेज संलग्न करता हूं /करते हैं जो नियम 57 के उपनियम (i) के अधीन मेरे /हमारे द्वारा पेश किए जाने हैं। मोटरयान का स्वामित्व मेरे/हमारे नाम में अंतरित करने की कृपा करें।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप 33

(नियम 59 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते के अंतरण की सूचना

(जहां यान अवक्रय/आड़मान/करार के अधीन धारित है वहां इसे दो प्रतियों में दिया जाएगा और दूसरी प्रति साथ ही रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व का अंतरण करने के पश्चात वित्त पोषक को भेज दी जाएगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

मैं/हम.......................................का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री...........................(पूरा पता) ने.............(तारीख) से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित पते पर निवास करना/कारबार का स्थान छोड़ दिया है। वर्तमान पता नीचे दिया गया है (प्रमाण संलग्न किया जाए)।

यान किसी अवक्रय, पट्टा या आड़मान करार के अधीन धारित नहीं है।

यान.......................................के पास अवक्रय/पट्टा/आड़मान/करार के अधीन धारित नहीं है। (नाम और पूरा पता दिया जाए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है।

मैं/हम यह अनुरोध करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण में पते संबंधी परिवर्तन को अभिलिखित कर लिया जाए।

यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

जो लागू न हो उसे काट दें।

तारीख..............

कार्यालय पृष्ठांकन

सं..........................

..........................कार्यालय

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पते संबंधी उपरोक्त परिवर्तन की प्रविष्टि कर ली गई है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..............

सेवा में,

(वित्त पोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सम्यक पावती के अधीन परिदत्त किया गया।

प्ररूप 34

(नियम 60 देखिए)

अवक्रय/पट्टा करार/आड़मान की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरी प्रति साथ ही रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में स्वामित्व का अंतरण करने के पश्चात वित्त पोषक को भेज दी जाएगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

मोटर यान, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं०.........................है.........................रजिस्ट्रीकृत स्वामी/स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति और...के बीच (वित्तपोषक का नाम और पूरा पता लिखें)

अवक्रय/पट्टा/आड़मान करार का विषय है।

हमारा अनुरोध है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और आपके कार्यालय के सुसंगत अभिलेख में करार की प्रविष्टि कर ली जाए ।

समुचित फीस सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है ।

तारीख.....................

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर

वित्त पोषक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय पृष्ठांकन

वित्तपोषक को सूचना देने का प्ररूप

.......................का कार्यालय

क्रम सं.....................

तारीख................

ऊपर जैसा अनुरोध किया गया है, अवक्रय/पट्टा/आड्मान करार की प्रविष्टि ....तारीख को इस कार्यालय के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में प्ररूप 24 में और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित कर ली गई है।

तारीख.....................

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

(वित्तपोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सम्यक पावती के अधीन परिदत्त किया गया।

प्ररूप सं. 35

[नियम 61(1) देखिए]

अवक्रय/पट्टा/करार/आड्मान की समाप्ति की सूचना

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरी प्रति साथ ही रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में स्वामित्व का अंतरण करने के पश्चात वित्तपोषक को भी दी जाएगी)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे बीच किया गया अवक्रय/पट्टा/आड्मान करार समाप्त कर दिया गया है। अतः हम, अनुरोध करते हैं कि यान सं. ....के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में हमारे बीच उक्त करार की बाबत किए गए नोट का पृष्ठांकन रद्द कर दिया जाए।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और साथ ही फीस संलग्न है।

तारीख.....................

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हस्ताक्षर

तारीख.....................

वित्तपोषक के हस्ताक्षर

कार्यालय पृष्ठांकन

.....................का कार्यालय

क्रम सं.............

तारीख................

ऊपर जैसा अनुरोध किया गया है, करार की प्रविष्टि के रद्द किए जाने को....................(तारीख) को इस कार्यालय के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख प्ररूप 24 में और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित कर लिया गया है।

तारीख................

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

(वित्त पोषक का नाम और पता)

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या सम्यक पावती के अधीन परिदत्त किया गया।

प्ररूप 36

[नियम 61(2) देखिए]

वित्त पोषक के नाम नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

मैंने/हमने..

(वित्त पोषक) अवक्रय/आड्मान/पट्टा करार के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.................................(नाम)..............

.... (पूरा पता) के व्यतिक्रम के कारण मोटरयान सं............... मेक............ माडल..........

का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

*(1) उक्त यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इसके साथ अभ्यर्पित किया जाता है।

*(2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने मुझे/हमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र परिदत्त करने से इंकार कर दिया है।

*(3) रजिस्ट्रीकृत स्वामी फ़रार है।

मैं/हम आप से प्रमाणपत्र को रद्द करने का और अपने/हमारे नाम में एक नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करते हैं।

मैं हम.............................. रुपए की फ़ीस संलग्न करते हैं। वित्त पोषक के हस्ताक्षर

तारीख.....................

वित्त पोषक के नमुना हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रति।

प्ररूप 37

[नियम 61(3) देखिए]

वित्त पोषक के नाम नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मोटरयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सूचना।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी.........

तारीख.................

सं.......................... (रजिस्ट्रीकृत स्वामी) को यह सूचित किया जाता है कि..................

श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... करार उपबंध अधीन आपने व्यतिक्रम के कारण अवक्रय/अाड़मान/पट्टा करार अन्तर्गत आने वाले वित्त पोषक के यह सूचित किया है कि उसने/उन्होंने उक्त करार उपबंध अधीन आपने व्यतिक्रम के कारण

मोटर यान जिसका रजिस्ट्रीकरण सं.................. है कब्जा ग्रहण कर लिया है और यह कि——

1. *(1) आपने उसे/उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया है।

*(2) आप फ़रार हो गए हैं।

2. उसने/उन्होंने रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र रद्द करने और अपने नाम में नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

3. अतः आपको उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित करने और अभ्यावेदन, यदि कोई हों, को इस सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर इस कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जाएगी कि आपको कोई अभ्यावेदन नहीं करना है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता स्वामी,

....

रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा

वित्त पोषक को प्रति

मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रति

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप 38

[नियम 62(1) देखिए]

यान ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र (केवल परिवहन यानों की दशा में ही लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि यान सं.. मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप है। प्रमाण पत्र...................................... (तारीख) को समाप्त होगा।

तारीख............19

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान

या

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्राधिकार पत्र के धारक के हस्ताक्षर

यान ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र

......से......19 तक
......से......19......तक
......से......19......तक
नवीकृत किया जाता है।

....
....
....

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
या
प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के प्राधिकार पत्र के धारक के हस्ताक्षर

प्ररूप 39

[नियम 63(1) और (5) देखिए]

प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को दिए जाने वाले प्राधिकार पत्र का प्रारूप

प्राधिकार पत्र सं................

तारीख...............

मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिए जाने या उसके नवीकरण के प्रयोजन के लिए.......................................(परिसर का पूरा पता) परिसर में अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन परीक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए..

(नाम और पूरा पता)

को प्राधिकार पत्र दिया जाता है।

यह प्राधिकार पत्र......................से........................तक विधिमान्य है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

यह प्राधिकार पत्र......................से........................तक नवीकृत किया जाता है।

तारीख...................

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

प्ररूप 40

[नियम 63(2) देखिए]

प्राधिकार पत्र दिए जाने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

मैं/हम...पता..

निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :—

1. आवेदक का नाम :
2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री :
3. पता............................
(सबूत संलग्न किया जाए)
4. आवेदक की अर्हताएं :
5. आटोमोबाइल कर्मशाला में अनुभव :
6. क्या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः परिवहन संबंधी कारोबार में अंतर्ग्रस्त/से संबद्ध है :
7. मशीनरी और उपस्कर :
8. भिन्न-भिन्न काडरों में लग हुए कर्मचारी :
   (i) प्रबंधक :
   (ii) फोरमैन :
   (iii) मैकेनिक :
   (iv) हेल्पर :
   (v) अन्य प्रशासनिक कर्मचारी :
9. व्यक्ति के संबंध में विशिष्टियां जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित है :
   अर्थात् :—
   (क) नाम :
   (ख) आयु :
   (ग) आटोमोबाइल इंजीनियरी में अर्हता :
   (घ) आटोमोबाइल कर्मशाला में वास्तविक अनुभव :

(ङ) फर्म का नाम, पूरे पते सहित :

(च) विभिन्न प्रकार के परिवहन यान चलाने का अनुभव :

(i) चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक :

(ii) किसके द्वारा जारी किया गया :

(iii) जारी किए जाने की तारीख :

(iv) यान का टाइप :

(v) एम.डी.एल. की विधिमान्यता की अवधि :

(vi) चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन, यदि कोई हो :

10. आवेदक द्वारा स्वामित्व में की या किराए पर ली गई भूमि का सबूत :

11. क्या गैरेज में—

(i) जल प्रदाय (ii) विद्युत (iii) शौचालय

(iv) आराम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं :

12. वित्त का स्रोत :

13. यदि आवेदन, प्राधिकार पत्र के नवीकरण के बारे में है तो निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करें, अर्थात् :—

(i) विद्यमान प्राधिकार पत्र का संख्यांक

(ii) जारी करने की तारीख

(iii) विधिमान्यता की अवधि :

(iv) यदि आवेदन समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कारण बताएं

(v) क्या प्राधिकार पत्र पहले निलंबित/रद्द/अभ्यर्पित किया गया है, ब्यौरा दीजिए :

14. मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही और ठीक है। मैं यह भी घोषित करता हूं कि मैं नियमों, विनियमों और इस प्राधिकार पत्र से संलग्न तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में विहित शर्तों से आबद्ध रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख..................

प्ररूप 41

(नियम 75 देखिए)

मोटर यान का राज्य रजिस्टर

1. रजिस्ट्रीकरण सं.
2. पहला रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई हो
3. क्या मोटरयान :
   (क) नया है
   (ख) आयातित है
   (ग) पुराना सेना यान है
4. निर्माता का नाम
5. विनिर्माण का वर्ष
6. इंजन संख्यांक
7. चेसिस संख्यांक
8. सिलेण्डरों की संख्या
9. घनीय क्षमता/अश्व शक्ति
10. प्रयोग किए गए ईंधन का प्रकार
11. मोटरयान का वर्ग
12. रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पूरा पता
13. बैठने के स्थान
14. सकल यान भार
15. अयान रहित भार

प्ररूप सं. 42

[नियम 76(1) देखिए]

राजनयिक/कौंसलीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

(सक्षम प्राधिकारी की मार्फत तीन प्रतियों में भेजा जाएगा)

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,

....

1. राजनयिक/कौंसलीय अधिकारी का पूरा नाम, पदाभिधान और पता
राजनयिक मिशन/कौंसलीय कार्यालय या पोस्ट का पूरा नाम, पता और स्टेशन
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु
3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे यान क्रय किया गया था। उस पत्तन का नाम और पता जिससे होकर यान का आयात किया गया था। उस व्यक्ति या कम्पनी का नाम जिसके बंधित स्टाक से यान क्रय किया गया था और पत्तन का नाम
4. वह देश जिससे आयात किया गया
5. यान का वर्ग
6. बाडी का टाइप
7. निर्माता का नाम
8. विनिर्माण का वर्ष
9. सिलेण्डरों की संख्या
10. अश्व शक्ति
11. निर्माता का वर्गीकरण या, यदि ज्ञात न हो तो पहिया आधार
12. चेसिस संख्यांक
13. इंजन संख्यांक
14. बैठक के स्थान (चालक सहित)
15. लदान रहित भार
16. पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि कोई हो)
17. मैं घोषणा करता हूं कि यान भारत में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है।
18. बाडी, विंग और फ्रंट का रंग या के रंग
19. टायरों की सं., वर्णन और उनके साइज
   (क) आगे वाली धुरी
   (ख) पीछे वाली धुरी
   (ग) कोई अन्य धुरी
20. अधिकतम लदान वजन—किलोग्राम
21. अधिकतम धुरी वजन (केवल भारी मोटर यानों की दशा में दिया जाना है)
   (क) आगे वाली धुरी किलोग्राम
   (ख) पीछे वाली धुरी किलोग्राम
   (ग) कोई अन्य धुरी किलोग्राम

उपर्युक्त विशिष्टियां दो या अधिक धुरियों के ठोस फ्रेम वाले मोटर यान के लिए ही भरी जानी है।

आवेदक के हस्ताक्षर
विदेश मंत्रालय (प्रोटोकोल प्रभाग)
या संबंधित राज्य सरकार के मुख्य
सचिव के कार्यालय में प्रयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि .... (नाम और पद) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजनयिक अधिकारी/कौंसलीय अधिकारी हैं और वह रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट के हकदार हैं/नहीं है।

स्थान: ....

तारीख ....

अधिकारी के हस्ताक्षर
पदाभिधान

प्ररूप—43

[नियम 76(4) देखिए]

राजनयिक या कौंसलीय अधिकारी से संबंधित मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
यान का संक्षिप्त वर्णन,
(उदाहरणार्थ फियेट 1100 या हिन्दुस्तान लैंड मास्टर कार, विली जीप, डाज/डेसेटो/फॉर्गो पेट्रोल/डीजल ट्रक, लेलैंड 36 सीट वाली डीजल बस, ट्रेलर आदि)
राजनयिक अधिकारी/कौंसलीय अधिकारी का
पूरा नाम, पद और पता/राजनयिक मिशन/
कौंसलीय कार्यालय या पोस्ट का पूरा नाम, पता और स्टेशन
किस को अंतरित — रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
किस को अंतरित — रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
विस्तृत वर्णन—
1. यान का वर्ग
2. निर्माता का नाम
3. बाडी का टाइप
4. विनिर्माण का वर्ष
5. सिलेंडरों की संख्या
6. चेसिस संख्यांक
7. ईंजन संख्यांक
8. अश्व शक्ति
9. निर्माता का वर्गीकरण या यदि ज्ञात न हो तो उसका पहिया आधार।
10. बैठने के स्थान (चालक सहित)
11. लदान रहित भार
सभी परिवहन यानों की दशा में अतिरिक्त विशिष्टियां
12. बाडी, विग और फ्रंट का/के रंग
13. रजिस्ट्रीकृत लदान भार
14. टायरों की संख्या, वर्णन और साइज—
(क) आगे की धुरी
(ख) पिछली धुरी
(ग) कोई अन्य धुरी
15. रजिस्ट्रीकृत धुरी भार (केवल भारी मोटर यानों की दशा में)
(क) आगे की धुरी किलोग्राम
(ख) पिछली धुरी किलोग्राम
(ग) कोई अन्य धुरी किलोग्राम

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

प्ररूप 44

[नियम 78(1) देखिए]

निवास के राज्य में परिवर्तन की सूचना और नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए राजनयिक या कौंसलीय अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से आवेदन
(दो प्रतियों में दिया जाएगा)

सेवा में,
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
————————

मैं ————————————(नाम और पदाभिधान) ————————————जो मोटर यान
सं ————————————का स्वामी हूं जो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 42 के अधीन ————————————

में रजिस्ट्रीकृत है, यह घोषणा करता हूं कि मैंने ——————————————तारीख से उक्त यान ——————————————राज्य में रखा है और मोटरयान के नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए आवेदन करता हूं।

मैं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र* संलग्न करता हूं।

तारीख

स्वामी के हस्ताक्षर

*"और यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र" शब्दों को, यदि लागू न हों तो, काट दें।

विदेश मंत्रालय (प्रोटोकोल प्रभाग) या संबंद्ध राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रयोग के लिए।

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————————(नाम और पदाभिधान), राजनयिक अधिकारी/कौंसलीय अधिकारी की हैसियत धारण कर रहे हैं।

वह इस समय ——————————————(स्थान) पर नियुक्त हैं।

स्थान

पदाभिधान

तारीख

अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 45

[नियम 82(1) देखिए]

पर्यटन यान की बाबत परमिट दिए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य परिवहन अधिकारी,

——————————

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ——————————————राज्य में पर्यटक यान के लिए विधिमान्य परमिट दिए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं—
(राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट करें)

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम
2. आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यष्टि कंपनी या भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी आदि हैं
3. पिता या पति का नाम
   (व्यष्टि की दशा में) और फार्म या कंपनी की दशा में, यथास्थिति प्रबंध भागीदार या प्रबंध निदेशक की विशिष्टियां
4. पूरा पता
   (व्यष्टियों की दशा में राशनकार्ड, बिजली के बिल आदि अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कोई अन्य विधिमान्य दस्तावेज द्वारा और कंपनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन या भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5. (क) क्या स्वयं आवेदक यान चलाना चाहता है ?
   (ख) (1) यदि हां, तो क्या आवेदक के पास भारी यात्री मोटर यान चालन अनुज्ञप्ति है ?
   (2) चालन अनुज्ञप्ति का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि
   (3) अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
6. प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र
7. किसी विशिष्ट यान की बाबत अन्य परमिटों, यदि कोई हों, का ब्यौरा
8. आवेदक के पास परमिटों की कुल संख्या का ब्यौरा
9. यान का टाइप
10. मोटर यान का मेक
11. आवेदक (आवेदकों) द्वारा धारित यान/परमिट की बाबत गत तीन वर्षों के दौरान दोषसिद्धि/निलंबन/रद्दकरण, यदि कोई हो, की विशिष्टियां
12. मैं/हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भेजता हूं/भेजते हैं या मैं/हम यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र परमिट जारी किए जाने से पहले प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे।

13. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त कथन सत्य है और कि मैं/हम इस राज्य का/के निवासी हूं/हैं और इस राज्य में———————————(स्थान) पर मेरा/हमारा कारबार का मुख्य स्थान है।

14. मैंने/हमने——————————रुपए की फ्रीस का संदाय कर दिया है।

तारीख——————

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

प्ररूप सं 46

[नियम 83 (1) और नियम 87(1) देखिए]

प्राधिकार पत्र, पर्यटन परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन का प्ररूप

प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकरण——————————————————————राज्य में विधिमान्य

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र ———————————— (राज्यों का नाम विनिर्दिष्ट करें)

प्राधिकार पत्र देने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

1. आवेदक (आवेदकों) का/के पूरा नाम
2. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. पता
4. मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और विनिर्माण वर्ष और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
5. मोटर यान का इंजिन संख्यांक
6. मोटर यान का चेसिस संख्यांक
7. परमिट संख्यांक, वह प्राधिकारी जिसने परमिट जारी किया है तथा परमिट जारी करने की तारीख और उसकी समाप्ति की तारीख
8. मोटर यान का लदान रहित भार
9. मोटर यान का सकल यान भार
10. मोटर यान का आय भार (पर्यटक यान की दशा में बैठने के स्थान)
11. वह अवधि जिसके लिए प्राधिकार पत्र चाहिए
——————से——————तक
12. मैं/हम यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और परमिट संलग्न करता हूं/करते हैं
13. मैं/हम प्राधिकार फ्रीस के संदाय मद्धे बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं जिसका/जिनका वर्णन नीचे दिया गया है :—

क्रम सं.	राज्य का नाम	संदत्त रकम	बैंक ड्राफ्ट की विशिष्टियां और तारीख	संदाय की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

तारीख

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप : 47

[नियम 83 (2) और नियम 87 (2) देखिए]

पर्यटन परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र

सं०-----------------------

भाषित का कार्यालय

प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकारी

प्राधिकार पत्र सं०--------------- तारीख------------

यह प्राधिकार पत्र भारत के संघ राज्यक्षेत्र में सर्वत्र/निम्नलिखित राज्य/राज्यों में विधिमान्य है:—

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

(यहां उन राज्यों का नाम लिखिए जहां लागू है)

1. पूरा नाम
और परमिट के धारक का पूरा पता
2. मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और मेक
3. विनिर्माण वर्ष
4. मोटर यान का इंजिन संख्यांक
5. मोटर यान का चैसिस संख्यांक
6. मोटर यान का परमिट संख्यांक
7. परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
8. परमिट की समाप्ति की तारीख
9. मोटर यान का सकल यान भार
10. मोटर यान का लदान रहित भार
11. पर्यटक यान की दशा में बैठने के स्थान
12. प्राधिकार पत्र की विधिमान्यता की अवधि ------------------से------------तक

परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और पदाभिधान और मुद्रा

सम्मिश्र फीस के संदाय का प्रमाणपत्र

क्रम सं०	उन राज्यों के नाम जिनके लिए संदाय किया गया है	संदत्त रकम रु० पै०	बैंक ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख और बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति की तारीख	किसे संदेय है	वह अवधि जिसके लिए संदत्त किया गया है	यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								

परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप सं० 48

राष्ट्रीय परमिट देने के लिए आवेदन

(नियम 86 देखिए)

सेवा में,

प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकारी

-- (यहां वांछित राज्यों के नाम लिखें) राज्य

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्त्ता, भारत के राज्य क्षेत्र -- में सर्वत्र विधिमान्य राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम
2. आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यष्टि, कम्पनी या भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी आदि है
3. पिता या पति का नाम (व्यष्टि की दशा में) और कंपनी या फर्म की दशा में, यथास्थिति, प्रबंध भागीदार या प्रबंध निदेशक की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
4. पूरा पता (व्यष्टियों की दशा में) राशन कार्ड, विद्युत बिल आदि की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी सबूत द्वारा और कंपनी या फर्म की दशा में, यथास्थिति, संगम ज्ञापन या भागीदारी विलेख की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए)
5. (क) क्या आवेदक स्वयं यान चलाना चाहता है
   (ख) (1) यदि हां तो क्या आवेदक के पास भारी माल यान चालन अनुज्ञप्ति है।
       (2) चालन अनुज्ञप्ति का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि।
       (3) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम और पता।
6. प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख, सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र।
7. किसी विशेष यान की बाबत कोई अन्य परमिट धारित किया हुआ है तो उसका ब्यौरा।
8. आवेदक द्वारा पहले से ही धारित राष्ट्रीय परमिट की संख्या का ब्यौरा।
9. यान का टाइप, क्या वह दो धुरी वाला ट्रक या संलग्न यान या बहुधुरी वाला यान या ट्रक-ट्रेलर संयोजन है।
10. मोटर यान का मेक
11. आवेदक (आवेदकों) द्वारा धारित किए हुए यान/परमिट की बाबत गत तीन वर्षों के दौरान दोषसिद्धि/निलंबन/रद्दकरण, कोई हो, की विशिष्टियां।
12. मैं/हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भेज रहा हूं/भेज रहे हैं या मैं/हम परमिट दिए जाने से पहले यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दूंगा/कर देंगे।
13. मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त कथन सही हैं और यह कि मैं/हम इस राज्य का निवासी हूं/निवासी हैं और -- के ------------------------ स्थान पर मेरे/हमारे कारबार का मुख्य स्थान है।
14. मैंने/हमने -- रुपए की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगूठे की छाप

प्ररूप 49

(नियम 89 देखिए)

त्रैमासिक विवरणी

1. राष्ट्रीय परमिट धारक का नाम और पूरा पता:
2. मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
3. राष्ट्रीय परमिट संख्यांक

तीन मास के भीतर की गई यात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा

महीना	राज्य में की गई यात्रा की कुल दूरी	यात्रा की कुल दूरी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)

राष्ट्रीय परमिट धारक के हस्ताक्षर

तारीख

*उन राज्यों के नाम लिखें जिन्हें लागू होता हो।

टिप्पण : टिप्पणियों वाले स्तंभ में किसी विशेष राज्य या राज्यों में कम या अधिक यात्रा के कारणों और ऐसे अन्य कारणों का उल्लेख करें जिनसे यात्रा कम हुई।

प्ररूप सं० 50

[नियम 90(3) देखिए]

वहन पत्र

पत्र सं०....................

राष्ट्रीय परमिट धारक का नाम और पता ------------------------ तारीख......

मोटरयान की रजिस्ट्रीकरण संख्या -------------

परेषक का नाम ------------------------------------ तारीख ---------

परेषिती का नाम ----------------------------------

आरम्भिक स्थान ------------------------------------

गन्तव्य स्थान------------------------------------

वस्तुओं की संख्या	माल का वर्णन कि० ग्रा०	संदत्त भाड़ा प्रभार		संदेय भाड़ा प्रभार		योग
		रु०	पै०	रु०	पै०	

बिल सं० -------------------

तारीख -------------------------

प्राप्त किया --------------------

पैकेज ----------------------------

ट्रक --------------------------------

परेषिती के हस्ताक्षर

वाहक के हस्ताक्षर

परेषक के हस्ताक्षर

*वाहक की जोखिम पर

स्वामी की जोखिम पर

माल का मूल्य--------------------------रु०

परिदान का स्थान--------------

टिप्पण— वहन पत्र ऊपर दिए गए प्रोफार्मा में होगा और चार प्रतियों में होगा जिनमें से मूल (सफेद) मोटर यान में ले जाया जाएगा, दूसरी प्रति (हल्का हरा) परेषक के लिए होगा, तीसरी प्रति (गुलाबी) परेषिती के लिए होगा और चौथी प्रति (हल्का नीला) राष्ट्रीय परमिट धारक के अभिलेख के लिए होगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-51

(नियम 141 देखिए)

की बाबत बीमा प्रमाणपत्र

पालिसी सं.

प्रमाणपत्र सं.

1. बीमाकृत यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न

2. यान का वर्णन

3. और विनिर्माण का वर्ष

4. इंजन संख्यांक
   चेसिस संख्यांक

5. वहन क्षमता

6. पालिसी धारक का नाम और पता

7. बीमा के प्रारंभ की प्रभावी तारीख और समय

8. बीमा की समाप्ति की तारीख

9. चलाने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग

मंजिली गाड़ी
ठेला गाड़ी
प्राइवेट सेवा यान

पालिसी धारक सहित कोई व्यक्ति।

परन्तु यह तब जबकि चलाने वाला व्यक्ति, दुर्घटना के समय प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है और ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है:

परंतु यह और कि दुर्घटना के समय किसी प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक व्यक्ति भी, जब यान का यात्रियों के परिवहन के लिए प्रयोग न किया जा रहा हो, तब यान को चला सकेगा और ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

माल वाहन

पालिसी धारक सहित कोई व्यक्ति।

परंतु यह तब जबकि चलाने वाला व्यक्ति, दुर्घटना के समय प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है और ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है:

परन्तु यह और कि दुर्घटना के समय किसी प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक व्यक्ति भी, जब यान का माल के परिवहन के लिए प्रयोग न किया जा रहा हो तब यान को चला सकेगा और ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

गैर-परिवहन यान।

पालिसी धारक सहित कोई व्यक्ति।

परन्तु यह तब जब कि चलाने वाला व्यक्ति दुर्घटना के समय प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारण करता है और ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है:

परंतु यह और कि दुर्घटना के समय किसी प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक व्यक्ति, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

10. प्रयोग के लिए परिसीमाएं—
    मंजिली गाड़ी/
    ठेका गाड़ी/
    माल वाहन।

पालिसी के अंतर्गत मोटर यान
अधिनियम, 1988 के अर्थ में परमिट अथवा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाली ऐसी गाड़ी के रूप में प्रयोग में आते हैं।

पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए प्रयोग नहीं आते हैं:

(क) संगठित रेसिंग, या

(ख) गति परीक्षण

11. प्राइवेट सेवा यान और गैर परिवहन यान

पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग आते हैं —

(क) भाड़ा या पारिश्रमिक

(ख) संगठित रेसिंग, या

(ग) गति परीक्षण ।

हम प्रमाणित करते हैं कि वह पालिसी जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है और साथ ही यह बीमा प्रमाणपत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 10 या अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है।

प्राधिकृत बीमाकर्ता

प्ररूप-52

[नियम 142 (1) देखिए]

कवर नोट

1. बीमाकृत यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्यांक या वर्णन।

2. पालिसी धारक का नाम और पता

3. इस प्रतिनियम के प्रयोजन के लिए बीमा के प्रारम्भ की प्रभावी तारीख और समय

4. बीमा की समाप्ति की तारीख

5. चलाने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग

6. मोटर यान के प्रयोग पर निर्बंधन

इस कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि--को समाप्त होगी।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह कवर नोट, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

प्ररूप-53

[नियम 146 (1) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्ग के मोटर यान—

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(ख) मेक

(ग) वर्ग, अर्थात्, मोटर साइकिल, मोटर कार, मंजिली गाड़ी, माल यान, ठेका गाड़ी या अन्य वर्ग (जो उल्लिखित किया जाना है)

(घ) गाड़ी का रंग,

निम्नलिखित की संपत्ति है—

(i) --सरकार

(ii) स्थानीय प्राधिकारी/राज्य परिवहन उपक्रम,

अर्थात्--

जिसके यान को--सरकार ने

अपने आदेश सं०------------------------------तारीख------------------------------द्वारा

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अधीन छूट दी है।

यह प्रमाणपत्र, यदि इसी दौरान रद्द नहीं किया जाता है तो--------------------तक विधिमान्य है।

------की ओर से हस्ताक्षरित

पदाभिधान

प्ररूप सं. 54

[नियम 150(1) और (2) देखिए]

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट

1. पुलिस थाने का नाम
2. सं. प्र.इ. सं./दैनिक दुर्घटना रिपोर्ट
3. दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान
4. क्षतिग्रस्त/मृतक का नाम और पूरा पता
5. उस अस्पताल का नाम जिसमें उसको ले जाया गया था।
6. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और यान का प्रकार
7. चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां
   (क) चालक का नाम और पता
   (ख) चालन अनुज्ञप्ति संख्या और समाप्ति की तारीख
   (ग) जारीकर्ता प्राधिकारी का पता
8. यान के स्वामी का नाम और पता जैसा कि वह दुर्घटना की तारीख को है
9. उस बीमा कंपनी का नाम और पता, जहां पर यान बीमाकृत था और उक्त बीमा कंपनी का मंडलीय अधिकारी
10. बीमा पालिसी/बीमा प्रमाणपत्र की संख्या और बीमा पालिसी/बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की तारीख
11. यान का रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियां
   (क) रजिस्ट्रीकरण सं.
   (ख) इंजन सं.
   (ग) चेसिस सं.
12. आर्म परमिट विशिष्टियां
13. की गई कार्रवाई, यदि कोई है, और उसका परिणाम

प्ररूप सं. 55

[नियम 160(1) देखिए]

विदेशी बीमाकर्ता के अनुमोदन के लिए आवेदन

मैं/हम, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 159 के अधीन रखी गई अनुमोदित सूची में, (विदेशी बीमाकर्ता का नाम) जो में गठित/निगमित/अधिवासी है, सम्मिलित करने और अपना नाम मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 11 और उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए उक्त (विदेशी बीमाकर्ता का नाम) के प्रत्याभूतिदाता के रूप में सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उक्त अधिनियम और उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए उक्त विदेशी बीमाकर्ता के साथ एक ठहराव कर लिया है और मैं/हम इसके द्वारा उस अधिनियम और उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए उक्त विदेशी बीमाकर्ता की बाबत भारत में प्रत्याभूतिदाता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

तारीख

प्राधिकृत बीमाकर्ता के
हस्ताक्षर
पता

प्ररूप सं. 56

[नियम 160(3) देखिए]

प्रत्याभूतिदाता के रूप में कार्य करने की समाप्ति की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि मैं/हम, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 11 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रयोजनों के लिए ------- (विदेशी बीमा कर्ता का नाम) (विदेशी बीमाकर्ता का पता) के भारत में प्रत्याभूतिदाता के रूप में कार्य न करने की वांछा करता हूं/करते हैं। या उस तारीख से जिसको यह सूचना केन्द्रीय सरकार को परिदत्त की जाती है, के मास की समाप्ति से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो के पश्चात्

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

तारीख

प्ररूप सं. 57

[नियम 150(v) और नियम 161(1) देखिए]

विदेशी बीमा के लिए प्रमाण पत्र

निगम :

प्रमाणपत्र सं.

पालिसी सं. (वैकल्पिक)

1. अनुमोदित बीमा कर्ता का नाम और पता
2. प्रत्याभूति दाता का नाम और पता
3. मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्यांक
4. परिदर्शक का नाम और पता
5. पालिसी की प्रारम्भ की तारीख
6. पालिसी की समाप्ति की तारीख
7. भारत के चालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग
8. भारत में मोटर यान के प्रयोग पर कोई निबंधन
9. किसी अन्य यान (यानों) की विशिष्टियां विदेशी परिदर्शक भारत में चलाने का हकदार है और भारतीय के ऐसे यान के प्रयोग पर निबंधन

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि विदेशी बीमे का यह प्रमाणपत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 11 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया है।

(अनुमोदित विदेश बीमाकर्ता)

प्रारूप 58

[नियम 161(2) देखिए]

विदेशी बीमा प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस विदेशी बीमा प्रमाणपत्र की परीक्षा कर ली है और यह कि मेरा यह समाधान हो गया है कि यह प्रमाणपत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 11 और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

इस पृष्ठांकन की विधिमान्यता, यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार उसकी विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व रद्द नहीं किया जाता है तो, तारीख को समाप्त होगी।
तारीख

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदाभिधान)

इस पृष्ठांकन की अवधि का, यदि इसी दौरान रद्द नहीं किया जाता है तो

तक

तक

तक

नवीकरण किया जाता है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदाभिधान)

उपाबन्ध I
(नियम 115(2) देखिए)

पेट्रोल से चलने वाले यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन स्तर

1. टाइप अनुमोदन परीक्षण :

दो और तीन पहिए वाले यान :

निर्देश द्रव्यमान, आर (कि.ग्रा.)	सीओ (ग्रा/किग्रा)	एचसी (ग्रा/किग्रा)
आर ≤ 150	12	8
150<आर ≤ 350	$12+\frac{18(आर-150)}{200}$	$8+\frac{4(आर-150)}{200}$
आर> 350	30	12

हल्के कार्य यान:

निर्देश द्रव्यमान, आर डब्ल्यू (किग्रा.)	सीओ (ग्रा/किग्रा)	एचसी/ग्रा/किग्रा)
आरडब्ल्यु ≤ 1020	14.3	2.0
1020< आरडब्ल्यू ≤ 1250	16.5	2.1
1250< आरखव्ल्यु ≤ 1470	18.8	2.1
1470<अ.रडब्ल < 1700	20.7	2.3
1700< आरडब्लू ≤ 1930	22.9	2.5
1930< आरडब्लु ≤ 2150	24.9	2.7
आरडब्लू < 2150	27.1	2.9

उत्पादन परीक्षणों की अनुरूपता:

दो और तीन पहिए वाले यान:

निर्देश द्रव्यमान, आर (किग्रा)	सीओ (ग्रा/किग्रा)	एचसी (ग्रा/किग्रा)
आर ≤ 150	15	10
150<आर ≤ 350	$15+\frac{25(आर-150)}{200}$	$10+\frac{5(आर-150)}{200}$
आर> 350	40	15

हल्के कार्ययान:

निर्देश द्रव्यमान, आरडब्लू (किग्रा)	सीओ (ग्रा/किग्रा)	एच सी (ग्रा/किग्रा)
आरडब्लु < 1020	17.3	2.7
1020 ≤ आरडब्लु ≤ 1250	19.7	2.7
1250 ≤ आरडब्लु ≤ 1970	22.5	2.8
1470 ≤ आरडब्लु ≤ 1700	24.9	3.0
1700आरड ≤ ब्लु ≤ 1930	27.6	3.3
1930 ≤ आरडब्लु ≤ 2150	29.9	3.5
आरडब्लु> 2150	32.6	3.7

ऊपर निर्दिष्ट किसी प्रदूषक के लिए, अभिप्राप्त तीन परिणामों में से केवल एक, यान के लिए विनिर्दिष्ट ऐसी सीमा से अधिक हो सकेगा जो 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

[स्पष्टीकरण—द्रव्यमान उत्सर्जन स्तर, यान के प्रति किलोमीटर चलने से उत्सर्जित प्रदूषकों के ग्राम के प्रति निर्देश है जो भारतीय चालन साइकिल का प्रयोग करके चेसिस डाइनोमीटर परीक्षण द्वारा अवधारित किया जाए।]

उपाबंध-- .:

(नियम 115(3) देखिए)

परीक्षण के लिए प्रयुक्त प्रचालन साइकिल का ब्रेकडाउन

प्रचालन की सं.		त्वरण (मि/से.^{2})	गति (किमी/घं.^{1})	प्रत्येक प्रचालन की अवधि	संकलित समय
01.	अ.इडलिंग	---	---	16	16
02.	त्वरण	0.65	0--14	6	22
03.	त्वरण	0.56	1--22	4	26
04.	मंदन	-0.63	22--13	4	30
0.5	स्थायी गति	--	13	2	32
06.	त्वरण	0.56	13-23	5	37
07.	त्वरण	0.44	23-31	5	42
08.	मंदन	-0.56	31--25	3	45
09.	स्थायी गति	--	25	4	49
10.	मंदन	-0.56	25-21	2	51
11.	त्वरण	0.45	21--34	8	59
12.	त्वरण	0.32	34-42	7	66
13.	मंदन	-0.46	42--37	3	69
14.	स्थायी गति	--	37	7	76
15.	मंदन	-0.42	87-34	2	78
16.	त्वरण	0.32	34--42	7	85
17.	मंदन	-0.46	42-27	9	94
18.	मंदन	-0.52	27-14	7	101
19.	मंदन	-0.56	14-00	7	108

उपाबन्ध—3

[नियम 115(3) देखिए]

टाइप और उत्पादन अनुरूपता परीक्षणों के लिए निर्देश ईंधन

क्रम सं.	विशिष्टियां	अपेक्षाएं 87 आक्टेन	93 आक्टेन	परीक्षण पद्धति (निर्देश पी : या भा मा: 1448*)
1	2	3	4	5
1.	रंग, दृश्य	नारंगी	लाल	पी: 15(1968)
2.	50° सें. पर 3 घंटे के लिए ताम्र-पट्टी संक्षारण	सं. 1 से खराब नहीं		पी: 16(1967)
3.	15° सें. पर घनत्व	सीमित नहीं किन्तु रिपोर्ट किया जाना है		
4.	आसवन:	सीमित नहीं किन्तु रिपोर्ट किया जाना है।		पी: 18(1967)
	(क) प्रारम्भिक क्वथनांक	10	10	
	(ख) 20° सं. तक उपलब्धि परिमाण के अनुसार प्रतिशत न्यूनतम	50	50	
	(ग) 125° सें. तक उपलब्धि परिमाण के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	90	90	
	(घ) 130° सें. तक उपलब्धि परिमाण के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	215° सें	215°सें.	
	(ङ) अंतिम क्वथनांक, अधिकतम	2	2	
	(च) अवशिष्ट परिमाण के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम			
5.	आक्टेन संख्या (अनुसंधान पद्धति), अधिकतम	87	94	पी: 27(1960)
6.	उपापचयन स्थिरता, मिनटों में, न्यूनतम	360	360	पी: 28(1966)
7.	वाष्पन पर अवशिष्ट मिग्रा/100 मिली, अधिकतम	4.0	4.0	पी: 29 (1960) एयर-जेट विलायक (धावन)
8.	गंधक, कुल, भार के अनुसार प्रतिशत अधिकतम	0.25	0.20	पी: 34(1966)
9.	सीसा अन्तर्वस्तु (जैसे पीबी), जी/1 अधिकतम	0.56	0.80	पी: 37(1967) या पी: 38(1967)
10.	30°सें. पर रीड वाष्प दाब, के जीएफ/सी.एम² अधिकतम	0.70	0.70	पी: 39(1967)

*पैट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए परीक्षण पद्धति।

उपाबन्ध—4

[नियम 115 (4) देखिए]

डीजल से चलने वाले यानों के लिए लागू एक्जास्ट गैस अपारर्शता के सीमामूल्य

स्थायी गति पर इंजन परीक्षण

सामान्य प्रवाह जी (1/एस)	अवशोषण गुणांक के (एम–1)	सामान्य प्रवाह जी (1/एस)	अवशोषण गुणांक के (एम–1)
< 43	2.00	120	1.20
45	1.91	125	1.17
50	1.82	130	1.15
55	1.75	135	1.13
60	1.68	140	1.11
65	1.61	145	1.09
70	1.56	150	1.07
75	1.50	155	1.05
80	1.46	160	1.04
85	1.41	165	1.02
90	1.38	170	1.01
95	1.34	175	1.00
100	1.31	180	0.99
105	1.27	185	0.97
110	1.25	190	0.96
115	1.22	195	0.95
		> 00	0.93

उपाबन्ध—5

[नियम 13[illegible] (2) देखिए]

परिवहन आपात कार्ड (सड़क)

कार्गो—

खतरनाक और परिसंकटमय माल की रासायनिक पहचान उल्लिखित करें:

परिसंकट की प्रकृति—

संरक्षा युक्ति—

आपात कार्रवाई—

पुलिस और अग्निशमन दल को तुरन्त सूचित करें

स्पाइलेज—

अग्नि—

प्राथमिक उपचार—

विनिर्माता या प्रेषक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी

टेलीफोन